

international ramifications. Two insurgent groups, NLFT and ATTF, who are active in the State, have close links with the other North-Eastern outfits. Their main demand is secession from India. While, on the one hand, the extremist outfits are stepping up their activities, on the other, the non-tribal miscreants are getting more active. As a result, there is a sharp reaction to any attack from either side, leading to serious ethnic tension. The extremist outfits have been declared unlawful associations in 1997 by the Government of India.

Altogether, 27 police stations have been declared 'disturbed', under the Armed Forces Act, in 1997. Three battalions of Army were deployed in the State for carrying out counter-insurgency operations in 1997-98. But, the battalions were withdrawn unilaterally, causing a wide gap in the counter-insurgency operation while the Army units continue to be deployed in other insurgency-affected States in the North-East. Tripura has a long and porous international border with Bangladesh. The insurgents have established camps in Bangladesh and are operating from these camps. They are receiving assistance, including sophisticated arms, from the ISI and other foreign agencies. So, I strongly demand that at least three battalions of Army must be deployed immediately for effective counter-insurgency operations.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Companies (Amendment) Bill, 2000

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Companies (Amendment) Bill, 2000, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 2000."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION

The plight of farmers in the country - Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, the Minister is in a meeting. The MOS is here and he would take the notes; so we can start the discussion.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, the Minister is not here. Yesterday, I was trying to explain the features of the growing crisis in agriculture, the increasing number of suicides, ...*(Interruptions)*...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : सर, मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ आपका। इधर तो हम किसानों की समस्या पर बहस कर रहे हैं और उधर कल श्री प्रमोद महाजन ने, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के बाहर प्रेस से बात करते हुए एक समिति की घोषणा कर दी है कि हम संसद सदस्यों की एक समिति घोषित कर रहे हैं इस बारे में।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : यह तो प्रिविलेज का सवाल हो जाएगा।

श्री बालकवि बैरागी : कल वे यह घोषणा कर चुके हैं और आज के अखबारों ने इसे रिपोर्ट किया है सर।

श्री जनेश्वर मिश्र : ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें।

श्री बालकवि बैरागी : सर, यह बहुत गंभीर स्थिति है और यहां केबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद नहीं हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : सर, हमने भी इसको पंजाब केसरी में पढ़ा है। जब सदन में चर्चा चल रही हो तब किसी मंत्री को सदन के बाहर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): If it is a Parliamentary Committee, the appropriate forum is either House of Parliament. The Minister should have announced it here. So, Mr. Minister, please ascertain the facts and let us know.

श्री बालकवि बैरागी : सर, मैं अखबार भी लाकर दे सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, I will find out and let you know. I will find out the position and let you know. ...*(Interruptions)*... Sir, the Cabinet Minister will be coming here now. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): You are not taking the House seriously. You knew that this discussion would start soon after the Special Mentions. Still, there is no responsible Minister from the Government. They are not taking the House seriously...*(Interruptions)*...

SHRI O. RAJAGOPAL: The Minister of State is here. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MINISTER: The Cabinet Minister is also here. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: He is not the Minister of Agriculture. ...*(Interruptions)*... He is interested to know about the match-fixing. ...*(Interruptions)*... You should do Parliament 'fixing'. ...*(Interruptions)*...

SHRI O. RAJAGOPAL: Perhaps the hon. Member is not aware of the latest developments.*(Interruptions)*...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, when I checked with the Minister he said that this time is all right for him. ...*(Interruptions)*... Only after that, this time was allotted. ...*(Interruptions)*... Sir, this is for your kind information ...*(Interruptions)*....

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I was trying to explain the features of the growing crisis in agriculture, the increasing number of suicides and also the falling of the real wages and the workdays of the agricultural workers. I do not deny the fact that in many items we have increased our productivity and production during the last 50 years of our independence. We have made huge investments in irrigation, in expanding power facilities, in science and technology and also in expanding the infrastructural facilities. I also admit that there have been attempts to impose restrictions on import of agricultural items. I also admit that we have been able to make a four-fold increase in our food production and substantial production in various sectors. But if you look at the prosperity, it has not reached the poorer sections who are the overwhelming majority of the peasants and agricultural workers in this country.

[The Vice-Chairman (Shri Santosh Bagrodia) in the Chair]

Sir, we have made progress but that has not been equitably distributed among the poorer sections of the overwhelming majority. Actually the strategy of development was based not on the interests of the overwhelming majority but on the interest of a narrow richer section. The reflection of this wrong approach can be seen in the present foodgrain crisis. Sir, the *per capita* availability of foodgrains has not increased. Actually, if you look at the figures, you will see that there is a decline in the *per capita* availability of foodgrains in recent times. The rate of growth of foodgrains has come down as compared to the rate of growth of population. Despite all this, we are having a massive food stock of more than 41 million tonnes of

foodgrain in the godowns. Why is this happening? On the one hand, the foodgrain production is not picking up and on the other hand, we are having a massive stock of foodgrains. Why is this happening? It is because you have increased the issue price and the purchasing capacity of the poorer sections has come down. It is because of this we are having this huge stock of foodgrains. So your strategy is not based on the interests of the poorer sections. Your strategy of development is based on the interest of a narrow richer section. Sir, they are not correcting this mistake. Sir, if you look at the present policies of the Government, you can see a shift in the wrong direction. If the present policies are continued, this will create a very, very difficult situation for the poorer sections of this country. Sir, the international institutions such as the World Bank, the IMF and the World Trade Organisation are exerting pressure on us. The present Government is succumbing to that pressure. A narrow richer section is persuading the Government to protect their interests. The Government is also heeding to their advice.

So, we can see the combined effect in the present policies of the Government. The Government has reduced public investment in irrigation. The Government has reduced public investment in expanding power facilities. The Government has reduced public investment in science and technology. And the Government is taking steps to hand-over these sectors to private and multinational companies. By doing so, certainly, the input price will go up. Not only this, the Government has also cut down subsidies to poorer sections. The Government, under pressure from international institutions, have now, recently, removed restrictions on imports and by...*(time bell)*. ..Sir, I have just started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : You have four minutes but you have already taken six minutes.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI : Sir, this is an important subject.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : I agree. But there are other speakers.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI : Sir, try to give me some more time. So, because of the removal of Quantitative Restrictions, the prices of most of the agricultural crops have fallen down. The price of coconut has

fallen down. The price of rubber has fallen down. And the prices of most of the crops have fallen down. Earlier, the price-fall was confined only to non-foodgrain crops. But, now, the price-fall has also been expanded to foodgrains. The price of wheat has fallen. The price of paddy has fallen. So, this is creating a very, very difficult situation for the peasants, for the agricultural workers and also for the economy of many of the States. The Government is not addressing these problems. The Government took certain steps but those steps are not in the larger interest of the country. They are meant to tackle their internal contradictions. They are meant to keep themselves in power. I do accept that there is every justification for giving financial help to Punjab, Haryana and also Uttar Pradesh. But the Government is not extending this facility to Rajasthan. The Government is not extending this facility to West Bengal. The Government is not extending this facility to Assam. Why? They are giving this facility of purchasing paddy only to their NDA partners. That is the reason why I say that the attitude of the Government is not taking into consideration the larger interest of the country. They are doing this only to tackle their internal conflicts and contradictions. If you look at it, they have increased tariff for areca-nut but they have not increased, sufficiently, tariff on palm oil and other materials. They have not taken any steps to protect the interests of the coconut growers. They have not taken any steps to protect the interest of tea, coffee, rubber, tobacco and other growers in this country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): You have taken double the time that has been allocated to you.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I am concluding.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए इसे समय की सीमा में नहीं बांधना चाहिए। यह कृषकों से संबंधित मामला है जहां हिंदुस्तान के 76 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। अन्य विषयों पर तो हम घण्टों बातें करते हैं लेकिन हिंदुस्तान के कृषकों की चिंतनीय दशा पर विचार नहीं कर पा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : डबल टाइम तो दे दिया और क्या चाहते हैं?

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: So, the attitude of this Government is not taking into consideration the larger interest of the country. They should address the larger interest of the country. They should address the needs of all States and all sections of the peasantry which they are not doing. They have, just now, increased tariff on palm oil.

They have increased tariff, to a substantial level, only with regard to refined oil and not with regard to crude oil. So, this is not meant to protect the interests of the peasants. The present increase is meant to protect the interests of certain industries. They should have proper attitude to protect the interests of the peasants. Certain immediate short-term and long-term measures are necessary to protect the interests of the peasants and agricultural workers.

The present price mechanism is not doing justice to the needs of the peasants and agricultural workers. It has to be restructured and immediate and appropriate action is required with regard to that. Secondly, even as per the WTO agreement, the present Government can take certain steps to protect the interests of the peasants and agricultural workers. What the Government can do is: it can increase the tariff protection; it can impose anti-dumping duties; it can also take countervailing measures. If the other countries are giving more subsidies, our Government can also, for a short period, impose even temporary quantitative restrictions. Besides this, there are many other steps that the Government can take to protect the interests of the farmers. But the Government is not taking those steps. The Government should take such sort of measures to protect the interests of the farmers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : Mr. Pillai, please conclude.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI : I am concluding, Sir.
...(Interruptions)...

DR. BIPLAB DASGUPTA : Mr. Vice-Chairman, Sir, four hours have been allotted for this discussion. It means, our party will have 15-1/2 minutes. You must have noticed that he has not spoken even for fifteen minutes... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : This is a Short Duration Discussion. As per the practice, two-and-a-half hours are allotted for this. This is the standard practice. Nowhere it was decided that four hours would be allotted for this discussion. Based on that, you have... (Interruptions)...

SHRI JIBON ROY (West Bengal) : Even if two-and-a-half hours are allotted, he should have got ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : He has got exactly ten minutes. Yesterday, he spoke for six minutes. Four minutes were left. Today, he has already taken twelve minutes. What more do you want? Even if four hours are allotted, he cannot get beyond that. ...*(Interruptions)*... You have to maintain some discipline...*(Interruptions)*... I have given him more time.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI : I am concluding, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : Despite that, you are not happy. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI : I am concluding, Sir. The Government is required to take long-term measures. A new world situation has emerged. A new world market with regard to agricultural products has emerged. We have to compete with the heavily subsidised products of the developed countries. Unless we increase our productivity to the world level, it would not be possible for us to protect the interests of the peasants and agricultural workers of this country. Therefore, my question is this. Whether the present set of policies --less public investment in irrigation; less public investment in power; less public investment in science and technology; less public investment in expanding the infrastructure facilities-- can help us. I say, they would not help us. The Government must change its policies and should make more public investment in irrigation, in power, in science and technology and in expanding the infrastructure facilities. I would like to know whether the Government would muster sufficient strength to take long-term, appropriate and immediate action to protect the interests of the agricultural workers of this country. This is the question that I would like the hon. Minister to reply. Thank you, Sir.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, an important subject, that is, regarding farmers, is being discussed in this august House. Atleast, the Minister of Agriculture should be present in the House to listen to the Members.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttaranchal) : The Minister of State is already sitting here.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: In the Business Advisory Committee, the hon. Minister had said that he would be present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): When the Minister of State is sitting here, we cannot insist that the Cabinet Minister should be present here. That is not the convention. Okay; Shri Suresh Pachouriji. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA : Yesterday, at the end of the session, you had announced that the discussion would start at 12 o'clock. This must have been communicated to the hon. Minister that the discussion would start at 12 o'clock. Now, it is 12.55. I would like to know why he is not taking it seriously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : That is why the Minister of State has come. That should be alright. More than one Minister is there. You see, two Houses are running at the same time. He might have some business in the other House.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR : I am sorry, Sir. I did not know that the Minister of State was sitting here.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर चार घंटे के समय की बात हुई थी। लेकिन पता नहीं कैसे यह ढाई घंटे हो गया। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसका समय चार घंटे कर दिया जाए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : We will take four hours, Mr. Kaushik. Please sit down. We will take four hours...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA : But, four hours would be allotted for all the parties. In the case of our party.. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE : You have already got twenty minutes.

श्री रमा शंकर कौशिक: इस डिस्कशन के लिए चार घंटे का समय देना चाहिये। ...*(व्यवधान)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I think, we will take four hours. ...*(Interruptions)*... We will take four hours. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: We will take four hours as a whole, but we do not know how much time is allocated to each party.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have already got 20 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Even if it is four hours, you will not get more than you have already got. You should be more than happy ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is not that you can eat the cake, and at the same time, have it too. Two-and-a-half hours is the practice, and we are extending it to four hours. That is all.*(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Despite that, your time is over. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: We should precisely know the time allocated. That is the problem. If it is discussed for two-and-a-half hours or for four hours, we should know how much time is allocated to each Speaker.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : I will check if the decision was for four hours, because, in the record, I think, the discussion is for two-and-a-half-hours.

श्री रमा शंकर कौशिक : डिसीजन नहीं हुआ था लेकिन यह बात हुई थी।
...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : जब डिसीजन नहीं हुआ था तो वही होगा न जो आलरेडी कन्वेंशन है। तब फिर ठीक ही चल रहा है हाऊस।

श्री रमा शंकर कौशिक : बात हुई थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : बात तो होती रहती है, उससे निर्णय थोड़ा ही होता है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ विषय और मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें हम सब को सदन में बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होता है और राजनैतिक सीमाओं से हट कर के हमें विचार करना होता है। कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा और किसान की समस्याएं कुछ ऐसी ही बातें हैं जहां हम को बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि भारत का किसान निराश और हताश है और वह व्यापारियों की लूट का शिकार हो रहा है। जिस

भारत देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं जिसमें लगभग 76 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, वहां यह आवश्यक है कि यदि हम भारत की खुशहाली और संपन्नता चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक यह होगा कि 76 प्रतिशत कृषि व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों की खुशहाली और संपन्नता पर हम लोग ध्यान दें। लेकिन दूसरी तरफ यह हो रहा है कि हम उस भारतीय किसान जो निराश और हताश है, उसकी खुशहाली और संपन्नता पर ध्यान न देते हुए कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिन निर्णयों की वजह से कृषि उत्पाद और उत्पादों के मूल्यों में बहुत गिरावट आती जा रही है। पिछले समय भी इसी विषय पर शार्ट ड्युरेशन डिसकशन था लेकिन अफसोस है कि उस शार्ट ड्युरेशन डिसकशन का रिप्लाइ कृषि मंत्री की तरफ से आज की तिथि तक नहीं आया जो इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार कृषकों के प्रति कितनी चिंतित है। इस सरकार का जो नौसिखियापन है, इस सरकार की जो बदहाली है, उसी का परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान में किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है और इसीलिए पिछले समय में जब मैंने यह बात कही थी कि यह जो राजग की सरकार है, यह जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है यह जो अबि यानि अटल बिहारी की सरकार है वो अटल बिहारी की सरकार न हो कर, अबि सरकार न हो कर के, किवि सरकार है यानि किसान विरोधी सरकार है जिसके समय में ऐसे निर्णय हो रहे हैं कि कृषि उत्पाद का मूल्य किसान को सही नहीं मिल पा रहा है, जिसके समय में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि चाहे वह हिमाचल प्रदेश का किसान हो, चाहे जम्मू का सेब उत्पादनकर्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का गन्ना उत्पादनकर्ता कहो, चाहे वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सोयाबीन उत्पादनकर्ता हो, सारे के सारे उत्पादनकर्ता, देश के सारे के सारे किसान निराश और हताश हैं और वह आज बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच गये हैं। जहां तक बजटरी प्रोविजन का सवाल है, कृषि की मद में, फूडग्रेस की मद में जो बजटरी प्रोविजन था उसके डवलपमेंट में 75 प्रतिशत कमी हुई है और हार्टिकल्चर और वेजिटेबल क्रॉप के मामले में भी 75 प्रतिशत कट हुआ है और आयल सीड के मामले में भी 40 प्रतिशत बजटरी प्रोविजन में कट हुआ है। इसीलिए स्थिति यह निर्मित हुई कि किसान की स्थिति जो है वह बहुत दुश्कर हो गई है। मान्यवर, मैं किसान परिवार से संबद्ध हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि किसान का बेटा किसान बन कर नहीं रहना चाहता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनना चाहता है, राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ बनना चाहता है। लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है आज स्थिति यह है कि किसान प्रकृति पर आधारित है। आज 11 से ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं जो सूखे की चपेट में हैं और 13 से अधिक ऐसे प्रदेश हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। किसान प्राकृतिक आपदा से बहुत ज्यादा प्रभावित है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, it is 1 o'clock. We will continue the discussion after lunch. The House is adjourned for lunch till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at six minutes past two of the clock.

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

उपसभापति : सुरेश जी, आप बोल रहे थे, यू कंटीन्यू। लेकिन सुरेश जी, आपके बोलने से पहले मैं एक बात एनाउंस कर दूँ कि कल जब हाउस एडजर्न हुआ तो मुझे सेक्रेटेरिएट ने बताया कि यह निर्णय हाउस ने ही सोचा कि इस घर डिस्कशन के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ढाई घंटे में यह सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। जो हाउस का मुझे रिपोर्ट किया गया है कि चार घंटे के लिए सब तैयार हुए हैं, तो इस लिहाज से अब हम टाइम जो अलाटेड है उसको उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे।

Shall I speak in English or are you able to follow me? The House decided that we should have four hours instead of two-and-half hours because of the importance of the subject. We will now distribute time according to that.

बोलिए, सुरेश जी।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैं यह कह रहा था कि हमारा जो भारतीय किसान है, जो प्रकृति पर आधारित रहता है, वह हर वर्ष प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता है। कभी उस सूखे का सामना करना पड़ता है, कभी वह बाढ़ से प्रभावित होता है। इसी वर्ष लगभग 11 राज्य सूखे की चपेट में आए हैं और लगभग 13 राज्य बाढ़ की चपेट में आए हैं। स्वयं जिस प्रदेश से मेरा ताल्लुक है, मध्य प्रदेश, उसके 28 जिले और 132 तहसीलें सूखे की चपेट में आये ऐसा बताया गया है, जबकि ज्यादा जिले सूखे की चपेट में आए हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि हर बार प्राकृतिक आपदा का जिक्र इस सदन में हम करते हैं और जो नुकसान होता है, किसान को जो परेशानी होती है, उसका जिक्र करते हैं, लेकिन कोई भी समय रहा हो, किसी भी पार्टी की सरकार का समय रहा हो, इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम दूर-दृष्टि अपनाते हुए कोई दूरगामी योजना नहीं बना पाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम कोई दूरगामी योजना बनाएं। भोपाल संभाग का एक जिला सीहोर है, महोदया, आप स्वयं किसान हैं, मैं अभी दो दिन पहले उस जिले में होकर आया हूँ। वहाँ के किसानों ने प्रदर्शन किया था। जो लिस्ट जारी की गई है कि कौन-कौन से जिले मध्य प्रदेश में सूखे की चपेट में हैं, उसमें उस जिले को दर्शाया नहीं गया है जो जिला सूखे की चपेट में आ गया है और जो आंकलन किया गया है वह नेत्रांकन आधार पर यानी आंखों से देखना कि कितना नुकसान हुआ है, वास्तविकता से अलग हो कर किया गया है। इसलिए एक तो यह स्थिति है जो किसानों के साथ हो रही है, दूसरी स्थिति यह है कि किसान जब बैंक से कर्ज लेता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कर्ज पटाना पड़ता है। किसान को बिजली नहीं मिल पाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई उद्योग घराने बिजली लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। जब वह ऋण लेते हैं तो इनसेंटिव खाते हैं और बाद में उस इंडस्ट्री को सिक इंडस्ट्री घोषित कर के बाकी चीजें खा जाते हैं। महोदया, इसलिए जब मैं ने अपनी बात प्रारंभ की थी तो किसानों की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि आज कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। महोदया, व्यापारी का बेटा तो व्यापारी बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, अफसर का बेटा अफसर बनना चाहता है, लेकिन किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसे देखते हुए किसान का बेटा किसान नहीं बन पाता है। महोदया, बात यह है कि अभी पिछले समय कृषि के मद में गत वर्ष की तुलना में जो 3 प्रतिशत बजट में कमी हुई है, डीजल के दामों में वृद्धि

की गयी है, यह उसी की वजह है कि कृषि उत्पाद के मूल्य में भी वृद्धि हो गयी है। पहले कृषि में सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत से अधिक निवेश किया जाता था, आज हालत यह हो गयी है कि वह घटकर 9 प्रतिशत हो गया है। कृषि में कैपिटल इनवेस्टमेंट 18 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत हो गया है। महोदया, यह पानी, बिजली और खाद के मामले में सब्सिडी में हुई कमी का परिणाम है कि कृषि उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती जा रही है और उसी वजह से हमारे देश में किसान की हालत दयनीय होती जा रही है। लोग कहते हैं सब्सिडी तो दूसरे देशों में भी होती है। महोदया, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो विश्व के विकसित देश हैं, वहां किसान को सब्सिडी ज्यादा दी जाती है, लेकिन भारत जो कि विकासशील देश है, उस में सब्सिडी कम दी जाती है। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि विकसित देशों में सब्सिडी प्लस सेक्टर में है और भारत में वह माइनस 24 बिलियन डॉलर्स में है। जैसे अमेरिका में किसानों को 26 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी दी जाती है जबकि वहां किसानों की संख्या 6 मिलियन है और हमारे देश में भारत में 7 सौ मिलियन किसान हैं और उन को माइनस 24 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि विकसित देशों में सब्सिडी ज्यादा दी जाती है और विकासशील देशों में कम दी जाती है, यह कोई न्यायोचित कदम नहीं है और खास तौर से उस देश में जो अपने आप को कृषि प्रधान कहलाने में गौरव महसूस करता है और जहां 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें देश को खुशहाल रखना है, देश को संपन्न बनाना है, हमारे देशवासी खुशहाल जिंदगी जिएं तो यह तभी संभव है जब हम इन 76 प्रतिशत लोगों का ध्यान रखें। यदि हम इन 76 प्रतिशत लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हिन्दुस्तान को खुशहाल देश की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं।

महोदया, अब मैं कुछ उन कदमों का, उन निर्णयों का जिक्र करूंगा जो कि इस सरकार द्वारा लिए गए हैं। मैं मंत्री जी की निष्ठा पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो निर्णय लिए गए हैं, उन के बारे में लोगों के मन में और खास तौर से किसानों के मन में तरह-तरह का शंकाए पैदा हो गई हैं, जैसे कि देश में जब 74 मिलियन टन की फसल हुई थी तब आस्ट्रेलिया से 8 मिलियन टन गेहूं आयात किया गया था। महोदया, इस से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जब 74 मिलियन टन फसल हुई तो आस्ट्रेलिया से 8 मिलियन टन गेहूं आयात करने की आखिर वजह क्या थी? महोदया, इस के साथ-साथ जब पाकिस्तान से कारगिल में युद्ध हुआ था, उस समय शक्कर का उत्पादन 15 मिलियन टन हुआ था, उस समय भी यह बात उठी थी कि जीरो परसेंट ड्यूटी पर पाकिस्तान से शक्कर क्यों आयात की गई जबकि हमारे यहां गोदामों में शक्कर की बहुतायत थी? महोदया, अब बात आती है कि आयात करना बहुत जरूरी हो गया था और कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई थीं, लेकिन जीरो परसेंट ड्यूटी पर आयात करने के पीछे क्या कारण था? ये लोगों के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां हैं और जब हम कृषकों की दुर्दशा का यहां जिक्र कर रहे हैं, उन के सामने पेश आ रही दिक्कतों का जिक्र कर रहे हैं तो कृषकों के मन में भी यह बात आई है कि जीरो परसेंट ड्यूटी पर शक्कर पाकिस्तान से आयात करने के पीछे क्या वजह थी? जबकि अमेरिका में शक्कर पर ड्यूटी लगभग 130 प्रतिशत लगाई जाती है, बंगलादेश व यूरोपियन यूनियन में शक्कर पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग 200 प्रतिशत लगाई जाती है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि कृषकों की दशा आज ऐसी क्यों हो रही है तो ये सारी बातें हैं जिनपर हमें विचार करना होगा, इन निर्णयों का भी हमको थोड़ा अवलोकन करना पड़ेगा।

श्री राजीव गांधी जी के दौर में तिलहनों के लिए टेक्नोलॉजी मिशन बनाकर प्रोडक्शन लगभग 85 प्रतिशत बढ़ाया गया था, उस पर हम लोगों ने अब ध्यान देना बंद कर दिया है। तिलहन के उत्पादन में जो दिक्कत आ रही है, उसका एक कारण यह भी है और यही वजह है कि लोगों के मन में ये सारी बातें आ रही हैं। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि अर्थ नीति में विदेशी दबाव है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति में विदेशी दबाव है, लेकिन 76 प्रतिशत खेती करने वाले लोगों के मन में भी यह बात आ गई है कि जब कृषि नीति पर निर्णय करने की बात आती है तो वह निर्णय भी विदेशी दबाव में किया जा रहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. का जिक्र किया जाता है कि डब्ल्यू.टी.ओ., गेट या ये सारी बातें कांग्रेस के दौर में हुईं, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां थीं आज क्या परिस्थितियां हैं, मेरे विचार से इन दोनों परिस्थितियों में फर्क है और इस पर गौर करना जरूरी है। लेकिन मैं इससे हटकर दूसरी बात कहना चाहूंगा कि लोगों ने जनादेश आपको दिया है, हमें शिकस्त मिली है। जनादेश जब आपको दिया है तो कुछ आशा और अपेक्षा के साथ दिया है और उस आशा या अपेक्षा या उन कसौटियों पर खरे उतरने का काम आपका है। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह आपके दौर में हुआ तो हमारे दौर में भी हो रहा है। अब यह देखना होगा कि आम जन-मानस किन चीजों से प्रभावित हो रहा है, किन दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ रहा है, कौन-कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर देखने, सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दें, हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन दें, जो ऐग्रो बेसड इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रारम्भ करने में जो दिक्कतें आती हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करें और खाद तथा कृषि की सब्सिडी में कटौती की बजाए जो कालातीत ऋणों की वसूली होती है, उस पर हम ध्यान दें, काले धन के नियंत्रण पर हम ध्यान दें, जो करों की वसूली होती है, सस्ती वसूली होती है, उस पर हम ध्यान दें। मौसम के हिसाब से किसान जो क्रॉप प्लानिंग किया करता है, सॉयल के हिसाब से किसान जो क्रॉप प्लानिंग किया करता है, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब बुवाई का समय होता है तब किसान निर्णय लेता है कि उसको क्या बोना चाहिए। अब स्थिति यह हो गई है कि जो नीति बनाई जा रही है, जो बीज एक्ट तैयार किया जा रहा है उसमें इस बात का प्रावधान है कि वह बीज भी हमें विदेशों से निर्यात करना होगा और तब किसान उसको बो पाएगा। तो उस एक्ट के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दुस्तान का किसान लाभकारी किसानी करे, इस ओर हम कदम बढ़ाएं।

जहां तक कृषि उत्पादों के मूल्य की बात है, पिछले सेशन में इस विषय पर एक शार्ट डायरेक्शन डिस्कशन हुआ था। यह बात और है कि उसका उत्तर वर्तमान कृषि मंत्री नहीं दे पाए थे लेकिन उस समय भी मैंने यह बात कही थी कि जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं उसका लाभ बड़े किसान को मिल रहा है, जिसको हम गांव की भाषा में जागीरदार और जमींदार बोलते हैं, उसको मिल रहा है लेकिन जो मध्यम और छोटा किसान है उसको निर्धारित मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में थोड़ा संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता है। मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे पीले सोयाबीन का समर्थन मूल्य सरकार ने 845 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया था लेकिन यह बाजार में 600 से 650 रुपये के बीच में बिक रहा है। सरसों का समर्थन मूल्य 1100 रुपये तय किया गया था जबकि यह मंडी में 800 से 900 रुपये के बीच में बिक रहा है। खोपरे का समर्थन मूल्य, खास तौर से केरल में, 3200 रुपये तय किया गया था लेकिन वह बाजार में 1900 रुपये बिक रहा है। मैं यह विसंगतियां बता रहा हूं कि यह स्थिति है। महोदय, एक तरफ

हम समर्थन मूल्य तय करते हैं और दूसरी तरफ़ मंडी में, बाजार में उस समर्थन मूल्य की क्या स्थिति है, इस बात का हम लोग आकलन नहीं कर पाते हैं। जो आंकड़े आज आप सरकार की तरफ़ से देंगे, अफसर जो आंकड़े आपको देंगे, उनके आधार पर आप जवाब दे देंगे, वह जवाब कागज पर तो अच्छा लगेगा लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, इस बात का आकलन करना जरूरी है।

इसलिए मैंने अपनी बात आरंभ करने से पहले यह कहा था कि कुछ विषय और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर हमें गंभीरता से राजनीतिक पार्टियों की सीमाओं को लांघकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर, एक व्यापक सोच के साथ विचार करना पड़ेगा। किसानों से जुड़ी हुई समस्या कुछ ऐसा ही विषय है जिस पर हमें राजनीतिक चक्रव्यूह में न फँसकर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा। आज आवश्यकता इसी बात की है।

महोदया, हम कहते हैं कि जो रिसर्च वर्क कृषि के क्षेत्र में होता है, उसका लाभ किसान को मिलना चाहिए। बाँयो-टेक्नोलॉजी का उपयोग किसान करे, इस बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो मूल्य निर्धारण समिति होती है, उसमें हम किनको रखते हैं? उसमें हम उनको नहीं रखते हैं जिन्हें किसानों की समस्याओं का ज्ञान है, किसानों की परेशानियों का ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा था कि राजीव गांधी जी के दौर में टेक्नोलॉजी मिशन के जरिए बहुत काम किया गया था। फूड प्रोसेसिंग एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था। एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए थे और ऐडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जा रहा था लेकिन आज हम उससे दूरकिनार होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऐग्रीकल्चर से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उनके मन में निराशा और हताशा है। एक तरफ़ हिन्दुस्तान के किसान के मन में निराशा और हताशा है और दूसरी तरफ़ जो कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उनके मन में निराशा और हताशा है। मैं केवल एक मिसाल देना चाहूंगा कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ़ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च है वहां क्या हो रहा है? वहां यह हो रहा है कि जो उसके डायरेक्टर जनरल डा. आर.एस. परोड़ा हैं, उनको निकाल दिया गया है। उनको इसी सरकार ने निकाला है जिस सरकार ने उनको पद्म-भूषण से अलंकृत किया था। मैं डा. आर.एस. परोड़ा की न तो पैरवी कर रहा हूँ और न ही उनका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन उनको जिस ढंग से निकाला गया है, उस पर कृषि वैज्ञानिकों ने रोष व्यक्त किया है। प्रश्न डा. परोड़ा का नहीं है। प्रश्न यह है कि कृषि वैज्ञानिकों के मन में तरह-तरह की बातें क्यों आ रही हैं? फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम ऐडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे? आप डा. परोड़ा को न रखिए, किसी और को रखिए लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को रखिए जिसके बारे में कृषि वैज्ञानिकों के मन में तरह-तरह की शंकाएं न उठें। आदमी को चूज़ करने का दायित्व आपका है लेकिन उसके क्रियाकलापों पर नज़र रखने का दायित्व किसी और का है, उसी की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ।

महोदया, दो-तीन बातें कही गई थीं कि जो डब्लू.टी.ओ. डिस्प्यूट सैटलमेंट हुआ था, वह समझौता किसी और के जमाने में हुआ था। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। यह जो समझौता हुआ था, यह वाजपेयी जी के जमाने में हुआ था, यह समझौता दिसंबर, 1999 में हुआ था, यह किसी और के समय में नहीं हुआ था। जब बाउंड रेट की बात आई थी तो यह कहा गया था कि हम सोयाबीन पर 45 प्रतिशत से अधिक ड्यूटी नहीं लगा सकते क्योंकि बाउंड रेट किसी और समय तय हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल, 1994 को जब ऐग्रीमेंट साईन हुआ था तब प्राइमरी प्रॉडक्ट्स पर 100 प्रतिशत, प्रोसेस्ड प्रॉडक्ट्स पर 150 प्रतिशत और ऐडिबल

ऑयल पर 300 प्रतिशत का बाउंड रेट तय किया गया था। जब नेशनल फ्रंट सत्ता में था, जिसके एक सदस्य वर्तमान कृषि मंत्री जी भी थे, उस समय इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई थी। अब बहुत समय के बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और तीन बार एक साथ बढ़ाई गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह कदम ठीक नहीं है। यह कदम आज की परिस्थितियों के आधार पर ठीक है क्योंकि आज जो कृषि उत्पाद के मूल्य प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए यदि कोई सबसे बड़ा कारण है तो वह ऐडिबल ऑयल का इंपोर्ट होना है। जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ाई है, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि देर आयद दुस्त आयद। यह कदम ठीक है। यह कदम आपको बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। खाद्य तेलों में 1990 से 1994 के बीच में जो आयात हुआ था, वह लगभग 4 प्रतिशत था और अब वह लगभग 40 प्रतिशत है। यह एक फर्क आ गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आवश्यकता किसी बात की है ही नहीं तो इन चीजों के आयात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहते हैं कि इस चीज के दाम नहीं बढ़ें, उस चीज के दाम नहीं बढ़ें। मैं केवल सरसों का जिक्र करना चाहूंगा कि 1990 में जो सरसों की कीमत थी वह 1800 रुपये प्रति क्विंटल थी और जो डीजल की कीमत थी वह 5 रुपये प्रति लीटर थी। आज सरसों की कीमत 1200 प्रति क्विंटल हो गई है और डीजल की कीमत है वह 18 रुपये प्रति लीटर है। सत्य यह है। डीजल का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करता है मोटर चलाकर, क्योंकि किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है इसलिए वह मोटर चलाता है और मोटर डीजल से चलती है। डीजल के भाव बढ़ गए हैं इसलिए कृषि उत्पाद पर उससे फर्क पड़ता है। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है, इण्डस्ट्रियल हाऊस वाले को बिजली मिल रही है। किसान को कर्ज नहीं मिल पा रहा है बैंक से, इण्डस्ट्रियल हाऊस वालों को कर्ज मिल रहा है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इण्डस्ट्रियल हाऊसेज वालों को सुविधा दी जा रही है। तो यह सारी स्थिति हो गई है। और तो और इस देश में 60 हजार करोड़ रुपये का जो कर्ज है उसे राइट-ऑफ करने के बारे में यह सरकार विचार कर रही है लेकिन किसानों की सब्सिडी के बारे में विचार नहीं कर रही है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जब हम यह कहते हैं कि इस देश को सम्पन्न किया जाए तो उसके लिए किसान को सम्पन्न करना आवश्यक होगा। हमारे मंत्री जी ने सदन में 2 मई, 2000 को जब उत्तर दिया था तो यह कहा था कि जो प्रति व्यक्ति आय है ... (समय की घंटी)

महोदया, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि में जो भारत का स्थान है वह 177वें स्थान पर है। इतने पीछे है। यह आगे कब होगा जब इस देश का किसान खुशहाल होगा। भारत विश्व का नया कर्जदार देश है। भारत आत्मनिर्भर कब होगा, जब भारत का किसान आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कदम उठाएं। कृषि नीति पर बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

बहुत जोर-शोर से यह बात कही जा रही है कि हम कोई और कृषि नीति का मसौदा तैयार नहीं कर पाए। कृषि नीति हमने तैयार की है। महान भारत देश की जो कृषि है, इस कृषि नीति के जरिए उसको विदेशी कम्पनियों और खास तौर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में रखने की एक साजिश है। अगर कृषि नीति को आप गौर से देखें तो खास तौर से उसका जो 'आदान-प्रदान' उप-शीर्षक है उसकी धारा-23 को आप देखें तो उसमें कई विसंगतियां हैं। साथ ही कृषि नीति की बिन्दु संख्या 37, 14 में कमियां हैं। कृषि नीति में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसकी कौन-कौन सी किस्में वाणिज्यिक होंगी, कौन-कौन सी किस्में वाणिज्यिक नहीं होंगी। जैसे

गन्ना है, कपास है, आपका वनस्पति तेल है, तिलहन है। यह सारा उस परिधि में आता है। यहां विश्व व्यापार संगठन की बात कही जाती है। अभी अप्रैल, 2000 में अमेरिकन प्रेजीडेंट महोदय आए थे और उनके समय 714 वस्तुओं को आयात करने की छूट बेरोकटोक दे दी थी हमने और उन वस्तुओं में ज्वार, बाजरा, चावल आदि यह सारी चीजें थी। तो यह जो कदम उठाए गए यह दरअसल किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए नहीं उठाए गए हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि हम प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि किसानों के हक में नीति निर्धारित किया जाना जरूरी है। नीति निर्धारण का काम जिन हाथों को हम सौंपें, जिन नीति निर्धारकों को सौंपें उन लोगों को सौंपें, महोदया, जो किसानों के दर्द को समझते हैं, जो किसानों की समस्याओं को समझते हैं। नीति किसानों के दर्द को समझने वाले लोगों के द्वारा बनाई जानी चाहिए, नीति नागपुर के आर.एस.एस. आफिस द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए, डोरें वहां से नहीं हिलने चाहिए। मेरी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और नीति जब बने तो नीयत भी बहुत साफ होनी चाहिए। सही नीयत के साथ सही नीति जब बनेगी तब किसानों के साथ न्याय होगा, ऐसा मेरा मानना है और राष्ट्रीय कृषि नीति में खास तौर से जो बिन्दु संख्या 37 में और 14 में विसंगतियां रह गई हैं उन पर भी गौर किया जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे अवसर दिया उसके प्रति मैं आपका प्रगट करता हूं इस आशा और उम्मीद के साथ कि जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, जो स्वयं इंजीनियर हैं अपने वैज्ञानिक सोच को ध्यान में रखते हुए कृषकों के हित में कदम उठाएंगे ताकि किसानों के सामने जो समस्या है उस समस्या से उनको मुक्ति मिल सके।

श्री रामचन्द्रैया रुमन्दला (आन्ध्र प्रदेश): उपसभापति महोदया बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदया, किसानों के बारे में कितना भी बोलो वह कम है। मेरे से पहले कई महानुभावों ने किसानों के दर्द के बारे में बोला है, लेकिन आज भारत देश में हर कोई राजनीति करने वाला बात करते समय, भाषण देते समय यह बोलता है कि भारत गांव प्रधान देश है, भारत किसान प्रधान देश है, भारत देश में किसान हमारी रीढ़ की हड्डी के समान है, इन शब्दों का बहुत उपयोग करते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बात आती है, कष्ट निवारण करने की बात आती है तो किसानों के बारे में कोई दिल खोलकर देने के लिए तैयार नहीं है। आज भारत देश में आप किसी भी प्रांत में, राज्य में चले जाइये किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है, किसान तकलीफ में हैं। जब किसान अपने अनाज को बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो उनके अनाज को दलाल लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं। दलाल लोग किसानों की जिंदगी से खेल रहे हैं। किसानों को उनके अनाज का जितना दाम मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल पाता है। इसके बारे में सारे भारत में सबको मालूम है। फिर भी, भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। इसकी क्या वजह है? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह जनता के हित के लिए क्या करने की सोच रही है? जो सबको अन्न देता है वह खुद पेट भरकर नहीं खाता है। वह सारे भारतवासियों के लिए, सौ करोड़ जनता के लिए अनाज पैदा करके देता है। हम कुछ समय पहले सुनते थे कि भारत में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, शक्कर नहीं है जो विदेशों से लाते थे, लेकिन आज जहां भी जाइये वहां पर गेहूं, चावल है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। इसके बारे में सबको मालूम है, लेकिन भारत सरकार को इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है? जनता यह सोच रही है कि भारत सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, यह केवल कुछ लोगों का पेट भरने के लिए ही काम कर रही है। उदाहरण के रूप में किसानों के विषय में देखा जाए तो तीन मुद्दे मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना

चाहता हूँ। एक, सही बिजली हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, उनके खेतों की रक्षा के लिए दवाएं देनी हैं। चोर लोग गलत दवाएं, नकली दवाएं कम्पनियों में तैयार करके बड़े-बड़े दामों पर बाजार में बेच रहे हैं। तीसरी बात यह है कि किसान गांवों में रहते हैं, वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। उनको ठीक से पढ़ना नहीं आता है। इसलिए इन दलालों से वे बहुत धोखा खा रहे हैं। इन तीन मुद्दों पर भारत सरकार को सुदृढ़ उद्देश्य से, सही ढंग से, उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। लेकिन उसके लिए सोचने के बजाय किसानों को और किस प्रकार से दबाना है इस विषय में कानून बना रही है। उदाहरण के रूप में जब किसान चावल, धान लेकर या कोई और चीज लेकर बाजार में या हाट में जाता है तो सौ रुपये के माल को पचास रुपये में लेने के लिए दलाल लोग, व्यापारी लोग सामने आ जाते हैं। इसको रोकने के लिए भारत सरकार गोदाम बनाकर सही दाम उनके लिए डिक्लियर करके, किसानों के बारे में कुछ मला सोचकर के उनकी मदद कर सकती है। मैं आन्ध्र प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ। आन्ध्र प्रदेश के किसान बहुत परेशान हैं। सरकार ने पंजाब के किसानों की मदद की है, लेकिन आन्ध्र प्रदेश के किसानों की फसल का वहां पर तूफान आने से नुकसान हुआ है। वहां पर धान की खेती में कमी आई है। वहां पर किसान जब धान को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है तो उसे 550 रुपये का दाम मिलने के बजाय केवल 350 रुपये ही दाम मिल पा रहा है। इसके संबंध में हमारे मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से कई बार उत्तर-प्रत्युत्तर किया है और उन्होंने कृषि मंत्री जी से बातचीत की है। एफसीआई वालों को जिस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वे उस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यह भारत सरकार को भी मालूम है। गोदामों में पिछले वर्षों से कुछ अनाज पड़ा हुआ है, वहां अनाज रखने के लिए जगह नहीं है और कोई भी उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है जिससे किसान बहुत तकलीफ में हैं। उन तकलीफों को दूर करने के लिए भारत सरकार को दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लॉग टर्म, शॉर्ट टर्म और वर्तमान स्थिति में किसानों को किस तरह से मदद करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसी परिस्थिति में सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र उचित कदम उठाए जाएं ताकि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकें और वे हिम्मत से, आत्मनिर्भरतापूर्वक सरकार पर मरोसा कर सकें कि हम जो अनाज पैदा करते हैं, उसके मार्केट में सही दाम मिलेंगे और हमारी स्थिति में सुधार होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

उपसभापति : आप हिन्दी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप हिन्दी में ही बोला कीजिए। श्री संघ प्रिय गीतम।

श्री संघ प्रिय गीतम : उपसभापति महोदया, माननीय श्री पचीरी जी ने भाषण के प्रारम्भ में यह कहा था कि यह विषय ऐसा है और अन्य जो ऐसे विषय होते हैं, उनमें हमें राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए लेकिन उन्होंने सारा दोष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से उनकी सरकार पर मढ़ दिया। इसलिए अब हमें इस विषय की कुछ समीक्षा करनी चाहिए और हमें वास्तविकता की ओर देखना चाहिए। महोदया, यह बात सही है कि किसानों की दशा दयनीय है। यह चिंता का विषय है और यह सारे देश की चिंता है। किसानों की इस दुर्दशा से मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन महोदया, हमने आजादी के पहले का समय देखा है। उस वक्त हमारे देश में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, अच्छी खाद नहीं थी, संयंत्र नहीं थे, अच्छे बीज नहीं थे, कीटनाशक दवाएं नहीं थीं और साल में केवल एक फसल होती थी, बहुत सारी जमीन बगीर बोए पड़ी रहती

थी। किसान मोटा अनाज खाते थे, मोटा कपड़ा पहनते थे, झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन आजादी आने के बाद वैज्ञानिक क्रांति, तकनीकी क्रांति, हरित क्रांति, कृषि क्रांति, नये उन्नत बीज, खाद, पानी, बिजली और संयंत्र - इन सबका उपयोग होने के बाद हमारे देश की कृषि और किसानों की स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। हमारे देश में अब शायद ही कोई खाली जमीन रहती हो, तीन-तीन फसलें एक साल में पैदा होती हैं और यहां हर तरह के तिलहन, दलहन, खाद्यान्न पैदा होते हैं। इसके अलावा किसान अब अच्छा खाता भी है, पक्के मकान में भी रहता है, ट्रैक्टर भी इस्तेमाल करता है और बहुत सी चीजों का उपभोग भी करता है। इसलिए अकेले यह कहना कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, गलत होगा। सुधार हुआ है। महोदया, सरकारें सबकी रही हैं। कांग्रेस की सरकार रही, संयुक्त मोर्चा की सरकार रही जिसमें बाहर से और भीतर से अनेकों दल शामिल थे। आज जो सरकार है, इसमें भी बाहर से और भीतर से अनेकों दल शामिल हैं। सबने इस देश में हुकूमत की है इसलिए किसान की दशा, दुर्दशा और सुदशा - इन सबके लिए हम सब जिम्मेदार हैं लेकिन फिर भी आज यह किसान की हालत अच्छी क्यों नहीं हुई, इस संबंध में मैं ऐसी कोई भी बात जो अन्य सदस्यों ने कही है, नहीं दोहराऊंगा और बिल्कुल नयी बात बताऊंगा। यह सबको मालूम है कि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा पांच हजार वर्ष का सभ्यता का इतिहास है। भारत विश्व में चमड़े और कपड़े का सबसे बड़ा व्यापारी रहा है और कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, आम तौर से हमारे देश में उन्हीं में लोग लगे रहे हैं और उन्हीं के आधार पर हम व्यापार करते रहे हैं लेकिन क्या हुआ? बार-बार आपने कहा कि 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत जनता देहातो में रहती है लेकिन देश में सरकारों ने 40 साल तक अपने बजट का केवल 30 प्रतिशत धन खेती पर खर्च किया जब कि 70-75 प्रतिशत पैसा खेती पर खर्च होना चाहिए था। केवल एक बार चौधरी चरण सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने कृषि पर पचास प्रतिशत खर्च किया। और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 60 प्रतिशत पैसा खेती के लिए आबंटित हुआ है। तो यह क्या होना नहीं चाहिए था? 70-75 प्रतिशत लोगों की अगर यह चिंता थी तो इतना पैसा देहातों, खेती और किसानों पर क्यों नहीं खर्च हुआ? यह सबकी गलती है। इसके बाद हमारे देश में जब लोग यह जानते थे कि जंगलात को अगर हम छोड़ दें तो खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, इंधन, फल-फूल, साग-सब्जी, चारा, ये सब किसान पैदा करता है और ये सब उपभोक्ता आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर इंसान का जीवन आधारित है, तो सबसे ज्यादा ध्यान इधर देना चाहिए था। हम चक्कर में फंस गए इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी के। इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी रोट्टी भी दे देगी, कपड़ा भी दे देगी, मकान भी दे देगी और हम खेती टेक्नालॉजी को भूल गए। कृषि टेक्नालॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी, किसान टेक्नालॉजी, उद्योग टेक्नालॉजी, रोजगार टेक्नालॉजी, ये सब हम भूल गए। ... (व्यवधान)... देखिए, बात सुनिए। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। तो चुनांचे हम चक्करों में पड़ गए, आप भी, हम भी और सारा देश भी। वह जो असल था, उसको हम भूल गए। इसके अलावा जब हमने पैसा खर्च नहीं किया, खेती को, किसान को महत्व हमने नहीं दिया और एक बात फिर पैदा हुई कि किसान की लागत के दाम बढ़ गए। अब आप लोग कहते हैं कि किसान को समर्थन मूल्य ज्यादा मिलना चाहिए। यहां सब लोग यह चिल्लाते हैं लेकिन अगर किसान का समर्थन मूल्य बढ़ाते रहेंगे और एक हजार रुपए क्विंटल भी अगर किसान को समर्थन मूल्य हम दे दें तो बाजार में किस भाव बिकेगा गेहूं? बीस रुपए किलो? तब फिर जिन्हें दो टाइम का भोजन नहीं मिलता, एक टाइम कभी भरपेट खाना नहीं मिलता, उनकी दशा क्या होगी? उनकी संख्या बढ़ेगी। इसलिए हमें have nots, below poverty line जो 40 परसेंट लोग रह रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। किसान को समर्थन मूल्य चाहे कम दो लेकिन किसान को खाद सस्ती मिले, किसान को बीज

सस्ता मिले, किसान को पानी सस्ता मिले, किसान को बिजली सस्ती मिले, किसान को कीटनाशक दवाइयां सस्ती मिलें, किसान को ट्रैक्टर सस्ता मिले और किसान का माल पैदा होने के बाद बगैर मीन-मेख के तुरंत बाजार में बिक जाए और उसका भुगतान तुरंत हो जाए तो किसान की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी। क्या यह चिंता की किसी ने? आज हमारे एम.पी. लोग सबसिडाइज्ड खाना खाते हैं। पांच रुपए का चाय का प्याला मिलता है कनॉट प्लेस में, हम पचास पैसे में पीते हैं, क्या यह सबसिडाइज्ड नहीं है? पैंसठ पैसे में हम कॉफी पीते हैं, क्या यह सबसिडाइज्ड नहीं है? सौ रुपए का खाना सात रुपए में खाते हैं, क्या यह सबसिडाइज्ड नहीं है? "माल मारे घासी और दंड भुगतें हुलासी।" यानि हम सबसिडाइज्ड रेट पर खाएं और किसान की सब्जी की बात आए तो हमारी नानी मर जाए। हम मीन-मेख निकालें, हम अपनी नीतियों का हवाला दें।

उपसभापति : अब नानी को बीच में क्यों ला रहे हैं? उनका क्या ताल्लुक है?

श्री संघ प्रिय गीतम : मैडम, क्षमा करना, यह एक कहावत है। इसका मतलब यह नहीं है कि नानी मर ही गई। और हम लोगों की नानी होगी भी कहाँ? हम तो खुद ही नाना हो गए।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब हमने किसान को सस्ते दामों पर चीजें मुहैया नहीं कराई तो दूसरी ओर क्या हुआ? किसान की होल्डिंग यानि उसकी जो ज़मीन है, उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया। परिवारों के विभाजन के बाद किसान लघु कार्शतकार हो गया और जो लघु कार्शतकार है, स्मॉल होल्डिंग करने वाला, वह अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकता। वह ट्रैक्टर नहीं लगा सकता, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता इसलिए हमारे देश में सहकारिता के आंदोलन को बढ़ना चाहिए था, मिल-जुल कर खेती होनी चाहिए थी लेकिन इस आंदोलन को कोई बल नहीं मिला। छोटे-छोटे किसानों ने लैंड डेवलपमेंट बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रखकर ट्रैक्टर खरीदे। ट्रैक्टर के पैसे का भुगतान नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट नहीं गई तो ट्रैक्टर भी चला गया, ज़मीन भी चली गई। कुछ लोगों ने आंसू बहाए अपने, मैं भी मानता हूँ कि किसानों ने आत्महत्याएं कीं। आत्म हत्या इसलिए की कि वे गरीब हो गए, इसलिए की कि वे कर्जदार हो गए, ट्रैक्टर का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। लेकिन गरीब और कर्ज से हत्याएं और आत्म हत्याएं अकेले किसानों की नहीं की हैं, कुछ उद्यमियों ने भी की हैं और समाज के अन्य लोगों ने भी की हैं। एक परिवार की ती-चार सगी बहनों ने जब यह देखा कि उनके मां-बाप के पास शादी में देने के लिए दहेज नहीं है तो उन्होंने भी आत्म हत्या कर ली। यह सामूहिक आत्म हत्या अकेले किसान की नहीं है यह गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, कर्ज के कारण और भुखमरी के कारण हुई है। किसान की जोत कम हो गई और उसके बाद किसान का माल खरीदो के लिए हमारे देश में भंडारण नहीं है। आलू यू.पी. में पैदा होता है, उसका भंडारण नहीं है, प्याज महाराष्ट्र में पैदा होता है, उसका भंडारण नहीं है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में पैदा होता है, उसका भंडारण नहीं है, मूंगफली गुजरात में पैदा होती है, उसका भंडारण नहीं है, चावल पंजाब में पैदा होता है, उसका भंडारण नहीं है। उसका गल्ला कहाँ जमा हो, उसको कोई खरीदो वाला भी नहीं है। इसके अलावा हमारे लोग सब सरकारी नौकरों को गाली देते हैं, मीनमेख निकालते हैं। किसी ने कल ही कहा कि पंजाब में एफसीआई वाले सरकारी नौकरों ने गलत अफवाह फैला दी है। ये क्या अमरीका के हैं, इंग्लैण्ड के हैं और क्या रूस के हैं? ये हमारे देश और प्रदेश के ही हैं, हमारे चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, भैया, भतीजे, जात-बिरादरी, रिश्तेदारी के ही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे आप क्षमा करें, बहुत सी गलतियाँ भी मुझसे होती हैं और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे सगे ताऊ के लड़के की लड़की की लड़की की

शादी 1953 में थी। यानी मेरी दोहती की शादी थी। उस समय मैं बीएससी में पढ़ता था और मेरा देहुता सब इंस्पेक्टर पुलिस था। आपके सुनने लायक बात है। जब शादी हो गई और बारात बिदा हो गई और जब सारे पंच पगड़ी बांधकर बैठे थे तो तारीफ करो लगे कि सब इस लड़के की मेहरबानी है, यह कितना लायक निकला। इसने तीन साल की दरोगाई में 15 बीघा जमीन खरीद दी, दो कमरों का मकान बना दिया और 2,000 रुपये में लड़की के हाथ पीले कर दिए। वे मेरे दोहते की तारीफ कर रहे थे। मैं जानता था कि मुझे मारेगा नहीं इसलिए मैंने कहा कि यह सबसे नालायक है। इसको तनख्वाह 120 रुपये मिलती है और डी.ए. 30 रुपये कुल 150 रुपये मिलते हैं। यह गैबरडीन और मक्खन जीन की पैट पहनता है और भैंस भी रखता है। यह पैसा कहां से आया, 15 बीघा जमीन कहां से आई और मकान कहां से बना, यह सब रिश्तत का पैसा है। इसने कितने अपराधियों को छोड़ा होगा और कितने बेगुनाहों को फंसाया होगा। बताओ तुमने कितने बेईमान अफसरों को पकड़कर काला मुंह करके, गधे पर चढ़ाकर निकाला और कितनों को गिरफ्तार करवाया, गाली क्यों देते हो इन्हें। "माल न खावै आपनौ चोरे गाली देय।" हम सब इनकी मदद कर रहे हैं और यही हमारा दोष है। इसलिए ये लोग नहीं सुधरे और किसानों की हालत खराब हो गई। इसके अलावा किसान चंदा भी नहीं देता है इसलिए किसी पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। कम्युनिस्ट भाइयो आप तो हड़ताल करते हो, मजदूर हड़ताल करता है, एमएलए हड़ताल करता है और रिक्शे वाला हड़ताल करता है किसान हड़ताल नहीं करता है इसलिए उसकी बात कोई नहीं सुनता। किसान की कोई जात नहीं है, वह सब जातियों में बंटा हुआ है, कोई ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, कोई गूजर है और कोई अहीर है। हर बिरादरी की राजनीतिक पार्टी बनी हुई है और हर बिरादरी का नेता बना हुआ है। आज किसान की कोई कौम नहीं है इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं करता। और फिर किसान का आन्दोलन खड़ा करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। किसान के अंदर आज कुछ बुराइयां भी आ गई हैं। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं पार्लियामेंट का सदस्य दूसरी बार हूं। मैं वेस्टर्न कोर्ट के एक कमरे में दस साल रहा हूं। पैदल आना और पैदल जाना, झाड़ू, पोंछा अपने आप करना, नौकर रखना नहीं, मैं सारी तनख्वाह बचाता हूं। मेरा फिजूल खर्च कुछ नहीं है। आप दिल्ली के आस-पास चले जाएं तो पाएंगे कि किसानों ने ट्रैक्टर और जमीन गिरवी रखी हुई है और वे शराब पीने लगे हैं।

वे लाखों रुपये डेकोरेशन पर खर्च कर रहे हैं, दान-दहेज में खर्च कर रहे हैं। इस फिजूलखर्ची के कारण किसान गरीब हो रहे हैं, उनके विकास के काम रुक रहे हैं और वे कर्ज ले रहे हैं। क्या हमें इस चीज को नहीं देखना चाहिए? जो बुराइयां हैं क्या उनका सुधार नहीं करना चाहिए? हमें करना चाहिए। लेकिन हम में से किसी का भी ध्यान उस तरफ, किसान की तरफ नहीं है। मैं कुछ बातों की तरफ जनेश्वर मिश्र और पंचौरी भाई का ध्यान चाहता हूं। क्रियान्वयन हो न हो या कितना हुआ यह अलग बात है। मंजिल मिले या न मिले मंजिल की जुरतजू में मेरा कारवां तो है। मैं फिर से इसी बात को दोहरा रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार 60 प्रतिशत राशि का आवंटन खेती और ग्रामीण विकास के लिए किया, 70 लाख क्रेडिट कार्ड आवंटित किए, फसल का बीमा हो और किसान को पैसा मिले, इसका निर्णय लिया, चाहे फाल्टी हो या गलत हो, चाहें तो संशोधन भी कर लीजिए लेकिन कृषि नीति निर्धारित की। आप इस पर चर्चा कर लें, संशोधन हो जाए तो संशोधन कर लें लेकिन नीति तो निर्धारित की ही उन्होंने। जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री बनकर गए तो इस साल का 95 प्रतिशत गन्ने का भुगतान किसान को 30 अक्टूबर तक कर दिया गया। 5 प्रतिशत, जो बकाया था उसकी आखिरी तारीख 30 नवम्बर थी वरना कुर्की कराने का आदेश था। जो बकाया है वह पुराना पैसा

है। मैं जो बता रहा हूँ वह ऑथेंटिक आंकड़े बता रहा हूँ। रामकोला में जो आंदोलन हुआ उसके गलत आंकड़े और गलत सूचना पेश की गई। वहां गोली चली पब्लिक के बीच से...(व्यवधान)... पहले सुन लें, हैब पेशेंस, मैं सच बोलता हूँ। पार्लियामेंट में राजनीतिज्ञ सच नहीं बोलते, मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ।

श्री रमा शंकर कौशिक : सच नहीं बोलते? आप अपनी बात कहिए। सच नहीं बोलते।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने राजनीतिज्ञ कहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वहां आंदोलन हुआ और आपस में ही गोली चल गई और मरा कौन? खोमचा बेचने वाला एक आदमी था उसे कह दिया कि किसान मर गया। खोमचे बेचने वाला था चाहे तो इसकी पुष्टि कर लीजिए। इसके अलावा पहली बार चीनी का रिकार्ड उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस बार भी चीनी का रिकार्ड उत्पादन होने जा रहा है...(व्यवधान)..

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : किसान का लड़का मरा है।

श्री संघ प्रिय गौतम : पहले सुन लें बाद में बोलें। इस साल चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और हो रहा है। गन्ने के भुगतान से संबंधित एक बात जरूर है कि आज चीनी मिलें बंद होने की कगार पर हैं। चीनी मिलें ही नहीं हमारे देश में तो सभी मिलें बंद होने की कगार पर हैं इसलिए साम्यवादी भाइयों आप कितना ही चिल्लाए, कितना ही चिल्लाएं जो चलने लायक नहीं रहें वे मिले नहीं चलेगी।...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : कितना भी चिल्लाओ तो क्या होगा...

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। मैं आखिरी एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक नेता जी भाषण दे रहे थे। सब उठ गए पर एक बुढ़िया बैठी रही। नेता जी ने कहा कि शायद मेरा भाषण बहुत अच्छा लगा इसलिए तुम बैठी रही, नेता जी बहुत जोर से बोल रहे थे। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो इसलिए बैठी रही कि मेरा कटड़ा मर गया था, वह भी तुम्हारी तरह ही चिल्ला-चिल्लाकर मरा था। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। अतः साम्यवादियों तुम कितना ही चिल्लाते रहो, चिल्लाते-चिल्लाते तुम्हारी राष्ट्रीय मान्यता समाप्त हो गई और अब प्रदेश से भी मान्यता समाप्त हो जाएगी। ज्योति बसु चले गए, बुद्धदेव आचार्य जी भी चले जाएंगे और दुबारा नहीं आएंगे। वे कल नहीं होंगे तुम कितना ही चिल्लाते रहो क्योंकि आज हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं।

मैं एक और बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में...(व्यवधान)...मैंने कह दिया। आप सुन नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं सब फर्टिलाइजर्स के खिलाफ हूँ। मैं केवल दो फर्टिलाइजर चाहता हूँ, गोबर की खाद और हरी खाद। इसके अलावा मैं हर खाद के विरुद्ध हूँ। अगर हम किसानों के पशुधन को बढ़ावा देते तो उससे हम गोबर गैस भी बना सकते थे और हमें बिजली की जरूरत भी नहीं होती। हम परम्परागत स्रोतों से बिजली पैदा करके देहातों में बिजली की आपूर्ति कर सकते थे, करा सकते थे। लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं दिया। इससे हमारा गोबर गैस प्लांट भी फेल हो गया। इसलिए मैं आपसे अंत में प्रार्थना करूंगा कि --

उपसभापति : कितनी बार आपका अंतिम वाक्य होगा। ...**(व्यवधान)**...प्लीज कीप क्वाइट, डांट इंटर्रेस्ट। आप खत्म कीजिए नहीं तो आपकी पार्टी के लोगों का टाइम जा रहा है। I am not responsible for it.

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदया, सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार अपने ही निर्णय बदले हैं। मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ, अपनी पार्टी के नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप की किसानों संबंधी जो तमाम नीतियां हैं उन पर सब मिलकर विचार कीजिए और जहां भी संशोधन, परिवर्धन, एडिशन अगर किसानों के हित में हो सकता है उसे करने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मसला है। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Madam Deputy Chairperson, the peasants and agricultural workers in our country are experiencing extreme difficulties and hardships. Never before in the history of Independent India, peasants and agricultural labourers faced so serious a threat to their livelihood as it is now. Certain policies pursued by the Government in the name of reform programmes have aggravated the crisis. If this crisis prolongs, it may develop into a severe crisis engulfing all the sectors of economy. So, it is necessary to take practical measures to solve this crisis.

Peasants and agricultural workers are very restive and have begun to resort to various forms of struggle. Tens of thousands of peasants and agricultural workers belonging to different political shades and different States will come over to the capital city of Delhi on 30th of this month to demonstrate before Parliament to press their demands.

Lifting Quantitative Restrictions (QRs) on imports is one such step which had worked havoc. It is said to have been done to comply with the WTO agreement. But, in fact, the quantitative restrictions have been withdrawn before the time-limit stipulated in the WTO agreement.

The European Union, and several countries like Britain, Japan, Canada and Australia had agreed that the quantitative restrictions may be withdrawn only by March 31st, 2003. But, the USA alone pressurised India to do it earlier, and the Government of India succumbed to this pressure and agreed to lift quantitative restrictions on 715 items on March 31st, 2000; and the balance on 31st March, 2001. Maybe, it was done to win the favour of the USA. But this is done at the expense of the peasants, agricultural labourers and the national interests. The prices of most of the agricultural crops have fallen heavily. I may state a few cases. Prices of coconut fell from Rs. 7 to 8 to Rs. 2 per nut; price of rubber fell from Rs. 60-65 per kg to Rs. 25-30; price of coffee from Rs. 58 to Rs. 30; and price of tea

3.00 P.M.

from Rs. 15 to Rs. 3. Due to heavy fall in prices, the peasants have incurred heavy losses. Their indebtedness has increased. Marginal and poor peasants are those who suffered the most. In fact, the peasants are in great distress and the desperation is leading them to take extreme steps like suicides. In the case of agricultural labourers, their working days in a year have further declined. Their real wages have also gone down. The refusal of the Government to pass a comprehensive legislation for the benefit of the agricultural workers has made their situation worse. Now, I would like to appeal to the Government, through you, Madam Chairperson, to take urgent steps to introduce and pass such a Bill.

The steps taken by the Government to ensure a minimum support price (MSP) have failed miserably. In several cases, the peasants had to sell their products at prices less than the MSP declared. This system will have to be reviewed and improved upon to ensure the peasants the MSP. Another step taken by the Government is to cut down subsidies. The Government has increased the price of fertilizers, pesticides, charges on electricity, irrigation water, etc. The price of diesel has been increased by 60 per cent. This has added to the worries of the peasants. This is also being done in the name of complying with the terms of the WTO Agreement. But, strangely enough, the highly developed countries like the USA, EU and Japan are giving high subsidies to their farmers. They are also given higher export subsidies. The subsidies that are paid to the farmers in India are very much less. Yet, the developed countries are compelling India to cut subsidies, and, strangely enough, the Government of India is yielding to their pressure and has declared that subsidies would be fully abolished shortly.

The devastating floods and drought which affected various States and vast areas have confounded the situation. The Government has failed to take effective relief measures. In the case of West Bengal, it pursued a policy of discrimination. Increasing the prices of foodgrains distributed through the Public Distribution System had led to a virtual dismantling of the Public Distribution System. This has led to a serious situation on the foodgrains front. The offtake from the PDS has been drastically reduced. The Food Corporation of India godowns are full with foodgrains. Further procurement has become difficult and the peasants had to undersell their produce. This has also added to the crisis. Thus, a very serious crisis has

developed in the agrarian sector. If this crisis prolongs, it may develop into a severe economic crisis, embracing all sectors of the economy.

The National Agricultural Policy which was announced will not help in improving the situation. It proposes reversal of the existing ceiling laws and would lead to dispossession of peasants of their lands. It will also clear the path for the entry of multinationals in the agricultural sector. Therefore, I appeal to the Government through you, Madam Deputy Chairperson, to review the entire policies and adopt concrete practical measures to find a solution to the crisis. Thank you.

SHRI K. RAHMAN KHAN (karnataka): Madam Deputy Chairperson, in the past 50 years, the Indian farmer was never in such a difficulty as he is today. The farmer who produces food for the nearly one billion people of our country is crying, screaming and dying. To all these things, the Government is remaining a silent spectator. Several Members in this House and in the other House have expressed their concern on the plight of the Indian farmer. What are the issues of the Indian farmer? There are many issues. The farmer is not getting remunerative prices. The Government has failed to ensure a minimum support price to the farmer. They have also failed to provide marketing facilities to sell his produce at the Minimum Support Price. He also wants agricultural inputs at economical price. He wants to get the maximum price for his foodgrains, either through the Public Distribution System or in the open market or through other agencies established by the Government. He wants that the Government should come to his rescue when he doesn't get the remunerative price.

Now, what is happening? We are not discussing whether this system which has been established, is working properly or not. Where has the failure occurred? Why is the cost of production of the agricultural produce very high when compared to the international prices? We are saying that all this is due to the signing of the W.T.O. Agreement. If the Government is saying that they were not responsible for signing the W.T.O. Agreement, the previous Government had committed this mistake, this will not solve the problem. That is the reason why the farmer is facing a lot of problems. We have signed it and it has been made amply clear that the Government has acted in haste in removing the quantity restrictions much earlier than it was required. Instead of debating this issue as to who signed it, how it has happened, it is a reality and we have to accept the ground

reality. But let us come to the basic issue of whether our agriculturists are able to produce their product at a proper price or not. If the cost of the agricultural produce is high, what efforts have been made by the Government to bring down the cost of production to make our agricultural produce more competitive in the international market? Our economy is based on agriculture. We have to take advantage of the W.T.O. membership. Our farmers should be able to sell their produce in the international market. Where has the failure occurred? What efforts have been made by the Government in this regard? The other day, the hon. Minister was saying that our food processing industry is weak. As compared to smaller countries, who are producing and exporting, it has not been modernised. Today, the question is: "Why is the farmer not able to compete?"

Why are we not preparing our farmer to face the competition? What efforts have been made by the Government to see that the produce of our farmer is more competitive in the international market and he is able to challenge the world market in this regard as we have done in the other fields?" Have we not done it in the field of software export? How have we achieved this? This has been achieved by creating expertise and by developing ability. Today, we are not concentrating on that. The Government has to come out with a statement as to how we are going to increase the productivity. I fully agree with the hon. Member, Shri Sangh Priya Gautam, that whatever is produced by the small and marginal farmers, will not be remunerative, because his cost of production would be higher.

How can we do cooperative farming? How can the technology be utilised? When the farmers of other countries can do it, is our farmer so weak that he can't do it? These are some of the basic issues which we have to address. On the one hand, the farmer is not getting remunerative prices. On the other hand, our distribution system is very faulty. If you go to the market, the prices of consumer goods are increasing. The prices in the retail market have not gone down. The prices are going up, whereas whatever price the farmer is getting, is going down. Where is the gap? Who is pocketing the profit? The distribution system is very faulty. Our procurement system is faulty. We are not concentrating on the procurement agencies such as the FCI, the NAFED or whatever other agencies which you have created. Their inefficiency is also adding to the problems of the farmers. Instead of blaming each other, instead of wasting the time in saying that you did it or we did it, or that it is because of the WTO, the Government should concentrate on how the system can be changed. By

putting the blame on one another, we are not going to reach anywhere. The farmers should get fertilisers and other inputs at affordable prices. They should get credit at the proper time. If there is a crop failure, there should be crop insurance. The farmers should not be made to suffer. Because of drought, because of floods, he is again and again caught between the bureaucratic system of Government administration and the non-availability of inputs. How we are going to solve this problem, we should concentrate on that.

Mr. Gautam has said that the Government should increase the Budget. Let us not go into that. In real terms of the Budget, no Government is able to increase the Budget for agriculture by 60 or 70 per cent. The figures show that actually, the Budget for agriculture has gone down by three per cent. Let us verify the figures before talking. How much you have provided in the Budget, that is not the issue. How efficiently you are managing the system is very important. The fault lies in the lack of proper coordination in managing the exports. I would like to make an appeal to the hon. Minister. Unless we create our ability and take the challenge wholeheartedly that we will capture the world market with a vengeance, nothing will happen. If others are able to sell their produce at a cheaper price, capture our market and flood our market, why can we not do that? What is the fear? We are importing agricultural products. Why are we importing? How are they exporting? In spite of the duty imposed, how are their agricultural products cheaper in the country? It is because their cost of production is less. Why is our cost of production more? Where have we to reduce for facing competition in the world market? We have to make a comparative study in the field of cost of production also. Agriculture is an industry today. We cannot just leave it to the farmer saying, first you produce goods and then sell them in the market. There should be a proper mechanism for even assessing the cost of production of our agricultural products. Our agricultural products are more competitive so that we can also sell them in the international market. Today, Thailand is able to sell rice cheaper than India in the international market. Our rice is not economical. Why is it that our rice is not economical? Thailand is also a poor country. It is not a developed country. These are all issues which have to be addressed when we take the issue in its totality, and we have to see how the farmers' plight can be mitigated. You give subsidy for exports. There is export subsidy for every thing, but there is no scientific export subsidy so far as our agricultural produce is concerned.

You encourage the farmers and the co-operatives to export agricultural produce. If others are dumping products into our country, let us also dump things in other countries by subsidising our farmers. I request the hon. Minister for Agriculture to see that the Agricultural Policy is implemented. It is not implemented. It remains on paper. We discuss it here. We are concerned about it. I don't say that we are not concerned about it. I don't charge the Government that it is not at all concerned about the plight of the farmers. We are showing concern for them in debates. We are showing concern for them in policy pronouncements. We are showing concern for them by saying that we are going to buy the products till our godowns are full. We are showing concern for them by announcing support prices on some basis. Every agricultural product has the support price. But there is no mechanism in the Government functioning to see that all the benefits of the Agricultural Policy reach the grassroots level. The farmers should get the benefits. The farmers are not getting the benefits. So, there is a need for a rethinking, relooking, changing the system and proper monitoring of the Agricultural Policy itself. Just by announcing the Policy, the farmers will not be benefited. I appeal to the hon. Minister for Agriculture to frame the issues. Let us have a debate to find out what are the issues and how we can tackle the issues. Let us have a debate on the issues. You draw a white paper on the entire agricultural scene and frame the issues. Let us debate them. That is much more important than any other debate because today the farmers are unhappy. If the farmers are happy, the whole nation will be happy. If the farmers are suffering, the whole nation will not be happy. So, let us frame the issues; let us discuss them; let us come to a conclusion; and let us evolve some scientific approach towards the agricultural problems. With these words, I thank you, Madam Deputy Chairperson.

उपसभापति : प्रो. रामदेव भंडारी। हम लोगों को समय का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, इस बार किसानों की समस्याओं को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्र के प्रारंभ से ही चर्चा शुरू हो गयी है। इस सदन में माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने जब चर्चा प्रारंभ की तो उन्होंने किसानों की पीड़ा को सदन के सामने रखा और तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने देश के किसानों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। महोदया, मैं भी अपने आप को किसानों की चिंताजनक स्थिति के साथ सम्बद्ध करता हूँ और संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूँ।

महोदया, बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और शुरू में दिमाग में जो बातें बैठा दी गयी हैं वह अभी तक दिमाग में हैं। महोदया, इस देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी किसान या कृषि मजदूर है। मगर आज की परिस्थिति में जो किसानों की दुर्दशा

हो रही है, जो दयनीय स्थिति हो गई है, वह शायद पहले कभी नहीं थी। पूरे देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का समाचार आ रहा है। जो किसान इस देश को अन्न के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है, जो किसान इस देश में हरित क्रांति लाता है - कभी हम कृषि पंडित कहकर उसकी सराहना करते थे, तरह-तरह से किसानों का सम्मान करते थे - आज वही किसान इस देश में सबसे उपेक्षित है और कठिनाई में पड़ा हुआ है। आज किसानों पर चौतरफा हमला हो रहा है। किसान द्वारा उत्पादित जो सामान है, उसकी उसको कीमत नहीं मिल रही है, चाहे वह धान की बात हो, गेहूं की बात हो, कपास की बात हो, गन्ने की बात हो, किसान द्वारा उत्पादित जो भी सामान है उस सामान का किसान को सही मूल्य नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि कहीं खेतों में गन्ना जलाया जाता है, कहीं धान जलाया जाता है और उस बेचैनी में किसान आत्महत्या कर रहा है पूरे देश में।

महोदया, आज कहा जा रहा है कि गोदामों में अनाज भरा हुआ है। अनाज किसने उपजाया? इस देश के किसान ने खून-पसीना एक करके अपनी मेहनत से अनाज उपजाया लेकिन अपनी मेहनत के बदले में उसे आज आत्महत्या करनी पड़ रही है। यह हमारे लिए एक कलंक की बात है। एक तरफ उनको उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ खेती के लिए जिन सामानों की आवश्यकता होती है बीज की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता होती है, ये सब सामान उनको महंगा मिल रहा है। बैंक से वह जो कर्ज लेता है, उस कर्ज को वह समय पर लौटा नहीं पाता है और उस कर्ज के बदले में उसका खेत भी घला जाता है। इतना ही नहीं परिश्रम करने के बाद वह जो अनाज उपजाता है, एक तरफ उसका उसे सही मूल्य नहीं मिलता तो दूसरी तरफ किसानों को बाढ़, अकाल, आंधी-तूफान का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मैं बिहार से आता हूँ। अभी-अभी तकरीबन् 2:00 बजे कृषि मंत्री जी और बिहार के सारे सांसद प्रधान मंत्री जी से मिलने गए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार का बंटवारा होने के बाद जो शेष बिहार बच गया है, वह पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है और एक स्वर से, मैं उत्तरी बिहार से आता हूँ, तमाम सांसदों ने प्रधान मंत्री जी से कहा कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक उत्तरी बिहार में कृषि की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। महोदया, कृषि मंत्री जी जानते हैं कि उत्तरी बिहार में जो भी बड़ी नदियां हैं, वे सारी नदियां नेपाल से आती हैं, हिमालय से आती हैं, बल्कि एक-आध तो तिब्बत से आती हैं। उन नदियों का जो जल-ग्रहण क्षेत्र है, उसका दो तिहाई भाग नेपाल में पड़ता है और एक तिहाई भाग बिहार में पड़ता है और वे सारी नदियां पथरीली भूमि से आती हैं और इनसे हर वर्ष बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है और किसानों द्वारा जो भी फसल उगाई जाती है, उस फसल को वह बाढ़ लेकर चली जाती है। महोदया, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि समस्याओं से जूझ रहा किसान अपनी पैदावार भी नहीं बेच पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की समस्या पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। हम उनको क्रॉप इन्श्योरेंस भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप का इन्श्योरेंस भी नहीं होता है। उनकी कृषि को अगर नुकसान हो जाए तो उन्हें उसका इन्श्योरेंस मिल जाए, ऐसा भी हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। महोदया, अभी बात हो रही थी और कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे कि बिहार में धान खरीदने के सेंटर खोलने हैं। ये सेंटर एफ.सी.आई. खोलता है। बिहार के सभी सांसदों की यह मांग है कि प्रखंड स्तर पर धान खरीदने के सेंटर खोले जाएं।

महोदया, सरकार समर्थन मूल्य तो घोषित कर देती है लेकिन किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर भी अनाज बेचने की सुविधा नहीं होती है क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होता है। तो एफ.सी.आई. के द्वारा जो सेंटर खोले जाते हैं, बिहार में इस प्रकार के सेंटर नहीं के बराबर हैं। कृषि मंत्री जी यह बात जानते होंगे। अगर कोई 2-4-10 सेंटर खुले भी है तो भी ऐसा नहीं लगता कि बिहार में अभी तक धान खरीदने के सेंटर खोले गए हैं। मैं कृषि मंत्री जी से बिहार में धान खरीदने के सेंटर खोलने के लिए अनुरोध करूंगा और शायद कृषि मंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर भी रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके बिहार में धान खरीदने के सेंटर खोले जाने चाहिए। लेकिन ये सेंटर ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक तराजू वहां रख दें, कुछ लोग वहां बिठा दें लेकिन धान खरीदने की सुविधा केवल नाम के लिए हो और कह दिया जाए कि सेंटर खोल दिया गया है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी जहां जिन चीजों की उपज होती है, उसे खरीदने की सुविधा सरकार की ओर से होनी चाहिए।

महोदया, आज इस देश का किसान भाग रहा है। गांव का किसान अब अपनी किसानी छोड़कर शहर की ओर भाग रहा है। मजदूर तो बहुत पहले ही चले गए थे, अब गांवों में थोड़े से मजदूर बचे हैं और अब किसान भी अपनी जमीनें बेचकर शहरों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि वहां तो वे अपने परिवार के लोगों को खिला तक नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य की बात तो छोड़ दीजिए। शहरों में अगर कोई छोटा-मोटा काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो कम से कम वे अपने परिवार का भरण-पोषण तो कर सकते हैं। इसलिए आज किसान शहरों की ओर भाग रहे हैं और शहरों की आबादी जो रोज-रोज बढ़ रही है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि भारत के गांवों के किसान और मजदूर गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। इसलिए किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बननी चाहिए। वैसे अभी हमारे एक माननीय सांसद कह रहे थे कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की है। उन्हें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। जब यहां हाऊस में बहस हो रही है, तो इस बहस के बाद इस संबंध में यहीं घोषणा करनी चाहिए थी। कई विभाग इससे संबंधित हैं। इसलिए सभी दलों के सदस्यों की एक पार्लियामेंटरी कमेटी बननी चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उस पर विचार करे। अगर इस देश का किसान मर जाएगा, कृषि से जुड़ा हुआ मजदूर मर जाएगा तो भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसकी क्या हालत होगी? यह जो भूमंडलीकरण हम करने जा रहे हैं, हम जो डब्ल्यू.टी.ओ. की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वे इस देश को बचा नहीं सकेंगे क्योंकि जो बाहर के लोग यहां आते हैं, वे कमाने के लिए आते हैं, वे इस देश की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं।

महोदया, आज यहां जो चर्चा हुई और आपने मुझे इसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक संसदीय समिति बनाकर इस विषय पर गहराई से विचार होना चाहिए। धन्यवाद।

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Madam, the plight of the farmers in our country is pathetic. In Uttar Pradesh and Punjab, the paddy growers are not able to market the paddy. Now they are selling it at Rs.350 per quintal, which is a distress sale. This will lead to desperate measures. The compensation package amounting to Rs.300 crores announced by the Central Government for the paddy growers in Punjab has been hailed by the farmers there. The Chairman of the Food Corporation,

Mr. Bhure Lal is reluctant to purchase the surplus paddy. The Central Government ordered the purchase of the surplus paddy, and this action was hailed by the farmers as well as by the Government of Punjab. The farmers of Haryana, said to have similar troubles, are waiting for their turn. In Andhra Pradesh, the farmers are agitated because they still have their harvested crops from last year in their yards, and there are no buyers. The MLAs and public representatives are being bombarded with complaints of distress sale. The millers say that they have leftover stocks of four lakh tonnes of rice from last year; so, they won't buy. The FCI godowns are overflowing so the stocks are protected only by tarpaulin, not by covered godowns.

Recently, some parts of Andhra Pradesh were affected by heavy rain and floods. Here also, the worst hit are the farmers. Their crops were destroyed. In Tamil Nadu, the northern districts, i.e., Kancheepuram, Tiruvallur, Cuddalore and Villupuram, are affected by drought. As a result, the crops are fading due to failure of the monsoon; whereas, in the districts of Thanjavur, Thiruvarur, Nagapatnam, Theni, Madurai and Kanyakumari, the farmers are affected due to heavy rains. Their crops are ruined. The entire irrigation channels and tanks are damaged by breaches. The State Government is extending all possible help to the farmers and relief measures are being taken in time. The Tamil Nadu Government has established the Agricultural Labourers' Welfare Board to help the agricultural labourers. It has also established seven cold-storages in various parts, at a cost of Rs.300 crores each, similar to one set up by the Maharashtra Government near Pune.

In Kerala, the coconut and rubber growers are very much affected because of the downfall in the prices of coconut and rubber which are the main crops in Kerala and the southern parts of Tamil Nadu. The farmers of West Bengal are very much affected by the recent floods, which we have discussed in this august House last week. Newspaper reports reveal daily the sad and deplorable state of affairs in which our poor agriculturists are placed. It is reported that in Madhya Pradesh, out of the 61 districts, 48 districts are dry, and they have demanded Rs.795 crores for drought relief. In short, in one part of our country, the farmers are affected by heavy rain and floods; whereas, in another part of our country, the farmers are affected by drought. Really, our farmers are the major contributors to our national economy. We know that 70 per cent of our population are agriculturists. If we fail to aid them in time, or, fail to extend a helping hand to them at the time of their distress, they may be forced to become penniless and at the mercy of money-lenders. The only alternative left to them is resorting to

suicide, or, rushing to the urban areas for seeking employment opportunities, as a slum-dweller or a beggar. They are bound to migrate.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

It is the prime duty of everyone of us and the Government to protect them. There are two reasons for their plight. One is the glut in the market. So, they are not able to sell their produce at reasonable prices, proportionate to their expenditure. If you look at the growth of GDP, sector-wise, in percentage terms, the figures are as follows: In 1994-95, five per cent. 1995-96 -- 0.9%; 1996-97 -- 9.6%; 1997-98 -- 1.9%; 1998-99 -- 7.2%; 1999-2000 -- 1.3%. This statistics clearly shows that if the farmers are able to produce more in one year, in the next two years, they are lagging behind, due to drought or floods or any other reason. The remedy is, we must find out a good market for their products. Firstly, we must ban the imports and we must regulate the import duties. The free flow of items from other countries should be stopped at all costs. We have every right to protect our farmers from unhealthy competition. If the WTO agreement stands in our way, as a hurdle, we have to think of other ways to get rid of this. We are sovereign enough to take permanent measures to protect our farmers from the world market menace and other calamities like floods, drought, etc.

The present rules and regulations with regard to the movement of grains, such as paddy and wheat, were framed during the period of scarcity. Now, the situation has changed considerably. Now, the thrust should be on allowing free and unrestricted movement of agricultural commodities across the country. Further, there should be no stock limits on traders or imposition of levies. Requiring the processors to deliver a certain proportion of their rice or sugar to the Government should be stopped. The time has come to allow the private sector to invest in a large way in the bulk handling and storage of agrarian commodities. Adopting this kind of things can save the farmers and our economy.

With these words, I conclude.

श्री रमा शंकर कौशिक : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, किसानों की दयनीय स्थिति और दुर्दशा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनेक वर्षों से लगातार किसानों की स्थिति खराब होती चली जा रही है। आज की जो परिस्थिति है वह बहुत ही नाजुक मोड़ पर है जिसमें किसानों का धान, किसानों का सोयाबीन, किसानों की कपास इनके मूल्यों में भारी गिरावट है और लाभ का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अनेक वर्षों से किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है।

श्रीमन्, इस सरकार ने 510 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया था, लेकिन कहीं भी इस मूल्य पर इसकी खरीद नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में एक-एक जिला लाखों क्विंटल अनाज पैदा करता है। हमारे यहां के पीलीभीत जिले में 40 लाख क्विंटल धान पैदा हुआ है, आश्चर्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शर्मनाक बात है कि वहां पर सरकार ने केवल 25 हजार क्विंटल धान अभी तक खरीदा है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि हमारे यहां का 60 फीसदी धान राइस मिलें लेती हैं। उसके बाद फिर सरकार राइस मिल वालों को 869 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देकर उनसे लेवी के रूप में चावल लेती है, लेकिन यह शर्त रहती है कि 510 रुपये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका मूल्य उनको देना पड़ेगा। श्रीमन्, सरकार की नीति के कारण, जानबूझकर यह कोशिश की गई कि किसान का धान न खरीदा जाए क्योंकि इनके पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं। इनकी नीतियों के कारण जो आज की स्थिति है वह यह है कि 400 लाख टन अनाज इनके पास जमा है जबकि हमको दो सौ लाख टन चाहिए जो कि बफर स्टॉक के लिए जरूरी है। दो सौ लाख टन अनाज इनके पास फालतू जमा है। उसमें से सौ लाख टन अनाज तो गोदामों के बाहर पड़ा हुआ है जो कि धूप में, बारिश में पड़ा हुआ है। वह सड़ने से कितना बचेगा, चूहों से कितना बचेगा यह तो यही सरकार बता सकती है। लेकिन यह स्थिति क्यों हुई? यह स्थिति इसलिए हुई कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसे इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया, जान-बूझकर चौपट कर दिया। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इनकी नीतियां तो अपनी जगह खराब हैं ही, इसके साथ साथ ये सारे काम विश्व बैंक, राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों पर हो रहे हैं। उनके सख्त निर्देश हैं कि जो आपका वित्तीय घाटा है, वह सकल घरेलू उत्पाद का केवल तीन-चार प्रतिशत होना चाहिए। उस घाटे को तीन-चार प्रतिशत तक लाने के लिए ये किसी और प्रकार की आय बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन सब्सिडी घटाने के लिए तैयार हैं और किसानों की सब्सिडी घटाते चले जा रहे हैं। ये लोग खाद महंगी कर देंगे, बीज महंगा कर देंगे, डीजल की वजह से पानी इतना महंगा हो गया। महोदय, हमारे यहां केवल 40 फीसदी सिंचाई नहरों से होती है और बाकी सारी सिंचाई पम्पिंग सैट के जरिए ही होती है। महोदय, देहातों में बिजली कितनी आती है, यह किसान भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में पम्पिंग सैटों से ही सिंचाई करके हमारे यहां खेती होती है। उसके बावजूद इन चीजों के भाव इस कदर बढ़ा दिये, किसानों के ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया कि वे अपनी फसल को ठीक से बो भी नहीं सकते। इसी दबाव में आकर सब्सिडी को घटाकर - सब्सिडी की क्या स्थिति है - अभी हमारे गौतम जी कहीं चले गये, वे कह रहे थे कि हमारे यहां पशु पालन नहीं हो रहा है, हमारे यहां गोबर की खाद चाहिए। महोदय, पशु पालन कैसे होगा? जबकि भूमंडलीकरण के नाते इनकी नीति इस प्रकार की है कि हमारे यहां दूसरे देशों का माल लगातार आता चला जा रहा है। आप यह समझिए कि 10-12 साल में 9000 चीजों पर से जो मात्रात्मक प्रतिबंध था, वह खत्म कर दिया गया है। हमारे यहां बाहर से घी आ रहा है जिसे वे लोग बटर ऑयल कहते हैं। महोदय, यूरोप के देशों में बटर ऑयल पर 123 रुपये फी किलो सब्सिडी दी जाती है, वह घी हमारे यहां बाजारों में 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस देसी घी का भाव 150 रुपये किलो था, वह 115 रुपये रह गया है। ऐसी स्थिति में कौन पशु पालेगा? यूरोप में जो दूध का पाउडर होता है, उस पर 32 रुपये फी किलो सब्सिडी वे लोग दे रहे हैं। वह भी हमारे यहां आ रहा है। जो हमारे यहां दूध का व्यापार करते थे, दूध का पाउडर बनाते थे, उनकी स्थिति भी दयनीय होती चली जा रही है। फिर पशु पालन कैसे होगा? ये जो कृषि नीति की घोषणा करने वाले हैं या

इन्होंने जो कृषि नीति बनायी है, जब तक इन सारी चीजों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक वह कैसे चलेगी। हमारे यहां किसानों पर सब्सिडी घटती चली जा रही है, किसानों के इस्तेमाल की जो जरूरी चीजें हैं, उनके भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। खाद की कीमत बढ़ती चली जा रही है और सब्सिडी खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब कि विदेशों में सब्सिडी बढ़ती चली जा रही है, हमारे यहां सब्सिडी घट रही है। श्रीमन्, आप आश्चर्य करेंगे, अभी आपने भी उसका जिक्र किया कि यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में खेती के काम पर सब्सिडी दी जा रही है लेकिन हमारे यहां ये लोग डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में हैं, उसी दबाव के कारण हमारे यहां सब्सिडी खत्म करने पर ये लोग मजबूर होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब उनका माल हमारे देश में आएगा तो वह सस्ता होगा ही। इसमें कोई संदेह नहीं है। महोदय, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें इन्होंने 830 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के दाम रखे। नतीजा यह हुआ कि हमारे गोदाम भर गये, अनाज उठाया नहीं गया। किसी-किसी प्रदेश ने तो एक दाना अनाज भी नहीं उठाया। मैं सिर्फ दिल्ली की मिसाल देता हूं कि दिल्ली में 36 लाख कार्ड होल्डर हैं जिनके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिस्टम से अनाज खरीदने के लिए कार्ड हैं। 42,400 टन के दिल्ली के कोटे में से एक दाना भी गेहूं का दिल्ली की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचने के लिए नहीं लिया। इसी प्रकार 13,610 टन चावल यहां के लिए अलॉट था, उसमें से केवल 6 टन चावल दिल्ली की सरकार ने लिया है और उनके गोदाम भरे पड़े हैं। उन्होंने दो महीने पहले तय किया कि उत्तर भारत में हम गेहूं 650 रुपये क्विंटल में व्यापारियों को देंगे और दक्षिण भारत में 700 रुपये क्विंटल की दर से देंगे। महोदय, ये लोग किसानों को देने के लिए तैयार नहीं हैं, किसानों के दाम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ता गेहूं देने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन व्यापारियों को देने के लिए इन्होंने तय कर लिया। लेकिन हमारे देश के व्यापारी भी बड़े होशियार हैं। उन्होंने कहा कि इनकी हालत तो और खराब होने वाली है, हम क्यों लें? अब ये सोच रहे हैं कि 350 रुपए प्रति क्विंटल या 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम अनाज को निर्यात करें। ये इस सरकार की नीतियां हैं और इन नीतियों के चलते किसान की कमर टूटती चली जा रही है। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है और न ये किसान को कुछ लाभ देने वाली हैं।

श्रीमन्, आप कह रहे थे कि मान लीजिए कि हमने डब्ल्यू.टी.ओ. में पहल की लेकिन अब तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय की जो परिस्थितियां थीं, वे परिस्थितियां थीं और आज की परिस्थितियों में वह अंकुश लगाए, आयात पर अंकुश लगाए, ऐसी चीजों पर अंकुश लगाए जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं जैसे गेहूं मंगा रहे हैं, मकई का आटा मंगा रहे हैं, मकई मंगा रहे हैं, ये स्थितियां हैं अपने देश में। श्रीमन्, यह बात तो सही है, यह बात आपने अच्छी कही कि अब इनकी जिम्मेदारी है लेकिन जरा सा कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि पेटेंट कानून क्या है? पेटेंट कानून से किसका फायदा होने वाला है? पेटेंट कानून से किसका नुकसान होने वाला है? पेटेंट कानून से हमारे हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान होगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों का नुकसान होगा। हमारे यहां हर चीज पर उसका असर पड़ने वाला है लेकिन पेटेंट बिल पर कांग्रेस पार्टी सरकार का साथ देती है। हम कैसे मान लें कि आज जो स्थितियां हैं.... आपने इस बात को मान लिया कि उस समय जो स्थितियां थीं तब हमने डब्ल्यू.टी.ओ. को हरी झंडी दिखा दी और आज जो परिस्थितियां हैं, भाजपा की सरकार जो इस समय है, वह इसको दुरुस्त करे लेकिन हम काम फिर भी वही कर रहे हैं। हम पेटेंट बिल के जरिए भूमंडलीकरण को ही बढ़ावा दे रहे हैं जिस भूमंडलीकरण के कारण हमारे लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं, हमारी किसानी खत्म हो रही है।

श्रीमन्, ऐसी स्थिति रही तो हमारे किसान मजबूर हो जाएंगे अपनी खेती को बेचने के लिए, अपनी ज़मीन को बेचने के लिए और यह मैं बताना चाहता हूँ कि यह साजिश चल रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हिंदुस्तान के खेतों पर कब्ज़ा करें, ज़मीन पर कब्ज़ा करें, खुद अपनी खेती करें और किसान को छोड़ दे इधर-उधर भटकने के लिए।

श्रीमन्, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मायाजाल है वह कोई मामूली मायाजाल नहीं है और उसमें हम फँसते चले जा रहे हैं। इनसे वे कह रहे हैं कि गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दी लगाओ। हमारे देश में आज भी 40 प्रतिशत मात्रा गुड़ और खांडसारी के ज़रिए इस्तेमाल होता है। उसको खत्म कर देंगे तो हमारा जो गन्ने का किसान है, जो आज भी परेशान है, वह और परेशान हो जाएगा, अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। श्रीमन्, ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं। ऐसी स्थितियों में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इन सारी बातों को सोचे, आयात नीति पर गौर करे, जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए हुए थे, उनको लगाए और सीमा शुल्क पर जो छूट दी गई है, उसको खत्म करे, सीमा शुल्क बढ़ाए।

श्रीमन्, हम कभी भी कंपीटीशन नहीं कर पाएंगे। रहमान साहब ने कहा कि हम कंपीटीशन करें दुनिया में। हमारा किसान कैसे कर लेगा कंपीटीशन? किस हिसाब से कर लेगा? आप कंपीटीशन नहीं कर सकते। कंपीटीशन तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आज बड़े-बड़े देश नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जो दुनिया में निर्यात हो रहा है, उनके देश की बात नहीं है जिस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनकी बात नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सब देशों में निर्यात की स्थिति में हैं, निर्यात कर रही हैं और दुनिया का जितना निर्यात है, उसका 33 फीसदी केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर रही हैं और वह और भी ज्यादा होता चला जाएगा। जो आज से पाँच साल, सात साल पहले केवल 20 प्रतिशत था, आज वह 33 प्रतिशत निर्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में है। अब वह किसी एक देश का मामला नहीं है, वह केवल अमरीका का मामला नहीं है, वे अमरीका से निर्यात कर रही हैं, वे दूसरे देशों से भी निर्यात कर रही हैं। और निर्यात और आयात वाले मामले पर भी अगर आप गौर करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी स्थितियाँ कंपीटीशन की भी आ जाएँ। आप अफ्रीका के देशों को देखिए, उनका जितना सकल घरेलू उत्पाद है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा वे निर्यात करते हैं लेकिन भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों पर सोचना पड़ेगा और वह नीति निर्धारित करनी पड़ेगी जिसके ज़रिए हमारे लघु उद्योग बचें, जिसके ज़रिए हमारी किसानी बचे। इस हिसाब से अगर नीतियाँ तय करेंगे, कृषि नीति तय करेंगे क्योंकि आज भूमंडलीकरण के चलते जो मौजूदा कानून हैं, जिस ढंग के कानून बनते चले जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने सेबा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और दूसरी कंपनियों को आने का मौका दिया है, जिस प्रकार से पेटेंट कानून के ज़रिए आपने भूमंडलीकरण को प्रश्रय दिया है, उसके चलते कृषि नीति भी आपकी अकेली कृषि नीति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यदि इन सारी बातों पर विचार करके अपनी इन सारी नीतियों को ठीक करेंगे तब किसान हमारे यहां का ठीक होगा। केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, स्थिति तो यह है कि महाराष्ट्र में जो सोयाबीन पिछले साल 1200 रुपये क्विंटल बिका था आज वह 600 रु. क्विंटल बिक रहा है। इसका कारण यह है कि अमेरीका और यूरोप से सोयाबीन आयात किया जा रहा है। जो सोयाबीन आयात किया गया है वह टर्मिनेटर बीज का है और इसका इस्तेमाल अमरीका और यूरोप के लोग नहीं करते क्योंकि लोगों ने बताया है कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। परन्तु हमारे देश में यह बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि

महाराष्ट्र के किसानों का पिछले साल सोयाबीन 1200 रुपए क्विंटल बिका था अब 600 रुपए क्विंटल बिक रहा है। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय कृषि मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपया सारी बातों पर सोचें केवल इसी बात पर न सोचें कि सब्सिडी को बढ़ाएं, खाद की कीमतों को घटाएं। लागत के अलावा उसे कुछ लाभ का मूल्य मिले। किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए जो आपका यह बफर स्टॉक बढ़ा होता जा रहा है उसको घटाइए ताकि आपके गोदाम खाली हों। हमें तो आशंका इस बात की है कि चार महीने बाद जब गेहूं बाजार में आ जाएगा उस समय गेहूं के काश्तकार का क्या होगा? हमारे उत्तर प्रदेश की जरूर बहुत बड़ी चिंता इस बात की है, हरियाणा की है और पंजाब की है कि उस गेहूं का क्या होगा? धान की स्थिति यह है कि ढाई सौ, तीन सौ रुपए तक धान का खरीददार नहीं मिला। सरकार ने अपनी एजेंसियों को बन्द रखा और उन्होंने तोहमत लगाई कि ज्यादा नमी वाला है, ये है, वो है। उसे किसी भी हालत में खरीदा ही नहीं गया। किसान आठ-आठ दिन तक बाजार में अपने धान को लिए पड़ा रहा और उसे ढाई सौ, तीन सौ रुपए में कोई खरीदने वाला नहीं था। यह दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। मैं कृषि मंत्री जी से यह दरखास्त करूंगा कि इस पूरे प्रसंग और पूरे संदर्भ को ग्रहण करते हुए ऐसे अनाज, धी और जो दूसरी खाद्य वस्तुएं हैं, जो आयात हो रही हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं ताकि किसान की स्थिति ठीक हो सके।

†मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी (झारखंड) : शुक्रिया वाइस चेंबरमैन साहब। दोनों हाउसों में किसानों की मसाइल से मुत्तलिक दर्दनाक कहानियां भी सुनाई जा रही हैं और उनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बड़े अफसोस की बात यह है हिन्दुस्तान में जो मुल्क बुनियादी तौर पर एक जराती मुल्क है, किसानों की बदहालियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हमारे सारे साथियों ने इस पर अपनी तजवीज का इजहार किया है जो बिल्कुल वाजिब है। लगता यह है कि किसानों की तरफ से सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद रखी हैं। अमूमि तौर पर जो बातें हो गई उसमें किसानों के माल का माकूल मुआवजा न देना और किसान जिन चीजों के जरिए खेतों में अनाज की पैदावार के इजाफे को सामने लाता है वह डीजल, फर्टिलाइजर, बिजली, कीड़े मारने की दवाएं, ये सारी चीजें जिनके जरिए जरात को बचाया जाता है, तो किसान की मेहनत पर तो शुबहा हो नहीं सकता। मुल्क को सारे इन्कलाब के साथ सिर्फ किसान ने जोड़ा है। आज जो कुछ हमें तरक्की के रूप में देखने को मिल रहा है, यह सबका सब किसानों के हाथों की लीला है। जितनी भी नहर उछल रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं और माल गोदामों में अनाज को रखने की जगह नहीं है, रोड पर सड़ रहा है, यह किन हाथों की पैदावार है, जिनके लिए कटौती की गई है, यह सारा अनाज इन्होंने दिया है। इनके लिए डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिन्होंने देश में उन्नति और तरक्की का सामान पैदा किया है उनकी हालत की बात सुनते आ रहे हैं कि किसान सुइसाइड कर रहा है, भूखों मर रहा है। जिसने हिन्दुस्तान को आसमाने तरक्की तक पहुंचाया है। उसकी हालत यह है कि

"फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा था। कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था-सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।" आज बरसात के जमाने में उसे पेड़ों पर बैठना पड़ता है और हैलीकॉप्टर से उसके लिए रोटी के टुकड़े गिराए जाते हैं। जाड़े

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate

के जमाने में वह रजाई और कंबल में मरने के लिए मजबूर है। किसी जमाने में हमारे एक बड़े नेता ने कहा था कि इस मुल्क का किसान इतना संपन्न हो चुका है कि अब वह तोले में नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदता है। कल खेती में पुख्तगी आई थी इसलिए इस बुनियाद पर हमारे बड़े लीडर ने यह बात कह दी आज तो पोजीशन यह हो गई है कि किलो में सोना खरीदना तो दूर की बात रही घर-परिवार में जो थोड़ा-बहुत सोना उसने रखा हुआ है आज उसे भी बेचकर खाने की नौबत आ गई है। यह तो उन किसानों की बात है जो इस देश में संपन्न और मोतादिल दिखाई देते हैं मगर वे किसान जिनकी रोजी-रोटी किसानी प्लस मजदूरी से चलती है वे क्या बेचकर खाएंगे? क्या वे अपने बच्चे नहीं बेचेंगे? क्या अपनी इज्जत और आबरू दांव पर नहीं लगाएंगे। केबल इसके कि इस देश में इतने भयंकर हालात पैदा हो जाएं हुकूमत को नवीशतदीवार बढ़ाना चाहिए। हमारी आबादी का 78 प्रतिशत खेती पर निर्भर करता है। खेती की बर्बादी का मतलब इतने हिस्से की बर्बादी है। कृषि से जुड़ी आबादी का मतलब लगभग आधा हिस्सा पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे है और जिन हालातों से हुकूमत इन किसानों को संकट के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर रही है उससे तो वह आधा हिस्सा जो गरीबी रेखा से ऊपर है वह भी नीचे आ जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि औद्योगीकरण के नाम पर हमारे देश में तरक्की नहीं हुई, खेती की बुनियाद पर भी आबादी की संख्या में कमी नहीं आई और अब जो कृषि का क्षेत्र है उसे भी मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। यह बहुत नाजुक मसला है। कहा तो यह गया है कि हम यह काम एक्सपोर्ट ओरिएण्टड बनाने के लिए कर रहे हैं लेकिन देख तो यह रहा है कि एक्सपोर्ट की बजाय कृषि जनित माल का इम्पोर्ट हो रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में देखने की जरूरत नहीं है वह आज ही देखने को मिल रहा है। गोदामों में माल सड़ रहा है। कहते हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो लोग भूखे हैं उन्हें भी गोदाम दिखाए जा रहे हैं लेकिन उन्हें बावर्चीखाने में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं हुकूमत को एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका माल सड़ रहा है तो उसे सड़ाइए मत क्योंकि यह गरीबों के हाथों की खून-पसीने की कमाई है। इस देश में ऐसे गरीब बहुत ज्यादा हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। आए हुकूमत जरा हौसला रखे, दान-पुण्य की राह पर आए, देश के लोगों को खिलाए। बाहर से वह माल खरीद रहे हैं जो देश में सड़ रहा है। बाहर से वे चीज़ें मंगा रहे हैं जिनकी देश में बहुतायत है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज गोदामों में और रोड़ पर रखा माल सड़ रहा है, कौशिक जी पूछ रहे थे कि आने वाले चार महीनों में जो नई उन्नति और तरक्की होगी वह माल कहां रखा जाएगा, तो इसका बेहतर तरीका तो यही है कि इस मुल्क में जितने गरीब और शोषित लोग हैं, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती बजाय इसके के रोड़ पर माल रखकर सड़ाया जाए उसे कलेक्टरों के जरिए बिना रुपये-पैसे के बंटवाया जाए। बजाय इसके कि यह माल उन गरीबों के मुंह तक न पहुंचे, चूहे-बिल्ली खा जाएं, सड़ जाए और आप बाहर से उसी माल को मंगाएं, यह इस देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ होगा, यह बात उचित नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बात बताता हूँ कि आलू वगैरह जिन भंडारों में पड़ा है, किसान को डेढ़ सौ फीस मजदूरी देकर निकालना पड़ता है, नहीं निकालेगा तो दो रुपये किलो भी खरीदने को तैयार नहीं होगा वह वहीं सड़ जाएगा इसलिए आप ही इसे दो रुपये किलो के हिसाब से खरीद लें और एक मर्तबा इसे गरीबों में बंटवाएं। यह गरीबों में फ्री तकसीम होना चाहिए ताकि जिन्हें पेट भर खाने को नहीं मिलता कम से कम इन लोगों की गलत नीतियों के जरिये ही खाने को मिल जाए। अगर बाहर से माल मंगाते रहेंगे तो देश का माल सड़ता रहेगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को गुलाम बनाकर चली गई थी लेकिन आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बुलाई जा रही हैं। पुदीना बेचने के लिए

4.00 P.M.

नहीं यरगमाल बुलाई जा रही हैं। भूमिहीन किसान इस देश में हाथ, पैर से मेहनत करता है मगर उसे भी इसकी कोई उजरत नहीं मिलाती। बड़े सूबों में तो खेती का हाल यह है कि किसान के साथ-साथ मजदूरी भी करता है। जब बड़े सूबों में भुखमरी और खुदकुशी के हालात हो गए हैं तो छोटे और पिछड़े सूबों में क्या होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हुकूमत तमाम लोगों को एक राय में लेकर इस सिलसिले में एक अच्छी सोच-समझ के साथ एक कमेटी बनाए और यह जो देश का विदेशीकरण कर रही है उसे खुद स्वदेशीकरण के दायरे में लाए और स्वदेशी माल को बढ़ावा देने के लिए उस पर उचित कार्रवाई करे। शुक्रिया।

DR. A. R. KIDWAI (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you very much. I am happy that the discussion on the plight of farmers has been allowed because it is a very important subject. It requires serious consideration and a long-term planning in order to solve the problem because it concerns 75 per cent of the population of the country. We cannot eradicate poverty from our country; we cannot remove the condition of hunger, without solving this problem. Previous speakers have already stated about the Government policy, the economic policy, which has affected the conditions of the farmers, the Public Distribution System, the storage system and also the role of the Food Corporation of India. I would like to draw your attention to the sugar industry. Shri Gautamji mentioned that sugar factories are on the verge of closure. I say, most of them have already closed down. In Bihar, out of 34 sugar mills, 24 have already been closed down. Mill owners owe money to the farmers. They have not paid it to the farmers. The farmers are on the road.

Similarly, the jute industry is extremely in a bad condition. The farmers are being exploited. The jute growers cannot make their two ends meet. Similarly, the cotton industry is in a bad condition. India is one of the largest producers of cotton, good quality cotton. There is a considerable scope for development. India can become one of the largest producers of yarn and cotton textiles, but no serious attention is being paid to it. The industries which are based on agriculture produce require improvement and modernisation. Only then India can utilise to its advantage the agriculture produce. It can be enriched and its products can be exported. We can overcome the present economic problems. Sugar is one of the major industries based on agriculture, but the technology which is being used for its production is an obsolete one. This technology was used by the Dutch in Indonesia some 60 or 70 years ago. So far, no improvement has taken place on this front. About 30 or 40 per cent of the sugar is not being

recovered. It is lost as molasses or as a muck. The loss of 30 per cent of the sugar from the sugarcane is at the expense of the cane growers. The cane grower is paid only for the recovery of sugar and not the sugar content in the cane. That is why the sugar that is produced in India is costlier than the imported sugar. Therefore, it cannot be exported. The quality of our sugar is also bad because of high content of sulphites. It cannot be exported and sold in the American or European markets because it does not meet their standard.

If this is the kind of sugar of the major industries, then how can we expect that the farmers prosper on the basis of our major sugar industries. The condition of jute is well-known. Therefore, there is need for a real examination of the industries based on sugar so that they can be improved and modernised to become really productive and can produce products based on sugar for export purposes and for consumption in the country. There is only one field, that is, milk production which has made good progress, and last year, India produced the largest amount of milk in the world. That was due to the hard labour of the farmers. We cannot blame farmers. Farmers are hard working, and the only way through which they can improve their lot, is the hard work and labour. The farmer has shown this in the field of milk production. This is the only scheme which has been successful because the National Dairy Development Corporation, under the proper leadership, was able to prepare an imaginative economically viable scheme, where farmers were provided inputs. What he had to do was just to produce, based on the inputs provided by the National Dairy Development Corporation, and the entire produce was purchased, processed and sold in the market. Why can't it be done in the case of vegetable production? In Bihar, the State which produces bumper crops of fruits and vegetables, most of the crops rot in the villages. They do not get their price. Fruits and vegetables are not getting their fair price. They are not being utilised, while people in the urban areas need them. Why can't we do the same thing in providing marketing facilities to the fruits and vegetable growers, as we have done in the case of milk production? It is easier to provide storage and marketing facilities for fruits and vegetable growers than in the case of milk producers. If we have succeeded in the milk production, we can do it better in the case of fruits and vegetable production. If we arrange village cooperatives for marketing in the villages and the fruits and vegetable growers bring their produce in the morning, hand it over to the cooperative, who process them, sort it out and before noon, it is despatched, and the next morning, if it is sold alongwith the milk

at the milk depots, if the fruits and vegetables are made available in this way, it will be cheaper for the consumers, and the cooperatives will be successful and the farmers will get their remunerative price. Therefore, there is a need for review for providing marketing facilities so that the farmers can get adequate prices. I think all these aspects require a serious consideration. May I also point out that poultry, fishery and dairy, are the areas which provide employment to the landless labour and that they had made good progress in recent years? But last year, somehow, there is a change in the policy of the Ministry of Agriculture. They are now withdrawing the facilities in fisheries, poultry and dairy which were available for the small farmers. If the idea is to encourage only the major growers at the expense of the small farmers, I think the policy requires a serious consideration. It would add to the increasing unemployment, especially, among the landless labour. Thank you very much.

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्षजी, सदन में आज हम किसानों की दयनीय दशा और दुर्दशा की चर्चा कर रहे हैं। किसानों की दुर्दशा और दयनीय स्थिति, हमारी कृषि की दुर्दशा और दयनीय स्थिति का परिचायक है, द्योतक है। मैं नहीं मानता कि पिछले 30 महीनों में राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार के कारण यह हुआ। मैं यह भी नहीं मानता कि 1994 में विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारा जो समझौता हुआ उसके कारण यह हुआ। मैं यह भी नहीं मानता कि 1991 में तत्कालीन नरसिंह राव की सरकार के समय सारी आर्थिक नीतियों का पूरा "यू" टर्न कर दिया गया, उसके कारण यह हुआ। लेकिन पिछले आए दिन के काल में 1951 से लेकर 1990 तक जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलीं उसमें जिन नीतियों का हमने अवलम्बन लिया, जिन नीतियों का हमने निर्धारण किया और जिन नीतियों पर हम चले, उसका परिचय हमें 1990 के साल में ही मिल गया और उन नीतियों को 40 साल के बाद हमको पूरा "यू" टर्न देना पड़ा। भारत में भारतीय संस्कृति के साथ कृषि का ऐसा नाता रहा है कि हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने ऋषि और कृषि दोनों को साथ में रखा। यह देश ऋषि की संस्कृति का है और यह देश कृषि की संस्कृति का भी है। इसके कारण हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने तीर्थाकरों ने इस बात पर ज्यादातर बल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जैनियों के प्रमुख तीर्थाकर भगवान ऋषभदेव ने हमें कृषि का वरदान दिया। कृषि हमें सिखायी। महाभारत के काल में जब राजधर्म का उपदेश देने के लिए भीष्म युधिष्ठिर के पास आए थे तो उन्होंने यह पूछा था कि आपके राज्य में कोई किसान पीड़ित तो नहीं है, समाज में कृषि का जो बोझ है, समाज का जो पूरा बोझ है वह किसान उठाता है तो उसका आप ख्याल करते हैं कि नहीं करते हैं? पशु पक्षियों, मनुष्यों - राक्षसों, जीव-जन्तुओं सभी का जो जीवनयापन होता है वह कृषि के कारण होता है। इसलिए राजा को कृषि और कृषकों के प्रति सजग रहना चाहिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सभापर्व में नारद मुनि ने युधिष्ठिर से ऐसा पूछा था कि आपके राज्य में पर्याप्त मात्रा में तालाबों की व्यवस्था है कि नहीं? आपके राज्य में जो तालाब हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में जल का भंडार भरा है कि नहीं भरा है? आपके राज्य में बरसात के अभाव में खेती सूख न जाए इसकी व्यवस्था कर दी गयी है कि नहीं? आपके राज्य में किसानों को जब भी चाहिए उस समय बीज मिल जाएंगे, इसकी व्यवस्था है कि नहीं है? आपके राज्य में एक प्रतिशत ब्याज से किसानों को ऋण मिलने की व्यवस्था है कि नहीं? आपके राज्य में समर्थ

और स्वस्थ पशु जो कृषि को आगे ले जाने में हमारी मदद करते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे आपके राज्य में किसान संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? यह राजा का कर्तव्य है। ऐसा करके उन्होंने उपदेश दिया था। मेरा मानना है उपसमाध्यक्ष जी कि अगर कृषि को अपने देश के आर्थिक और राजनीतिक चिंतन का मूलाधार बनाया होता, पिछले 40 साल में जो गलत नीति अपनायी गयी वह नहीं अपनायी गयी होती तो आज परिस्थिति अलग सी होती। मैं अगर राजनीति और आर्थिक चिंतन का मूलाधार कृषि को कहता हूं तो उस समय से कृषि को देश की आर्थिक स्थिति का मूलाधार बनाना चाहिए था। उसके बजाए क्या हुआ? 1956 में अवाड़ी कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके तहत देश की औद्योगिक नीति बनायी गयी और इस औद्योगिक नीति के कारण क्या हुआ? यह हम जानते हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जितना बल कृषि पर देना चाहिए था नहीं दिया गया। आप सारी पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिए। कोई पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं है जसमें 20-22 प्रतिशत से ज्यादा कोई फंड का एलोकेशन हमने कृषि के लिए किया हो। लेकिन हमारी आबादी, हमारा जो गांव का विस्तार, जो हमारी जनसंख्या 80 प्रतिशत से ज्यादा कृषि पर आधारित थी आज भी वही परिस्थिति है। हमारे सामने जो पश्चिम का मॉडल था उस पश्चिम के मॉडल के कारण यह हमारी दुर्गति हुई, कृषि की दुर्गति हुई और आज किसान इसके लिए हमारे यहां पीड़ा का, चर्चा का विषय बना हुआ है।

मैं जब कृषि में आर्थिक नीति की बात करता हूं तो कृषि में अन्न उत्पादन की प्रधानता होनी चाहिए। वह अन्न उत्पादन की प्रधानता न होने के कारण आज परिस्थिति क्या हो गई है? महाराष्ट्र में आज कपास की बात आती है, उत्तर प्रदेश से गन्ने की बात आती है, मध्य प्रदेश से सोयाबीन की बात आती है, गुजरात से मूंगफली और कपास की बात आती है और आन्ध्र में कपास की बात आती है, ये सब जो कृषि पदार्थ हैं, विश्व व्यापार संगठन के साथ जो हमारा कृषि का समझौता हुआ, उसके कारण ये हमारी दुर्दशा के कारण बने हुए हैं। जो अन्न उत्पादन का आधार बनना चाहिए था, वह नहीं बना और इसके कारण भारत की बहुसंख्यक जनता जिसको कि पर्याप्त मात्रा में अन्न उपलब्ध होना चाहिए था वह भी नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात जो इसमें ध्यान में रखनी चाहिए थी वह यह है कि अन्न का हम बृहत् एवं संयत समविभाजन नहीं कर सके। एक ओर तो यह बात बोलते हैं कि हमारे यहां अन्न के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन दूसरी ओर हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दो समय का खाना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इनके पास क्रय शक्ति नहीं है। जिस मात्रा में उनको अन्न चाहिए उस मात्रा में वे पीडीएस की व्यवस्था से भी अन्न नहीं खरीद सकते। इस बात का भी हमारी आर्थिक नीति में ध्यान में नहीं रखा गया है। कृषि और गोपालन का जो स्थायी संबंध रहता है उसका भी हमने विच्छेद कर दिया है। अभी कृषि की जो विकास दर है वह करीब 1.85 है। लेकिन हमारे पशुधन के विकास की जो दर है वह पूरी निकल गई है यानी कृषि के साथ-साथ हमारा जो पशुधन बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ा है। देश में प्रतिदिन साढ़े तीन लाख से ज्यादा पशु काटे जा रहे हैं। 3600 से ज्यादा लाइसेंसड कत्लखानें चलाए जा रहे हैं। पशुधन की मात्रा खत्म होती जा रही है। कृषि का जो आधार था वह हमको नहीं मिल पा रहा है। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे यहां पशुधन और कृषि का स्थायी संबंध नहीं रहा। इसके कारण यह परिस्थिति निर्मित हो गई। आप देखिए, हमारे यहां कपास का उत्पादन एक हेक्टेयर में जितने किलो होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। आस्ट्रेलिया और इजिप्ट में हमारे से दुगुना या ढाई गुना हो रहा है। यानी कृषि की उत्पादकता हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है।

उपसमाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा क्योंकि यह बड़े महत्व का मुद्दा है, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिए। दूसरी बात है कृषि के उत्पादन में अनेकानेक अवरोध आ रहे हैं। हम बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली का दाम बढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था करने में हम सफल नहीं रहे हैं। पिछले पचास सालों में एक व्यक्ति पर एक दिन में बारिश का पानी आठ हजार लिटर आता है, लेकिन हमारी कृषि के लिए, हमारे गृह उद्योग के लिए, हमारे उद्योग के लिए, हमारे अन्य उद्योगों के लिए एक व्यक्ति को तीन सौ लिटर से ज्यादा पानी नहीं चाहिए। इस प्रकार 7700 लिटर पानी तो समुद्र में बहकर बेकार चला जा रहा है। उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज कई माननीय सदस्यों ने बताया कि 40 प्रतिशत ही सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है और 60 प्रतिशत खेती की जमीन हमने भगवान के भरोसे ही छोड़ दी है। दूसरी बात, हम जो गुजरात के विस्तार में हैं, तो वहां का पानी का स्तर बिल्कुल नीचे है और वह लगातार नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। पहले पचास फीट तक पानी मिल जाता था आज एक हजार फीट नीचे तक भी नहीं मिल रहा है। यह भी किसानों और खेती के लिए बड़ा अवरोध कहा जाता है। किसानों के लिए कहा जाता है कि किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन जीता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने यह बात कही है। हमारे यहां फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड यानी जमीन के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। बीस वर्ष पहले परिस्थिति यह थी कि देश में प्रति किसान दो हेक्टेयर जमीन आती थी और आज प्लॉट 0.02 हेक्टेयर जमीन रह गई है। इतना जमीन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई के महीने में लाई गई ...।

लेकिन इस कृषि नीति में जो बातें कही गई हैं, मैं इसे कृषि नीति नहीं कहूंगा। मेरा ज्यादा-से-ज्यादा यह मानना है कि भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, तो कोई बात ऐसी बात नहीं हो सकती कि आप दिशा-निर्देश दें और उसे नीति मान लें। महोदय, नीति में परिपक्व रूप से विचार कर के उपाय सुझाए जाते हैं। उस की पॉलिसी रहती है, लेकिन इसे हम पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं मानते। उदाहरण के लिए मैं आप को बताना चाहूंगा कि इस में इनडिस्ट्रिब्यूटेड डायवर्सन ऑफ लैंड की बात कही गयी है और कहा गया है कि उस के लिए मेजर्स लिए जाएंगे। लेकिन क्या मेजर्स लेंगे, कैसे मेजर्स लेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। Waste land will be put to use. Through which policy will you put this waste land to use? It has not been mentioned. Conjunctive use of surface and ground water will receive priority. How? Which policy will you follow for using this water? यानी आप के इरादे हैं, लेकिन इरादों को नीतियों में बदलने के लिए आप को जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जो व्यूह रचना बनानी चाहिए, वह उस में नहीं है। महोदय, उस में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के साथ-साथ कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कही गयी है, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कही गयी है। लेकिन आप को ध्यान रखना होगा कि इन के कारण समस्याएं न खड़ी हो जाएं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और फ्लोरीकल्चर की बात कही गई है, लेकिन हम पिछड़े लोगों की, गांव के किसानों व गरीब और खेत मजदूरों की न्यूट्रीशन की आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यह हम कैसे करेंगे? लोगों की खरीद शक्ति का क्या होगा? आप को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा।

महोदय, मैं कृषि नीति के तहत कुछ और बिंदु जो मेरे ध्यान में हैं और जिन का मैंने अध्ययन किया है, वह आप के सामने रखूंगा। भारत सरकार कृषि नीति बनाते समय इस विषय को 5 खण्डों में बांट दे। उस में कृषि विभाग रहे, कृषि वित्त विभाग रहे, कृषि संलग्न विभाग रहे, कृषि कानून विभाग और कृषि के तहत अन्य विभाग रहे। महोदय, कृषि विभाग में तीन बातें आनी चाहिए - कृषि यानी एग्रीकल्चर, इरिगेशन यानी सिंचाई और मौसम। कृषि वित्त विभाग में एग्रो फायनेस, एग्रो मार्केटिंग एंड रूरल एम्प्लायमेंट, वित्त, विपणन और ग्रामीण रोजगार रहे। कृषि संलग्न विभाग में सामाजिक वनीकरण, पशु-संवर्धन, कृषक आधारित उद्योग और कृषि विस्तार, सोशल फॉरेस्ट्री, एनीमल हस्बैंडरी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एक्सटेंशन प्रोग्राम रहे। कृषि कानून विभाग में कानून और महसूल की पद्धति, लॉ एंड रेवेन्यू प्रोसीजर और सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। अन्य विभागों में कृषि शिक्षा की जानकारी, सूचना तकनीक, ऊर्जा, कृषि तकनीक और विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन, इनफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, इनर्जी, एग्रो टेक्नॉलोजी और डब्ल्यू.टी.ओ. सीनेरियो रहे। महोदय, इन बातों को ध्यान में रखकर आप कृषि नीति में जो भी संशोधन आवश्यक है, वह संशोधन करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। डब्ल्यू.टी.ओ. के संदर्भ में देश की कृषि के विकास के लिए हम को संपूर्ण स्वतंत्रता रहे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचीरी) : मेहता जी, अब समाप्त कीजिए। आप का बहुत समय हो गया है। हमारे सामने और भी बिजनेस है जिन्हें पूरा करना है।

श्री ललितमाई मेहता : दो अन्य देशों के साथ अनाज के आयात में भारत के हित की रक्षा हो और तीन विश्व के देशों में हमारे देश के किसानों के लिए बाहर का बाजार खुल जाये, इस के संबंध में आप उपाय सुझाने की व्यवस्था करें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आभार।

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, today we are discussing a very vital issue. Agriculture is the backbone of our country. Sir, 70 per cent of our population is engaged in agriculture. Our country is indebted to the farming community. The farming community has made the country not only self-sufficient in foodgrains, but we have also become an exporting country. In many parts of the country our farmers are suffering from drought and floods.

It is unfortunate that the farmers are suffering on account of Government's policies. Sir, I am emphasising on Andhra Pradesh not only because I belong to that State but also because we are based on agriculture; Andhra Pradesh is an agricultural State. Our farmers are frequently suffering, as I said, because of calamities created by floods as well as droughts every year. Our hon. Chief Minister has taken enough precautions, but in spite of taking all actions, the farmers are suffering. There is no change in the plight of the farmers. Also, because of the strict norms adopted by the FCI this year, the paddy prices have dipped and the

farmers have been forced to opt for distress sale. Procurement *mandies* have hardly purchased 20 per cent of their produce. The FCI should give instructions for opening many more purchasing centres. And it is unfortunate that the farmers are literally waiting for weeks to get the buyers, but they find it difficult to get the buyers in time. With the arrival of more and more paddy, it is leading to a glut in the market and hence the farmers are left with no other option than to sell the superfine rice at Rs.400 per quintal against the reserve price of Rs.557/- per quintal. We are simply hearing assurances from the Government that the farmers will not be left to be exploited. But, in reality, the farmers are compelled to sell their produce at a lower price. Sir, in Andhra Pradesh, in the North Coastal districts, say, in Ananthpur and Telengana districts, there is a severe dry spell and that is why the crops have dried up. If you take the crops like coconut, paddy and groundnuts, they have all dried up. And cotton crops have been affected by pests. The farmers are depressed and there is no other option for them excepting committing suicide. Sir, this is the situation in Andhra Pradesh. Then, the Government is importing palm oil. It has an adverse effect on the palm oil producers and, especially, in our area, the palm oil producers have greatly suffered, and the farmers have been totally uprooted in the Ananthpur district. The condition is miserable there. Soyabean is another major crop raised there. But, as I said, this has also been affected. What I request is that the purchasing agency should be activated and they should procure their produce at a minimum support price irrespective of quality. And they have to create more space for rice and paddy and, for this purpose, the storage space in the FCI godowns should be increased. Sir, the delay of the Government officials in purchasing the stock is leading to a glut in the market. So, the purchases should be made frequently so that this kind of a situation can be avoided in future.

Not only that; the condition of the farmers in our country is very miserable. Not even a single decision is taken in the interests of the farmers. Every year we are facing calamities either by way of floods or droughts. And the delay in decision making adds up to their problems. As a result, so many families have been totally affected.

Sir, the subsidy given on the inputs used by the farmers is being reduced by the Government. The hike in the prices of petroleum products will have a cascading effect on the prices of diesel and fertilisers. The power tariff has gone up steeply. All these things are affecting the farmers very much. Now, the farmers are suffering a lot. So, the Government should see

to it that their condition is improved. If possible, they should reduce the power tariff. I, therefore, request that the Government should review its Agricultural Policy. Today, whatever space the FCI godowns have, is full of foodgrains. So, they need extra space for keeping their stocks. Unless the farmers get protection from the Government at all levels, their plight cannot be improved. I once again appeal to the Government to come to the rescue of the farmers who are suffering and distressed. I request the Government to take immediate action so that the plight of the farmers can be improved. Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on this subject.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज किसानों के बारे में यह प्रश्न सब जगह उठ रहा है और सभी लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। महोदय, भारत में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि किसानों ने बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन किया है। लेकिन इतना उत्पादन होने के बाद भी किसानों का बड़े परिमाण में नुकसान होना शुरू हो गया है। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं। इस विषय पर विचार करते समय मुझे एक कहावत याद आ गई। हमारे यहां मराठी में कहते हैं कि - "देणान्याचे हाथ हजार, पण फाटकी माझी झोली"। ऊपर वाले ने छप्पर फाड़कर धान दिया लेकिन लेने वाली सरकार की झोली फटी हुई है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि धान रखने के लिए हमारे पास स्टोरेज का इंतजाम नहीं है। कई सालों से हम लोग इस विषय को उठाते आए हैं। हर साल हम अलग से कुछ न कुछ बंदोबस्त करने की बात सोचते हैं, फिर भी हमने जो कुछ भी व्यवस्था की है, वह पर्याप्त नहीं है।

महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और महाराष्ट्र में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में चीनी का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के उत्पादन का एक तिहाई महाराष्ट्र से आता है। लेकिन अब संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले साल और इस साल बड़ी भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ और हालत यह हो गई कि खेत से गन्ना चीनी फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए साधन नहीं थे और गन्ना उधर ही खराब हो गया। इतना सब होने के बाद भी हमने इस दिशा में कुछ व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की। इस साल भी गन्ने का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, ऐसा मालूम होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार इस दिशा में क्या करने वाली है, यह हम जानना चाहते हैं और सरकार को इस विषय पर हम यह भी सतर्क करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि आप लेवी की जो शुगर लेते हैं उसे बेचने के लिए तो शुगर फैक्ट्री को परमिशन दे दो। जो इंपोर्ट के लिए एक्साइज ड्यूटी लेते हैं उसको बढ़ाने की व्यवस्था करो और शुगर फैक्ट्री के पास जो एक्सट्रा शुगर है उसको सरकार को खुद लेने के लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस शुगर फैक्ट्री पर रखी गई हैं वह भी हटाने की आवश्यकता है। यह भी मैं बताना चाहूंगा, नहीं तो, शुगर फैक्ट्री जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है, कोआपरेटिव सेक्टर में है वह खत्म हो जाएगी और इसलिए हमें सतर्क रहते हुए आगे चलने की आवश्यकता है।

सर, प्याज के बारे में भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारी उत्पादन क्षमता करीबन 40 लाख मीट्रिक टन के अगल-बगल होती है। लेकिन 54 लाख टन का उत्पादन गए साल हुआ था। 36 लाख टन की हमारी जरूरत है। करीबन चार लाख टन सीड के लिए लगता है। 54 लाख टन में से फिर गए साल 10 लाख टन कहां चला गया, उसका क्या हुआ? वह सब नुकसान आखिर किसानों को हुआ है और इस नुकसान के बारे में भी हमें सतर्क होकर देखना पड़ेगा। हम एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन थोड़ी-थोड़ी देते हैं। कभी देते हैं एक लाख पचास हजार टन। आप निर्धारित कीजिए कि हम एक्सपोर्ट करने के लिए 50 परसेंट की परमिशन देंगे। कम से कम हर साल साढ़े चार लाख मीट्रिक टन परमिशन एक्सपोर्ट करने की देंगे तो महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा कांदे का उत्पादन करता है, प्याज का उत्पादन करता है तो वहां का किसान ठीक से व्यवसाय कर सकेगा, नहीं तो उसको भी इसके लिए बहुत मुसीबत होगी। प्याज का उत्पादन करने के लिए किसान को करीबन... (व्यवधान)... (समय की घंटी)... बस, एक-दो पाइंट रखना चाहता हूं। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता।

प्याज के उत्पादन पर किसान को 350 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। लेकिन उतना उसको नहीं मिल पा रहा है। तो उसको कुछ निर्धारित दाम देने के बारे में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। प्याज का निर्धारित दाम रखने के बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। मैं एक और विषय आपके सामने यहां रखना चाहूंगा जो मछलियों के बारे में है। सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं। मछलियों का उत्पादन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आता है। जिस ढंग से कपास के बारे में निर्धारित दाम देने की चर्चा होती है, गन्ने के बारे में होती है, बाकी खेती के बारे में भी इसी ढंग से चर्चा होती है। कभी अकाल आता है तो उस कारण से किसानों को हानि हो जाती है और सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि किसानों की हानि हो रही है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको भी मदद मिलनी चाहिए। जब कभी ज्यादा बरसात से बाढ़ आती है तब भी उनको मदद देने के बारे में विचार होता है। लेकिन मछुवारों को इस ढंग से कभी मदद नहीं मिलती है। मछली पकड़ने के लिए 10 बोट जाती हैं और 10 में से एक बोट मछली पकड़ कर आती है लेकिन उनको कभी मदद नहीं मिलती। जो डीप सी में फिशिंग करने के लिए जाती हैं तो उनको भी कुछ मदद नहीं मिलती है। इस ढंग की जो परिस्थिति है इस विषय पर सोचने की जरूरत है। उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, वह सुविधा भी उनको नहीं दी गई।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : प्रधान जी, अब समाप्त करिए।

श्री सतीश प्रधान : सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सर, मेरे पास सिंदूर जिले की फिगर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। वहां पर 39 हजार टन मछलियां पकड़ी जाती हैं और वहां पर 17 फैक्टरीज में बर्फ का उत्पादन केवल 215 टन होता है। इतनी मछलियों को स्टोरेज करने के लिए वहां पर बर्फ का प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं हो पाता है जिसकी वजह से काफी मात्रा में मछलियां खराब हो जाती हैं, इससे काफी नुकसान हो जाता है। सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना होगा। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि संकरित, रोक लगाने की वजह से नारियल का उत्पादन बढ़ गया है जिसके कारण नारियल का काम बहुत नीचे आ गया है। वहां पर स्थिति यह है कि नारियल के ट्रांसपोर्ट का पैसा भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी खराब स्थिति से किसानों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? उनके लिए

सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं इस सरकार से विनती करता हूँ कि वह इस विषय पर भी गम्भीरता से सोचे और कारगर कदम उठाये।

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for this opportunity. The basic requirements of a human being are food, clothing and housing. Food and cloth are provided by the farmers and the housing is provided by the labourers. But what is the status of the farmer? He has got a very low social status. He is not respected. The reason for this is his economic condition. He can see money only after the harvest, whether it is after three months or six months. He sees money once in three months or six months whereas a *pan* shop owner gets his income daily. The status of a *panwala* is better than the farmer. About 70 per cent of our people are engaged in the agriculture in such a situation. What are the provisions for them? The Tamil poet Thiruvalluvar wrote; which means If the farmer stops working, the entire world will become dark. Such is the importance of a farmer. But he is not respected in several respects. For example, he needs seeds. Proper quality seed is not provided to him. The fertiliser is adulterated. The cost of fertiliser is too much. The pesticides are also adulterated. When he spreads pesticides in the fields, the pest is not killed and the result is that his crop fails. How far is his produce cost effective? The production cost of his produce is higher than the price he is getting for it. If his work is calculated, he will not get anything. Even if he has to live hand to mouth, the entire family must toil in the soil.

Unless they do it, they cannot get anything. Soon after harvest, when he is not getting a proper price for his produce, if he takes it to the market, there is an intermediary who takes everything. For example, in our place, the price of a coconut is Rs. 2. But the same coconut is sold in Delhi for Rs. 13! You see the difference of price between Rs. 2 and Rs. 13 -- it is Rs. 11! A farmer who produces is getting very, very low price for his product. The cost effect is not adequate. And he is not able to fix the price for his goods or the grains that he is producing. So, an affordable price should be given. So far as sugarcane is concerned, there is a demand to fix the support price at Rs. 1,000/- per tonne. But it has not been given. Sir, 10 per cent recovery is required for selling sugarcane at Rs. 1,000 per tonne. With these kinds of defects in fertilisers, seeds, pesticides, price and other things, I would like to ask the hon. Minister how it is possible for a farmer to produce any agricultural produce.

The second point is with regard to credit facilities...*(time bell)*...Sir, I require some more time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude now.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, the credit facilities are not being given to the farmers properly. When an agriculturist approaches the Bank for loan, he has to run from pillar to post. The loan is not sanctioned at the required time. At the same time, if an industrialist approaches the Bank for loan, he will be sanctioned, very easily, in a short time. So, the credit facilities are not being given to them and even after producing or harvesting, there is a lack of storage facilities. As a result, the agriculturists are not able to store and save their produce. With the result, whatever price that is being offered to him, he has to sell his produce. Apart from the storage facilities, they are also not being provided the irrigation facilities. Sir, to get a pump-set service connection, one has to deposit Rs. 25,000. Sometimes, that is also denied on account of ground water depletion.

The next point is that crop insurance must be made compulsory for all. Now, very often, the country is affected with natural calamities. In natural calamities, the crops are destroyed or devastated and there are no safeguards for them. Unless crop insurance is made compulsory, it is very difficult for them. So far as tea growers in Nilgiri are concerned, they are selling tea at Rs. 4 per kg., the reason being that tea is imported from Sri Lanka and the duty has been reduced to 7.5 per cent. Because of this, about 4 lakh tea growers are suffering like anything.

The next point is, the entire coconut crop is attacked with a mysterious disease and the coconut growers are suffering very much and are not getting a proper price for their produce. Sir, since two to three years the coconut crop in the country is affected with some mysterious disease and till date no medicine has so far been invented to arrest this disease and other things. These are the difficulties experienced by the agriculturists. I request this Government to bestow a thought on the plight of the agriculturists and save the agriculturists from their sufferings. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, one point. With regard to tea issue, I would like to submit that the duty is there in the entire

country. It is not in Tamil Nadu alone. On manufactured tea, Rs. 8 per kilo is being given as a subsidy.

The second point is this. The Sales Tax has been reduced from 8 per cent to 4 per cent. The CST has been reduced from 4 per cent to 2 per cent. Then, import duty has been enhanced from 15 per cent to 35 percent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): It is not a matter of discussion ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, only one minute ...*(Interruptions)*... Only one sentence ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri Gandhi Azad.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The import duty has been enhanced to 35 per cent from 15 per cent, in respect of people who buy tea from foreign countries for re-export, there is a provision that they should not sell the same in the local market. That is the reason for the problem and, of course, now it has been settled.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। आज देश में कृषकों की बहुत ही दयनीय दशा होती जा रही है क्योंकि कृषि में फसलों की उत्पादन लागत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कृषि में जो फसलें तैयार हो रही हैं, उसका मूल्य उत्पादन लागत से बहुत ही कम मिल रहा है।

महोदय, अभी निकाय चुनाव के दौरान मुझे फर्रुखाबाद और कन्नौज जाने का मौका मिला। ज्यों ही मैं उधर घुसा, आलू की सड़ांध आने लगी। हमने वहां के लोगों से पूछा कि क्या बात है तो उन लोगों ने बताया कि आलू का उत्पादन इतना ज्यादा हुआ है कि डेढ़ सौ रुपया उत्पादन लागत लगी है और उसको कोल्ड स्टोरेज तक ले जाने के लिए सौ रुपया खर्च होता है, मतलब ढाई सौ रुपया कुल उत्पादन लागत लगी है और आज आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकालने के लिए केवल डेढ़ सौ रुपया मिल रहा है, मतलब सौ रुपया प्रति क्विंटल उनको नुकसान हो रहा है। इसी तरह से मुझे मैनपुरी जाने का अवसर मिला था, वहां लहसुन का उत्पादन होता है। लहसुन के उत्पादन के लिए उत्पादन लागत कम से कम सात रुपया प्रति किलो होती है लेकिन वहां लहसुन बिक रहा है तीन रुपए से लेकर पांच रुपए किलो। दो रुपया प्रति किलो उनको नुकसान हो रहा है और किसान की कमर टूट गई है। किसान ने फसल की पैदावार की आशा में और उसका अच्छा मूल्य लेने की आशा में कहीं पम्पिंग सेट ऋण पर लिया है, कहीं से कर्ज लेकर ट्रैक्टर लिया है, कहीं उसने और दूसरा काम किया है लेकिन उसकी ऋण अदायगी नहीं कर पा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि किसान को अपने खेत बेचकर ऋण चुकाना पड़

रहा है और आज किसान के लिए खाद, बीज, डीज़ल, बिजली सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं और वहां एक विरोधाभास है कि एक तो ये दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन किसान के उत्पादन की कीमत कम होती जा रही है और दूसरी ओर यही सरकार बेरहमी से उनके साथ वसूली का काम भी करती है, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अभी कल हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सांसद श्री जनेश्वर मिश्र जी ने उद्धृत किया कि जौनपुर में हजार रुपए के एक बकाएदार को वसूली करने वाले लोगों ने बंदूक के कुंदों से मारा और वह मर गया। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 58 हजार करोड़ रुपया एन.पी.ए. है और अगर उसमें ब्याज जोड़ दिया जाए तो लगभग एक लाख करोड़ रुपया एन.पी.ए. है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसकी वसूली के लिए सरकार क्या कारगर उपाय कर रही है?

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुईं)

महोदय, इसी 26.4.2000 को लोक सभा के प्रश्न संख्या 4923 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में ऋण अदायगी न करने के कारण या फसलों का उचित मूल्य न मिलने के कारण 386 किसानों ने आत्महत्या की है और इतना ही नहीं, आज किसान जो है, फसलों का उचित मूल्य न मिलने के कारण ऋण अदायगी के लिए अपना गुर्दा तक बेच रहा है, अपने बच्चे तक बेच रहा है और यहां तक कि अपनी इज्जत तक दांव पर लगा रहा है। सरकार यहां समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, फसलों का बीमा करने की घोषणा करती है तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके समर्थन मूल्य पर कहां-कहां किसान को बेचने का अवसर मिल रहा है? समर्थन मूल्य कहीं भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, इसी तरह से आज सबसे भयावह स्थिति जो है, किसानों की फसलों से भी ज्यादा भयावह स्थिति यह है कि जो किसानों में लगे हुए हैं, 50 परसेंट किसानों में लगे हुए, कृषि में लगे हुए खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास खेत भी नहीं हैं और वे पूरे परिवार सहित, बीवी-बच्चों सहित खेती का काम करते हैं, आज उनकी हालत दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और वे बिल्कुल ही सस्ते होते जा रहे हैं। अनाज की परवाह नहीं है, फसल की परवाह नहीं है लेकिन मजदूर सस्ता होता जा रहा है और सस्ता ही नहीं वह सामंतवाद का शिकार होने के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहा है। शहर में माननीय जगमोहन जी के कारण वह परेशान है और इस तरह से यह देश की व्यवस्था है।

उपसभापति : गांधी जी, हम लोगों को यह पांच बजे से पहले खत्म करना था। इसका यह मतलब नहीं है कि आप टाइम में और ड्राउट पैदा करें।

श्री गांधी आज़ाद : हमारा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि अब तक जो परिपाटी रही है कि 'कमाएं धोती वाले और खाएं टोपी वाले', इसको बदलने की कोई न कोई व्यवस्था जरूर करिए।

उपसभापति : एक ही टोपी वाले हैं यहां।

5.00 P.M.

श्री गांधी आज़ाद : मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ

रोटी के लिए मजदूर का तन बिक जाता है,

अरे उनके तन की फिक्र नहीं, यहां तो मुर्दे का कफन बिक जाता है।

उपसभापति : डी.पी. यादव जी आप संक्षेप में बोलिए क्योंकि आपकी सब बातें, सब लोग बोल चुके हैं।

श्री डी.पी. यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं तो वैसे भी कम ही बोलता हूँ।

उपसभापति : नहीं, आप ज्यादा बोलें मगर समय देखकर।

श्री डी.पी.यादव : आज देश में किसान की हालत क्या है, यह चर्चा का विषय है। मैं समझता हूँ कि किसान शब्द ही अपने आप में काफी है, उसे बेबस और लाचार न कहें। खाली इतना कह दें कि किसान है तो सब कुछ पूरा हो जाता है। किसान की दुर्दशा पर मिनट और घंटों की बात नहीं लगातार कई दिनों तक बोला जा सकता है। इस देश में जो स्थिति किसानों की आजादी के 53 वर्षों बाद है इसमें एक ही काम आगे बढ़ने का किया है। किसान बेचारे की जमीन कम हो गई है। असलियत यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान के घर में खाने के लिए अनाज सबसे घटिया किस्म का बचता है। अच्छी सब्जी सब्जी मंडी में चली जाती है, अच्छे गुड की चीनी बनकर मंडी में चली जाती है और अच्छा अनाज महाजन ले जाता है। उसके पास आखिर में जो बचता है उससे किसान को अपना गुजारा करना पड़ता है। इसके बावजूद उसका सारा परिवार सूरज निकलने से सूरज छिपने तक खेत में परिश्रम और मेहनत करके जो कुछ पैदा करता है उसके बदले में 53 वर्षों की सरकारों ने उसे जो कुछ दिया है वह वास्तव में बहुत अफसोस की बात है। और तो और बिजली आए न आए लेकिन उसके ट्यूब वेल का फिक्स बिल इतना ज्यादा आता है जिसको वह अदा नहीं कर पाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। 500 रुपये की तकावी अगर किसान पर बकाया है तो जरूर उसको तहसील की जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाहे किसी उद्योगपति पर 500 करोड़ का बकाया हो, वह आराम से गाड़ी में बैठकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलने जा सकता है। लेकिन 500 रुपये बकाया वाला गरीब किसान को, किसी अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम या पटवारी के कहने से जेल जाना पड़ता है। इस देश के किसान का यह दुर्भाग्य है। आर्थिक उदारीकरण के इस युग में सरकार इसको लाने की गुंजाइश पैदा कर रही है। एक तरफ भारी उद्योग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस नीति का भी सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को इस देश में हो रहा है तो वह किसान को हो रहा है। अभी दिल्ली की सड़कों पर जो आक्रोश उभरा है, वह किसान का ही आक्रोश था। माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहां पर हैं, मैं बाकी सदस्यों के बारे में तो नहीं जानता लेकिन वे किसान हैं, किसानों से ताल्लुक रखते हैं और इनको खेती की अच्छी जानकारी है।

मैं यह जरूर चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने के नियम और कायदे कानून आज भी इस देश में लागू हैं, 1864 का वह कानून, जब किसान को अपनी जमीन की मल्लिक्यत का भी

अधिकार नहीं था, बदलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार की दूर की नजर कमजोर है लेकिन अपने आसपास देखकर अगर कुछ रद्दोबदल करना चाहे, किसान को तरजीह देने का, किसान को ताकत देने का तो कुछ ऐसे कानून जो आज भी किसानों पर लदे हुए हैं उन्हें बदलने का काम होना चाहिए। क्योंकि किसान अब पैदा करता है, खाने के लिए सबको देता है तो सीमा पर भी उसका ही बेटा लड़ने जाता है। इसलिए उसके मन को ताकत मिलने का अवश्य आभास मिलना चाहिए। जो इस धरती को हरा-भरा बनाता है, जब हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बात आती है तो किसान याद आता है लेकिन जब सहूलियतों की बात आती है, आजादी के मायने देने की बात आती है तब किसान याद नहीं आता। अब तक जितनी भी सरकारें रही, गांधी जी ने कहा था कि किसानों के बीच कुटीर-धंधे होने चाहिए यद्यपि गांधी जी के अनुयायियों की सरकार भी यहां रही है, चाहे पहले रही हो या बाद में रही हो परंतु किसानों को परेशानी में डालने के अतिरिक्त इनकी नीतियों ने और कुछ नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है, हालांकि मेरा बोलना बहुत महत्व नहीं रखता, मैंने लोक सभा में भी एक-दो बार बोला है और राज्य सभा में भी बोला है लेकिन मैंने देखा है कि यह हाउसों की नियति है कि सदस्य बोला करते हैं और बोलने के बाद कागजों के रूप में उनके रिकार्ड बन जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि हम यहां चुनकर इसलिए आते हैं कि उन तमाम लोगों की आवाज उठाकर इस देश के कर्णधारों के सामने रखने की कोशिश करें तो इस पर कुछ विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण करना चाहिए और यदि वास्तव में कोई यथार्थ की धरती पर खड़ा होकर सच्चाई की बात कहता है तो उसे अवश्य महसूस करना चाहिए, सरकार को जरूर कुछ करने का इशारा रखना चाहिए। मैंने यह महसूस किया है, हालांकि इस विषय में अन्य माननीय सदस्यों की राय मुझसे अलग हो सकती है लेकिन हम जो कुछ भी यहां बोलते हैं वह महज एक रिकार्ड बनकर जमा हो जाता है। मैं नहीं जानता कि उससे आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े इलाके में मेरा घर है ... (व्यवधान)...

उपसभापति : यादव जी, कृपया आप यह दोबारा किसी और जगह बोल दीजिएगा।

श्री डी.पी.यादव : सिर्फ एक मिनट लेकर खत्म करूंगा। मेरा घर खेत के बीच बना है जहां खेती है। मुझे किसानों का हर काम अपने हाथ से करना आता है। आप यकीन करें कि जब मैं उत्तर प्रदेश में एम.एल.ए. था बामुश्किल मैंने वहां ट्यूबवेल लगवाया था। एक सांसद को और वह भी डी.पी.यादव जैसे सांसद को वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बिजली का कनेक्शन कटवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ी कि जब बिजली नहीं आती तो आप बिल किस बात का मांगते हो, सरकार किस बात का बिल मांगती है? इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि आम जनता की स्थिति अच्छी देखी जा सकती है। अगर डेग में पक रहे चावल के बारे में सोचा जाए कि पका या नहीं तो एक चावल निकालकर देख लेते हैं लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और ही है।

उपसभापति : आप अपनी स्थिति किसी और दिन बता दीजिएगा। आप पर्सनल बात न करके जनरल बात कीजिए क्योंकि मुझे दूसरों को बुलाना है।

श्री डी.पी.यादव : मैं मानता हूँ कि सरकार की दूर की नजर कमजोर है लेकिन नोएडा तो पास में ही बसा है जहां किसानों की खेती की जमीनें चली गईं और कल-पररतों उनके आक्रोश का सामना दिल्ली को करना पड़ा। इससे अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वह किसान

हुआ है, चाहे आर्थिक उदारीकरण में मल्टी नेशनल का आना हो, चाहे किसान के खेत लगे ट्यूबवेल का बिल पे करना हो...(स्थवधान)...

उपसभापति : हाउस का सेंस लेना पड़ेगा।

श्री डी.पी.यादव : चाहे खेतों से अनाज पैदा करके अनाज और सब्जियों को मंडियों में बेचना हो, ये सारी तकलीफें किसानों के सामने हैं। मैडम, इसमें वक्त अधिक होना चाहिए।

उपसभापति : चार घंटे दिए हैं। मंत्री जी को जवाब देने का समय दीजिए।

श्री डी.पी.यादव : मंत्री जी तो किसान हैं इसलिए वे समिति में जरूर गए होंगे।

उपसभापति : मंत्री जी को जवाब देने का समय दीजिए।

श्री डी.पी. यादव : इस पर बोलने के लिए वक्त बहुत थोड़ा मिला। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपसभापति : वक्त थोड़ा नहीं मिला। किसी भी सब्जेक्ट पर- आप कम बोलते हैं इसलिए शायद आपको यह नहीं मालूम कि शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन सवा दो घंटे का होता है। लेकिन हाउस की इच्छानुसार इसे चार घंटे का कर दिया और अब यह चार घंटे से ज्यादा का हो गया है।

श्री डी.पी. यादव : यह किसानों का मामला है, उनके सामने गंभीर समस्याएँ हैं।

उपसभापति : मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर बात के अंदर वजन हो तो दो मिनट के अंदर ही अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन अगर वजन नहीं है तो जन्म भर बोलते रहें उसका कोई असर नहीं होता।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, आज ही उत्तर करा दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : कल और दूसरा विषय आना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House so agrees, we can finish it today.

SOME HON'BLE MEMBERS: Yes.

SHRI S. PETER ALPHONSE (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, the Indian farmer's position is like my position in the Parliament,

always last, and nobody is interested in hearing me, and he has to pay for the luxuries of others.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So long as the Chair and the Minister are interested, you should be happy.

SHRI S. PETER ALPHONSE: Madam, we have been classified as "Others," my friends and myself, and we always come at the last. Nobody is interested in hearing us. We were given 30 minutes, and we were not called by rotation. We have become the condemned lot of the House. That is what I feel. We are more than 30. We are entitled to 30 minutes in this discussion. But we are always asked to suffer because the other parties take the time and they do not abide by the time schedule. The ultimate is: Who is to pay for this, like the Indian farmers, as the "Others," inside the Parliament? Nobody is interested in hearing him, and in a discussion like this, the point of view of "Others" should also be heard, and we should be given proper time and proper hearing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, the time allotted is not 30 minutes but it is 48 minutes for "Others." But "Others" are a group of people, not a political party. A political party gets preference over individuals. That is why we give all the time. ...(*Interruptions*)... This is the procedure. If you want to change the procedure, I have no problem. But it has to be discussed in a proper forum. So, don't waste your time like this. Say something about the farmers.

SHRI S. PETER ALPHONSE: Madam, my position is identical. If my position is understood, the position of the Indian farmers will also be understood. I will not speak about the whole of India. I will confine myself to Tamil Nadu alone.

Madam, I have four points. Firstly, I come to the point related to the sugarcane farmers of Tamil Nadu. Madam, the Government has fixed an administered price, that is, roughly about Rs. 750/-, and in Tamil Nadu, there are cooperative sugar mills and also the private sugar mills. In one of the districts, two mills are located. One mill is run by a cooperative society and the other mill is run by a private entrepreneur. But only the cooperative mill pays Rs. 750/- to the sugarcane farmers. The private mill owners have got an injunction from the High Court of Madras, and they do not pay Rs. 200 extra. In the same district, the farmers are getting two treatments, the

cooperative mills pay Rs. 750/- and the private mills pay roughly around Rs. 550/-, and the private mill owners owe Rs. 200 crores to the poor farmers. Our party has launched an agitation and 80,000 people courted arrest, and last week, when the Assembly was in Session, the sugarcane farmers were on fast. Madam, we are neither owned by the Central Government nor claimed by the State. That is our position. In respect of the sugarcane farmers, the Centre says: "It is purely a State subject where they cannot intervene." The State Government says: "The matter is *sub judice*, so, we cannot do anything." What do you expect from a poor farmer growing two metric tonnes of sugar? Do you want him to go and fight a legal battle in the High Court and the Supreme Court against the Tatas, Birlas, Dalmias and Singhania who are running the sugar mills? Where is the Government for the poor people? At least, now, a solution should be found out. And the worst part of it is, a man has to pay everything in advance, for the cutting charges, for the transportation of products from his field to the factory. He has to pay for everything immediately in cash, but the sugar mill pays him only after three or six months. They don't pay money immediately. For that, he has to pay penal interest to the financial institutions, and also to the cooperative banks. For the arrears which are kept by the sugar barons, by the Government agencies, the poor farmer has to pay penal interest. This is the condition of the sugar farmers in Tamil Nadu.

And take the case of coconut farmers in Tamil Nadu. NAFED pays Rs.32/- per kilo for copra to be procured through transfer. TANFD is the agency of the State Government to procure copra for the Central Government. I have submitted enough evidence, even to the Minister of Agriculture, that there is a group, a small influential group, that pays only Rs.20/- to the agriculturist and swindles Rs.12/-per kilo, and in a short span of seven days, Rs.14 crores have been looted, the public money! I have written to the Agriculture Minister, and the hon. Minister has replied, and he said, he will avoid such kinds of mistakes in the future! What action are you taking against those persons who have looted the money allotted for the poor? Stealing is an offence, and stealing from the beggar is most heinous because he has nothing to offer. The man is already suffering, the farmer is already suffering. You are going to take away the money. And where is the unholy alliance? Where is the unholy alliance between the officers and the Government contractor? And who is to punish them? Globalisation, WTO, these are all things which are not under our control. But for paying the farmer, which is his due, the budgetary allocation is there.

The Central Government is allotting money for deepening of ponds, for irrigation tanks and for desilting. There is a specific direction that the money should be spent only through the agriculturists of that particular tank; they should form a society and the society should spend the money. But in Tamil Nadu alone, those works are going to be executed by contractors, the Government contractors! Desilting and deepening tanks is the most lucrative business in Tamil Nadu because there is an unholy alliance between the three corners, the Government contractor ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry) : Madam, that should not be allowed to go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. PETER ALPHONSE : No; I have got everything to go on record. I can substantiate what I say. I stand by my allegations. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now no more fighting on this issue, please...*(Interruptions)*... It is a common issue. If he feels that way, let him speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: He is saying "unholy alliance". ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Never mind. For the sake of time, please cooperate with the House. Every time, you don't have to react. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Madam, the farmers have been issued identity cards. Only those people who are having identity cards can sell. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruption)*... Please take your seat. No, I am not permitting. It is not a debate that you speak and then he speaks. You had your time. You had said whatever you wanted to. Let him finish. He is a Member, and he has an equal right to speak what he feels. He is not going to speak what you want him to speak. Let him speak.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Let him speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Definitely. Let him speak. It is his right from his political party. You can't keep on stopping people like this. There is a limit to all this, and people are making fun of you; they are not taking you seriously, I can assure you. Even the House does not take you seriously, that whenever there is a question of Tamil Nadu, there should be acrimony, which is not correct. Prove it with your commitments when you speak, please. Thank you for cooperation. Please continue, Mr. Alphonse.

SHRI S. PETER ALPHONSE: I said "only in Tamil Nadu". I stand by what I said, because last month, a team from NABARD came for inspection and they were questioning the State Government why they had not spent the money according to the instruction given in the scheme. Our hon. PWD Minister said that Tamil Nadu agriculturists have no experience in this kind of work. When agriculturists in Karnataka, in Andhra, in Maharashtra, do their job according to the direction of the NABARD, why can't the agriculturists of Tamil Nadu, who are the people supposed to be the best in the country, do it?

What is happening is this. The desilting business, etc., are looting. They have to wait for the rain. They prepare the bill, keep the work order, get the completion report ready and wait for the rain. When the rain comes, the next day, the bill is lodged and the money is withdrawn. Everything is looted. Everybody is happy, except the agriculturists, because there is no evidence. The desilting cannot be proved. *(Time bell rings)*...
...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I have two more speakers.
...(Interruptions)...

SHRI S. PETER ALPHONSE : I will take only two more minutes.
...(Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : No. I said, "I have two more speakers".
...(Interruptions)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : There is no evidence.
...(Interruptions)...

SHRI S. PETER ALPHONSE : I am not yielding. *...(Interruptions)...*
I will prove it. *...(Interruptions)...*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: There is no evidence. *...(Interruptions)...* He has himself said that he did not have evidence. *...(Interruptions)...* These are charges without evidence. *...(Interruptions)...*

SHRI S. PETER ALPHONSE : I will prove it. *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN : Let him prove it. *...(Interruptions)...* He is substantiating it. *...(Interruptions)...* He is substantiating it. *...(Interruptions)...* Let him substantiate it. *...(Interruptions)...*

SHRI S. PETER ALPHONSE: I have not blamed anybody. Or, is it that the cat is out of the bag now? I have not blamed you. I blamed the system. I referred to what is going on. Why should you people rise and oppose me?

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: He is going on repeating things unnecessarily. That is why we are rising. *...(Interruptions)...*

SHRI S. PETER ALPHONSE : I have informed the House that the NABARD team came. A technical member came to Tamil Nadu and he passed a comment that they could not permit this kind of work to be executed by the contractors. The Tamil Nadu CPWD Minister had replied to that. It is for the Minister of Agriculture to reply to me. I have placed everything on record.

Similar is the case with the milk societies. The milk producers have not been paid for the last three or four months.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Okay. Shri N.K. Premachandran.

SHRI S. PETER ALPHONSE : Madam, this is the situation in Tamil Nadu. There are certain things which are not under our control, like floods, drought, etc. Then, there is no money for providing some relief. But all these things are mis-governance, mal-governance and, I may even call, non-governance. The Centre should govern. It is not that the Centre should merely exist. The Centre, when it spends money, should see to it--they may be your partner in governance--that the poor man gets his due share, the farmer gets his rightful share. I request the Minister of Agriculture to look into the allegations. If he can enlighten me about this in his reply, I will be happy.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri N.K. Premachandran. Please be brief, because we have to finish the discussion today.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Madam Deputy Chairperson, it is an undisputed fact that the Indian agriculturists play a very important role in the Indian economy. They are also the backbone of the Indian economy. When you reform the Indian economy, especially, when you make structural reforms, you should keep in mind that it should not affect adversely the interests of the farming community in our country. That is why the Left Parties were opposing the new economic reforms, the globalised economic order, especially, in the agricultural field, from 1991 onwards. My first submission is that the reforms, which were started since 1991, have affected adversely the agricultural sector. It is being experienced nowadays. That is why our hon. Prime Minister had said, in his address in a seminar organised by the World Economic Forum, in collaboration with the Confederation of Indian Industries, that the fruits of the economic reforms by way of globalisation should reach the common people, the masses. It was an admission by the hon. Prime Minister that the fruits of reforms had not reached the common people, the masses. It is evident from the discussion of yesterday and today. It has become clear that the poor masses, the common people, especially, the farming community of India, have not received the fruits of the reforms. It was an indirect admission by the hon. Prime Minister in his address at the World Economic Forum. What is the latest position, as far as the farming community is concerned? I am not going into the details of the reforms and other things, due to lack of time. But a simple arithmetic shows, as far as the ordinary prudent man is concerned, the farmer is concerned, the fruits of the reforms have not reached the poor people, the masses. What is the reason for the plight of the farmers? The simple answer, the logical answer, is, the cost of production is higher than that of the price of the commodity.

That is a mere arithmetical economics as far as an ordinary prudent man is concerned. What is the reason for the high cost of production? While the cost of production is escalating just like a rocket the prices of commodities are going down, are declining day-by-day. That is the plight of the farmers. We can see it when we analyse the cost of production. I am just summarising the points. The indiscriminate use of pesticides and insecticides is especially creating havoc, as far as the cost-

effective side of agricultural commodities is concerned. The Government, till today, has not taken any concrete steps or concrete measures to rationalise the situation and also to implement integrated pest management, particularly the use of bio-pesticide which is environment-friendly and human-friendly. The same is the case with fertilizers. Power charges are also escalating. So far as Enron Power Project is concerned, Rs. 8/- per unit has to be paid. Madam, the increase in transportation charges and the hike in the prices of diesel and petrol have aggravated the situation, have aggravated the plight of the farmers. So far as loan facility is concerned, yesterday also it was stated in the House that the poor and marginal farmers are not given a chance, are not getting an opportunity to avail of loans from financial institutions. Yesterday and today, the whole House has agreed on one fact, i.e. public funds or public investment is required in the field of agriculture. From where would the public funds or public investment come? What is the instrument for investing public funds because even the banks are going to be denationalised? We know it very well that in the last five decades the agriculture sector has been helped by the nationalised banks by way of finances. The banking sector is also going to be denationalised. My submission is that the Government should come forward with a positive proposal to effect a radical reduction in the cost of production of agricultural commodities by providing subsidies and concessions. The second part of my submission is in regard to the unprecedented decline in the prices of agricultural commodities. When we are dealing with the decline in the prices of agricultural commodities, I would like to draw an oral picture of all these things. The situation is very damaging. A very grave situation is prevailing in our country. I would like to cite certain examples. So far as arecanut is concerned, six months back its price was Rs. 140/- which has come down to Rs. 60/-. In the case of coco, the price has come down from Rs. 30/- to Rs. 24/-. In the case of pepper, the price has come down from Rs. 260/- to Rs. 100/-/. In the case of cardamom, the price has come down from Rs. 1,100/- to Rs. 400/-. In the case of coconut, it was Rs. 7/- per nut which has come down to Rs. 2/- per nut. In the case of rubber, the price has come down from Rs. 60/- to Rs. 28/-. In the case of tea, the price has come down from Rs. 80/- to Rs. 38/-. I don't want to go into the details. This unprecedented decline in the prices of agricultural commodities is due to the liberalised economic policy. What is the argument of the Government? The argument given by the Government and the statement of the hon. Minister in the other House shows that it is due to the globalized new economic order and due to the

removal of quantitative restrictions. They have also said that it is the Congress Party which initiated the reform process. That is the argument. That is the logical argument of the BJP, of the NDA Government. So far as the argument given by the Congress Party is concerned, yesterday also the architect of the new economic reforms, Dr. Manmohan Singh, very openly and very specifically said that it was not only because of the removal of quantitative restrictions but also because of the mishandling of the procurement policy. An inefficient administration of the Government and an inefficient Public Distribution System and all these things show that the Government as well as the Opposition Parties, especially the main Opposition party, admit the fact that new economic reforms, especially the removal of quantitative restrictions has resulted in such a situation of havoc. I would like to cite just one difference between the Congress Party and the BJP. The Congress Party initiated this process with moderate speed, but the BJP which is now in power has implemented it with higher speed. That is the only difference which we can see between the two sides. The argument which was put forward in the last one decade by the Left parties has proved to be correct and 70 per cent of our population is affected adversely. The industries are affected and the Indian economy is also affected adversely.

The farmers are being forced to commit mass suicide. Otherwise, there is no way for them to live. That is the situation. As far as my State is concerned, the coconut growers are facing a very severe crisis because of the import of palm oil. I do accept that the customs duty was enhanced to 30 per cent. But I demand that it should be enhanced to 300 per cent. Even in the case of crude oil, the customs duty is just 15 per cent. As far as refined oil is concerned, it has been enhanced to 30 per cent. This only helps the traders and not the farming community because palm oil is being imported in the Bombay and Cochin ports as crude oil and later it is refined. So, this has benefited the traders and industrial houses and not the farming community. More than 60 per cent of the edible oil which is being imported in the country is palm oil and its sister products. It is also being imported from Malaysia. There is an aggressive marketing tactics to boost the palm oil exports to India even by exempting exports duty...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You please conclude. You have taken more than your time.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: One more point, Madam. As far as the minimum support price is concerned, it has come out in the Press and media that it is not going to be revised. Madam, I would like to say that the minimum support price should be declared in the month of December and the Government should review the import and export policies. With these words, I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Vanga Geetha. You have only five minutes.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Madam, I will confine myself only to the problems pertaining to my State.

Madam, I would like to apprise you about the marketing problems being faced by farmers in our State. During the current year, crop conditions in general have been good except in a few districts. The production of overall foodgrains, particularly, paddy and maize, has also been more than normal. But the price of agriculture commodities have fallen at the time of harvest leading to distress sale. The State Government initiated several measures to meet the situation, namely, procurement of maize by A.P. marketfed and procurement of coconut copra by A.P. oilfed.

A Cabinet sub-committee with Ministers of Agriculture and Civil Supplies for discussing marketfed and major irrigation works was constituted at the district level for implementing the market intervention programmes. All these problems were referred to the concerned Minister of the Union Government.

I request the Government of India to consider the following suggestions seriously in order to protect the interests of our farmers. Firstly, as regards paddy, the Government should take action in the following matters: (i) Relaxation of quality specifications for procurement by FCI in view of the damage caused to paddy crop due to heavy rains. (ii) To set up procurement centres in all districts and to accept the total quantity of paddy offered by the farmers without any restrictions as the farmers are not even getting minimum support price. (iii) To speed up procurement of rice by FCI. (iv) To create more storage space in the godowns and, in the railways, provide for more number of rakes for movement of rice from Andhra Pradesh to other States. (v) The Government of India may also consider exemption of various duties and taxes on export of rice, and

encourage its exports to other countries in view of the surplus stocks of rice available.

Secondly, in the case of groundnut, during the last two years, the groundnut farmers have suffered severely due to drought in the Kharif season in the years 1999 and 2000. The problem has been aggravated by the falling price of groundnut during the current year. In view of these problems, there is a good need to find a solution to face the crisis being faced not only by oil palm growers but also by oil seed farmers.

I request the Government of India to issue orders for an immediate, substantial, increase in the import duties on crude oil and refined edible oil so that the palm growers and oilseed farmers can get remunerative prices.

Madam, soyabean is one of the major crops raised by tribal farmers in Andhra Pradesh. In this current season, the farmers are not getting the minimum support price for soyabean. The procurement programme needs to be commenced immediately by TRIFED and NAFED in the State for ensuring a reasonable price to the farmers.

Madam, now I come to the issue of fall in the prices of coconut. Andhra Pradesh has an area of one lakh hectares under coconut cultivation. It is grown mostly in coastal areas like Srikakulam, East Godavari, West Godavari and Vijayanagram. This year, the price of coconut has crashed from Rs. 4/- per piece to Re. 1/- to 1.20 per piece. The present minimum support price for edible copra grade I is Rs.3,250/- per quintal, and Rs.3,010/- for grade II. In view of the increased cost of production, it is desirable that the minimum support price for copra may be increased to Rs.5,500/-.

Madam, in view of the problems being faced by the agriculturists, I request the hon. Minister to issue orders to the various authorities concerned to intervene in the market and to take the required policy decisions to protect the domestic farmers immediately. Unless the farmers get protection from the Government at all levels, their plight cannot be improved. Hence, once again, I appeal to the Government to come to the rescue of the farmers who are forced to resort to distress sale of their produce.

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करना चाहता हूँ कि किसानों की हालत पर इस सदन में लम्बी चर्चा हुई है और शार्ट डियूरेशन डिस्कशन के लिए जो समय निर्धारित होता है, उससे काफी ज्यादा समय तक इस सदन ने चर्चा की है और सब लोगों ने आज देश में जो कृषि के क्षेत्र में समस्याएँ हैं, किसानों की

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]

जो कठिनाइयाँ हैं, उनके संबंध में अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर यहां अपनी बातें रखीं। चर्चा शुरू करने वाले माननीय सदस्य मुझे दीख नहीं रहे क्योंकि मैं उनकी बात को पूरे गौर से सुन रहा था, उसके बाद डा. मनमोहन सिंह की बात मैंने सुनी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : फिर भी काफी लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन चर्चा शुरू करने वाले अनुपस्थित हैं, इसलिए जहां हमें खुशी है वहां थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है कि कहीं सचमुच हम सिर्फ चर्चा ही तो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो बात हम उठाते हैं, उस बारे में सचमुच क्या हो रहा है, यह सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, उस बारे में सुनने के लिए भी अगर हम मौजूद रहें तो ज्यादा बेहतर होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, आपको ज्यादा नॉलेज होगी। अब कई बातें कही गई हैं - आज जो कृषि के क्षेत्र में समस्याएँ हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, प्रोक्थोरमेंट मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, बाहर से बहुत सारी चीजों का आयात किया जा रहा है, आयात करने के लिए छूट दी गई है और यह सब सरकार की नीतियों के चलते हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों के चलते हो रहा है आदि, आदि, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा कई लोगों ने आज जो देश में प्राकृतिक विपदाएँ हैं, उनकी भी चर्चा की, लेकिन, उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैं समझता हूँ कि कल सदन में सूखे की स्थिति पर चर्चा की मुझे जानकारी मिली है और बंगाल के फ्लड के बारे में ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा हुई है, तो इन विषयों पर आज जिन माननीय सदस्यों ने कुछ इलाकों की चर्चा की है, उन बातों पर जिन पर कि कल भी और आगे भी चर्चा होनी है, उनके बारे में आज कहकर मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको बार-बार दोहराया जाए।

अब देश के अंदर जो स्थिति है, देश के बाहर के भी कुछ कारण हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें गौर करना पड़ेगा। डा. मनमोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने मेरे बारे में कहा और संभवतः उनका इशारा दूसरे सदन की तरफ था। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अखबारों में कुछ बातें पढ़ी हैं। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब मेरे ऊपर और सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे और उन आरोपों में सच्चाई नहीं थी तो उस स्थिति में मैंने कहा था कि आप डा. मनमोहन सिंह जी से पूछ सकते हैं और उनसे आपको डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में वस्तुस्थिति मालूम हो जाएगी। यह मैंने कहा था। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था। जब आप वित्त

मंत्री हुआ करते थे और हम दूसरे सदन में विपक्ष में बैठते थे, तब हम जरूर आरोप लगाते थे। डब्ल्यू.टी.ओ. का समझौता पहले डंकल प्रस्ताव के नाम से आया था और फिर गैट का समझौता हुआ और बाद में उसका नामकरण डब्ल्यू.टी.ओ. हुआ। उस समय जो बातें हम लोगों को कहनी थीं, हमने कहीं थीं लेकिन आज सरकार के मंत्री के नाते किसी बात को कहना है तो आज जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में कहना है। यह आरोप और प्रत्यारोप में हम समय बरबाद करें, इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इन बातों की चर्चा यहां की। इससे मुझे यह बता देने का मौका मिला कि मैंने कोई आरोप आप पर नहीं लगाया था बल्कि मैंने आरोप लगाने वालों को सलाह दी थी कि शायद पूरी जानकारी उनके पास नहीं है, इसलिए आप डा. मनमोहन सिंह जी से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा और इससे वे आरोपों को ठीक ढंग से फ्रेम कर पाएंगे। इसी सिलसिले में मैंने यह बात कही थी।

महोदय, कल जनेश्वर मिश्र जी कह रहे थे कि इंपोर्ट हो रहा है और कई चीजों का इंपोर्ट उन्होंने गिना दिया, दूध का बता दिया, कई चीजों के इंपोर्ट के बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश में कृषि पदार्थों का इंपोर्ट बढ़ा नहीं है, बल्कि घट रहा है। हमारे सामने 1998-99 के जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक इस वर्ष में 12,584.8 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि पदार्थों का इंपोर्ट हुआ था जो 1999-2000 में घटकर 11,510.9 करोड़ रुपए रह गया। यानी ऐग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स का इंपोर्ट घटा है। यही नहीं देश के कुल इंपोर्ट में ऐग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स का जो प्रतिशत है, वह भी घटा है। जहां 1998-99 में यह 7.05 प्रतिशत था, वहीं 1999-2000 में घटकर यह 5.63 प्रतिशत रह गया। इसलिए यह जो आरोप लगता है कि कृषि पदार्थों का अंधाधुंध आयात हो रहा है और सरकार की गलत नीतियों के चलते यह आयात हो रहा है, आयात की छूट दी जा रही है, ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं, यह आरोप गलत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि दूध का आयात हो रहा है। कितने ही लोगों से मैंने पूछा कि कहां दूध का आयात हो रहा है। और तो और दूध के पाउडर से बात शुरू हुई और चली गई लिक्विड मिल्क पर। लोग आज यहां तक कह देते हैं कि बाहर से दूध आ रहा है। कितने ही लोगों से मैंने पूछा कि कहां आ रहा है, लिक्विड मिल्क कैसे आएगा? जब बाहर से लिक्विड मिल्क आएगा तो या तो समुद्री मार्ग से आएगा या हवाई जहाज से आएगा, लाने का खर्च उसमें जोड़ दीजिए और ये कहते हैं कि लिक्विड मिल्क यहां आकर 7 रुपए, 8 रुपए लीटर बिक रहा है। हम पूछते हैं कि कहां से आया? किस जगह पर आपने लिक्विड मिल्क देखा? इसका कोई जवाब नहीं है। महोदय, अफवाहों के सिर-पैर नहीं होते हैं। फैलते-फैलते कस्बों में, गांवों में यह बात फैल गई है कि दूध का आयात हो रहा है। हां, दूध के पाउडर का आयात जरूर होता रहता है और दूध के पाउडर का आयात पहले से होता रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता रहा है। पिछले साल के पूर्वार्द्ध में कोई ज्यादा आयात नहीं हुआ था लेकिन उत्तरार्द्ध में देखा गया कि दूध के पाउडर का आयात पहले की तुलना में ज्यादा हो रहा है। तत्काल हमारी नज़र इस पर गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पता लगा कि दूध के पाउडर का जो इंटरनेशनल प्राइस था, वह घट गया था और यहां लोग मंगा रहे थे क्योंकि मंगाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, छूट थी, जैसे ही हमें यह पता लगा, तत्काल भारत सरकार ने इस बारे में कार्यवाही की। हमारे दो-दो जानकार पूर्व वित्त मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं और उनमें से एक प्रणब बाबू तो कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि इसके लिए अलग से समझौता

करना पड़ा क्योंकि दूध के पाउडर पर आयात शुल्क शून्य था। यह स्वाभाविक था और यह 1947 से चला आ रहा था। महोदय, 1947 से जो गैट का आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था, वही अब तक जारी था। इसके बारे में फिर देखा गया तो जिनके साथ व्यापार है उनके साथ अलग से समझौता किया गया और समझौता करके हम इसको 60 प्रतिशत तक ले गए। टैरिफ कोटा रेट भी है वह दस हजार एम.टी. का है। जहां तक मुझको स्मरण है और बाकी 60 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया उसके बाद स्थिति सुधर गई और इस साल तो हालत यह है कि इंटरनेशनल प्राइस हमारे दूध की प्राइस से ज्यादा है और इसके बाद ज्यादा दूध का पाउडर आयात नहीं हुआ। कुछ लोग विदेशी चीज ही खाना चाहते हैं उनको आप कैसे रोक सकेंगे। हल्ला हुआ कि बाहर से सेब आ रहा है, सेब आ रहा है, सेब आ रहा है। पता लगवाया। एक व्यक्ति हमारे यहां मिलने के लिए सुबह-सुबह ही आ गए। उन्होंने कहा कि आप कुछ देखिए, बाहर से सेब आ रहा है। हमने तुरन्त ही कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि आप लोग देखते नहीं हैं बाहर से सेब आ रहा है, तो बाजार से सब खबर लाओ। आखिर खबर लाकर उन्होंने कहा कि वह सेब तो बड़ा महंगा है और वह सेब तो अमीर लोग ही खा पाएंगे तथा यह सेब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब पर असर डालने वाला नहीं है, उससे कुछ परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोगों की आदत है कि जब तक विदेशी चीजों का सेवन नहीं करेंगे तब तक उनका जी नहीं लगेगा। तो उनको हम क्या कहें। कोई अगर डेढ़ सौ रुपए के माव का सेब खाना चाहता है तो खा ले, कोई अगर विदेशी चीज खाना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई विदेशी चीज हमारे यहां सस्ती आए और हमारे उत्पादन पर, हमारे उत्पादकों पर प्रभाव डाले तो ठीक कहते हैं डा. मनमोहन सिंह जी कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी है, हमारे पास एंटी डम्पिंग मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। एक बार नहीं अनेकों बार हम लोगों ने हर जगह पर यह बात कही है। लेकिन बावजूद इसके कि यह बात चलती आ रही है। इंपोर्ट घटा है। हम लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार इंपोर्ट ड्यूटी रिवाइज की है जब भी यह बात आई। कल डा. मनमोहन सिंह जी ने बोलते-बोलते कह दिया कि आप लोगों ने समझौता कर लिया, हम लोगों ने कुछ किया था उससे अलग हट कर किया उससे यह नीबत आई। डा. मनमोहन सिंह जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने 2003 और 2001 की बात कही है। डा. मनमोहन सिंह जी ने जो दो अगस्त को इसी सदन में भाषण दिया था मैं उसको यहां उद्धृत करना चाहता हूं। दरअसल इस सदन में पिछले सत्र में शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कीमतें गिर रही थी, उसी पर चर्चा शुरू हुई थी। वह चर्चा कांक्लूड नहीं हो पाई थी लेकिन उसमें आपने बोलते हुए जो कहा था मैं यहीं बैठ कर सुन रहा था और मैंने एक-एक चीज को दिमाग में अंकित कर लिया था, वे बातें अब तक मुझको याद हैं। आपकी इजाजत से आपके ही भाषण को मैं उद्धृत कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं।

"I do not think we ought to be excessively worried about the dismantling of quantitative import restrictions. In fact, outside the Indian Subcontinent, the quantitative import restriction does not exist in any part of the world. And some people are saying that this is a consequence of the WTO. In fact, it is not a consequence of WTO. The dismantling of quantitative import restrictions flows directly from the GATT since 1947. The GATT in 1947 forbade the use of quantitative import restrictions

unless you had the balance of payment difficulty. Until 1991, India had a serious balance of payment difficulty. Therefore, we were permitted by GATT rules to impose quantitative import restrictions. Fortunately, since 1991, whatever else you may say about the effects of reforms, the balance of payment constraint is no longer that severe, and as a result now the IMF refuses that India has a balance of payment problem. Therefore, even if you are not a part of the part of WTO Agreement, you will have to dismantle quantitative import restriction in import the light of the improved balance of payment position that has taken place."

डा. मनमोहन सिंह जी, आपने यह बात पिछली बार कही थी।

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): It is out of context. I still stand by what I said. I think I was referring to that point that you made that the Congress Government prematurely terminated quantitative import restrictions. That is not correct because when our Government was in office, we were confident all the time that we would be able maintain quantitative restrictions, despite improvement in the balance of payment till the year 2003. It is your Government which for reasons best known to it succumbed to the US pressure to advance that date to 2001.

श्री नीतीश कुमार: यह तो आपने कल ही कहा है, हम उसका जवाब तो देंगे ही। मैंने कभी नहीं कहा है। आपने जो मेरे ऊपर कहा है, हमने यह बात कभी नहीं कही है। आप रिकार्ड उठाकर के देख लीजिए। जो आपने मेरे ऊपर कहा कि हम लोगों ने यह बात कही है, हमने यह बात कही ही नहीं है। हम तो इस बात को ...(व्यवधान)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I would like to add a point on this ...(Interruptions)...

SHRI NITISH KUMAR: Please, I am not yielding ...(Interruptions)... यह बात अधूरी रह जाएगी, बात डायवर्ट हो जाएगी। आपको फिर मौका देगे। यह बात जाने दें। आपकी बात भी सुनेंगे।

हमने इस बात को इसलिए कोट किया कि बाहर कहा जा रहा है कि इस सरकार ने क्यू.आर. खत्म कर दिया। बुनियादी बात यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन इम्प्रूव हुई है और अब यह सुविधा आपके पास नहीं है और आपको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटाना है। अब उसके बाद क्या स्थिति हुई। आपने कहा कि 2003 तक हमने कर लिया था, 2003 तक कर दिया था। पहला प्रस्ताव भारत का था कि हम नौ साल में इसको खत्म करेंगे। बाद में भारत ने सात साल के लिए प्रस्ताव दिया और अंत में डब्ल्यूटीओ में जिसमें सात देशों के साथ बातचीत हुई, उसमें से छह देश तैयार हो गए छह साल के लिए और आपने 2003 की सूचना डब्ल्यूटीओ में दे दी, लेकिन इसके बाद एक देश अमेरिका बच गया था जो इसके लिए तैयार नहीं था वह डब्ल्यूटीओ के डिस्पूट सेटलमेंट में गया और वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन के चलते भारत

हार गया और डब्ल्यूटीओ के डिसप्यूट सेटलमेंट ने कहा कि नहीं, आपको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल हटाना है इसलिए 2003 तक की जो सुविधा थी वह समाप्त हो गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण जो 2003 तक की सुविधा आपने रखी थी, वह मुल्क उसके लिए तैयार हुए थे और उसमें से एक तैयार नहीं हुआ था, वह डिसप्यूट सेटलमेंट में गया और वहां उसका सेटलमेंट हुआ। हम लोग हार गए और तब जाकर कब इसको खत्म करना है, जब आपके सामने 2003 समाप्त हो गया, तो बातचीत हुई और बातचीत के बाद यह तय हो गया कि वह 2001 तक खत्म होगा, उसके लिए 15 महीने का समय मिला इसलिए यह आरोप लगाना गलत है कि कोई सीक्रेट नेगोसिएशन पोखरन के कारण कर लिया, यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई गुप्त समझौता हो गया। मुझे यह उम्मीद नहीं है, विपक्ष के नेता इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तरह-तरह के पदों पर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ राजनीति की बात कहनी है इसलिए वह राजनीति की बात कह रहे हैं। हकीकत यही है। इस बात को लेकर के सदन के बाहर, दोनों सदनों के बाहर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है और यहां भी इसको कहा जा रहा है इसलिए इस बात का उल्लेख करना मैंने यहां जरूरी समझा, मुनासिब समझा, किसी दबाव में कोई समझौता नहीं हुआ है। उसी डब्ल्यूटीओ में जब आप अपना पक्ष हार गए तब उस हालत में आपको यह बात उनके साथ करनी पड़ी जिसके साथ आप पहले बात करके इसको फाइनलिटी प्रदान नहीं कर सके थे। अगर आपने ...(व्यवधान)... एक मिनट मैं पूरी बात कह दूं। ...(व्यवधान)...

DR. MANMOHAN SINGH: You are distorting the issue.

SHRI NITISH KUMAR: No. I am not distorting. How?

DR. MANMOHAN SINGH: Because, first of all, the dispute settlement cases did not take place when our Government was in office. All this is a subsequent development. Our Government left office in May, 1996. If your Government cannot present the case well in the International fora, are we to be blamed for that?

श्री नीतीश कुमार : तो कौन कह रहा है?

DR. BIPLAB DASGUPTA: You did not argue the case properly ...(Interruptions)...

श्री नीतीश कुमार : हमने कभी नहीं कहा है। आप पूरे रिकार्ड को मंगवाकर देख लीजिए। हम कोई फैक्ट्स डिसटोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने यहां पर एक बात को रखा है। हमने यहां कहा ही नहीं है। आप पूरे रिकार्ड को मंगवाकर देख लीजिए। ...(व्यवधान)... हमने यह कहा है। ...(व्यवधान)... लेकिन यह चीज हम लोगों ने भी नहीं कही है। ...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Nitish Kumar, just one point. We had an agreement with the European Union. They agreed up to 2003. We had an agreement with Japan. They agreed up to 2003. How is it that the USA took it to the Disputes Settlement Body and you could not prevail upon them? You were fully aware that the WTO Agreement is an umbrella Agreement; each country enters into an agreement with their trading partners. Therefore, we could convince Australia, we could convince Japan,

we could convince the European Union that India would require the necessary arrangements to have the Quantitative Restrictions up to 2003. How is it there comes the relevance that after Pokhran-II, the USA refused to give any concession to you? You may say it, you may admit it or you may not admit it, but this is a hard fact.

श्री नीतीश कुमार : मुझे बड़ी खुशी है कि आपने यह बात कह दी है। इसलिए अब एक-एक फैक्ट को आपके सामने रखूंगा। जब आप लोग सत्ता में रहते हैं, उस समय की बात तो याद रखते हैं, सबसीक्वेंट डेवलपमेंट पर भी उतनी ही नजर रखनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, मैंने भी कहा कि 6 मुल्कों के साथ आपकी बात हो गयी, एक के साथ आपका सैटलमेंट नहीं हो सका। मैंने आपसे कहा, सरकार की बात है। मैंने कब कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय थी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। यह स्थिति है। मैंने कहा कि पहले 9 साल का केस दिया..

श्री प्रणब मुखर्जी : अरे भाई...(व्यवधान)...

SHRI NITISH KUMAR: You have to have the patience to listen to me.

श्री प्रणब मुखर्जी : 9 साल तो नेगोसिएशन के लिए था। नेगोसिएशन के बाद सैटलमेंट हुआ - 6 साल। नेगोसिएशन तो हमने..

श्री नीतीश कुमार : प्रणब जी, हमें अपनी बात कहने दीजिए। आप पहले हमें बोलने दीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। मैंने कहा कि पहले भारत ने 9 साल का समय चाहा कि हमको क्वांटीटेटिव रिस्ट्रिक्शन खत्म करने के लिए 9 साल का समय मिले। इसके बाद यह सरकार आई सात साल पर और सात साल के बाद भी 6 कंट्रीज़ से जब नेगोसिएशन हुआ, तब आप आ गये 6 साल पर और तब वह 2003 की तारीख बनती है जो डब्ल्यू.टी.ओ. को मई 1997 में नोटीफाई हुआ और जब यह नोटीफाई हुआ, तब इसके बाद अमेरिका डिसप्यूट सैटलमेंट में गया। जब अमेरिका डिसप्यूट सैटलमेंट में गया तो उसमें मुकदमा हारने के बाद यह नौबत आयी कि क्वांटीटेटिव रिस्ट्रिक्शन 2003 तक हमको अवेलेबल नहीं है। तब वह नेगोसिएशन हुआ और उसके बाद जाकर हमको 15 महीने की छूट 2001 तक मिली। इसलिए यह आरोप लगाना कि पोखरन के चलते कोई समझौता हुआ या किसी दबाव में हुआ, इससे बड़ा असत्य और कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इस बात को रखा। मैं कहां आपकी किसी बात को काट रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... उपसभाध्यक्ष महोदय, अब पूरी बात सामने आ जानी चाहिए। ऐसा न हो कि एक पक्ष की बात आ जाए और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष न आ पाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके पक्ष की बात आ गयी है।

श्री नीतीश कुमार : आप जो कह रहे हैं, 6 के साथ हुआ..

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वह तो आपने बता दिया, उन्होंने मान भी लिया ... (व्यवधान)...

श्री नीतीश कुमार : महोदय, पोखरन से इस देश की इज्जत बढ़ी है। हालांकि यह अलग सवाल है और आज उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ... (व्यवधान)...

श्री मूलचन्द मीणा : किसानों की स्थिति दयनीय कैसे हुई, यह तो बताइए।

श्री नीतीश कुमार : आप जरा बैठ जाइए। दयनीय स्थिति पर तो आप लोग इतनी देर बोल चुके, अब आप जरा मुझे भी बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं, अब जवाब सुन लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)...

श्री नीतीश कुमार : या तो आप कागज पर लिखकर दे दीजिए तो मैं उसी को भाषण में पढ़ दूंगा। जब बात डब्ल्यू.टी.ओ. पर हो रही है और इसमें एक विवाद छिड़ा हुआ है कि किसने गुप्त समझौता किया है तो यह बात सदन में और सदन के माध्यम से सारे देश में सारी पोजीशन क्लीयर हो जानी चाहिए कि भारत की सरकार ने झुककर कोई समझौता नहीं किया है। यह परिस्थिति ऐसी हुई कि मुकदमा जब हारे, तब जाकर उससे निकली हुई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन्हीं बातों के बारे में जब मैंने कहा तो मैंने सोचा कि शायद आप लोग इन बातों को जानते हैं इसलिए आप अपने लोगों को और देश को भी सच्चाई से अवगत करा देंगे। आपने एक-दो सवालों में भी पूछा है कि क्वांटीटेटिव रिस्ट्रिक्शन तो समाप्त हो गया है, अब इस संबंध में आपकी तैयारी क्या है? हमारी पूरी तैयारी है। हम जिस चीज़ का आयात देखते हैं, जैसे हमने आपको दूध की बात बताई - खाने के तेल के मामले में जरूर इस देश में आयात हो रहा है। यह आरोप लगता है कि सरकार आयात कर रही है। महोदय, जब आयात खुल गया तो लोग आयात कर रहे हैं। हमारी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा आयात हो रहा है। हम खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेकिन हमारे देश में उतनी जरूरत नहीं है जितना आयात हो रहा है। यही कारण है कि दाम नीचे गिर जाते हैं और अल्टीमेटली किसानों को भाव नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों ने इस वित्तीय साल में - एक साल में जहां तक मुझे स्मरण है, तीन बार ड्यूटी रिवाइज की गयी। इसी वित्तीय वर्ष में एक बार 12 जून को नोटीफाई हुआ और दूसरा 21 नवम्बर को नोटीफाई हुआ, अपवर्ड रिवीजन हुआ है। जो सामान बाहर से सस्ता आ जाता है जैसे पामोलीन आ गया, पाम ऑयल आ गया, उसको रोकने के लिए कूड और रिफाईंड का हमने फिर से ड्यूटी स्ट्रक्चर रिवाइज कर दिया ताकि इसको रोका जा सके। दूसरी तरफ केरल हो, तमिलनाडु हो या जो भी कोकोनट ग्राइंग स्टेट्स हो, वहां पर खोपरा की खरीद के लिए हम लोगों ने लगातार प्रोक्योरमेंट का काम चलाया है। आज जो हमारे पास फिगर हैं - डेढ़ लाख टन से ज्यादा मिलिंग खोपरा का प्रोक्योरमेंट इन राज्यों में हो चुका है। समस्या यह है कि उसका क्या किया जाए। मुझे अधिकारियों ने बताया कि एक समय के बाद वह खराब हो जाएगा। उतनी क्रशिंग की कैपेसिटी उन राज्यों में नहीं है। उसको रखने की समस्या आई लेकिन फिर भी यह प्रोक्योरमेंट ही हमारे पास साधन है और प्रोक्योरमेंट हम करते चले जा रहे हैं। यहां तक कि वॉयल पाम के बारे में आंध्र प्रदेश से वहां की सरकार से मार्केट इंटरवेंशन की बात आई। हमने उसमें पार्टीसिपेट किया। वहां पर भी एक दिक्कत आती चली जा रही है कि वहां पर जो वॉयल पाम के फ्रेश फ्रूट बढ़िज़ है, वह 24 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं इसलिए

तत्काल हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के लिए सहमत हुए और वहां के किसानों को भी मदद पहुंचाने के लिए जो संभव था, किया गया। दूसरी तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी हम लोगों ने बढ़ाई। हम लोगों को उम्मीद है कि अब इससे कुछ बाहर की चीज़ जो आ रही है, सस्ता बेच रहे हैं वह रुक जाएगी। अब इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे जो कदम उठाना है, वह उठाया जाएगा। अब हमारा मंत्रालय भी यही चाहता है। हमारी प्रोड्यूसर मिनिस्ट्री है लेकिन कन्ज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उनको देखना है कन्ज्यूमर का इंटरेस्ट भी और फाइनैस मिनिस्ट्री को हर चीज़ को देखना है। जब हम लोग पामोलीन, पॉम ऑयल और दूसरे तेलों की इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में वकालत कर रहे थे तो यह बात सामने आई कि साहब, अब हम पामोलीन को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, हमारी सीमा है क्योंकि सोया तेल का, सोयाबीन तेल का बाउंड रेट 45 परसेंट ही है। आपने ठीक कहा, प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए 100 परसेंट, प्रोसेस के लिए 150 परसेंट, ऐडिबल ऑयल कुछ अपवादों को छोड़कर 300 परसेंट हमारे यहां उपलब्ध है लेकिन सोयाबीन तेल पर यह उपलब्ध नहीं है। सोयाबीन पर बाउंड रेट 45 परसेंट है। अब अगर और चीज़ों को रोक दिया जाता है तो दूसरी तरफ से सोयाबीन आना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या उपाय हो सकता है, हम लोग उसको विचार रहे हैं और विचार करके ऐसा न हो कि कोई ऐसा सस्ता सोयाबीन तेल आए। आज बहुत सारी स्थितियां हैं। ठीक कहा गया सदन में, हमारे यहां अभी यह तय नहीं हो पाया है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड का क्या करें। हमारे यहां अभी ट्रांसजेनिक्स के बारे में पूरा फैसला नहीं हुआ। कॉटन में बी.टी. कॉटन आया है तो फील्ड ट्रायल की भी इजाजत दी है लेकिन अभी पूरे तौर पर इस देश में जनमत नहीं बन पाया है कि जो बायो टेक्नालॉजी के ज़रिए हमारे यहां ट्रांसजेनिक्स आ रहा है, इस टेक्नालॉजी को हम अपने यहां उतारें या अपनाएं। उसके स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन्होंने सोयाबीन में ट्रांसजेनिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वे जेनेटिकली मॉडिफाईड हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपस में हम सब मिलकर तय कर सकते हैं कि क्या किया जाए। कहीं अगर इस तरह की बात करनी हो तो उसका भी सहारा लिया जा सकता है कि अभी हमारे देश में जनमत नहीं बना है और हम इस तरह की चीज़ नहीं आने देंगे जैसे यूरोपियन यूनियन के लोगों ने कहना शुरू किया है कि अगर कोई जी.एम. फूड है तो उस पर लेबल करना होगा 'जी.एम. फूड का'। हमने कह दिया है कि सरकार ने इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि इस तरह के निर्णय लेने के लिए व्यापक जनमत और जो इस बात को जानते हैं, समझते हैं, उनके साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह की बात है।

फिर इनके साथ इस मामले में जो हमारे सोयाबीन के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिस तरह से दूध में हमने कहा, हम लोगों की तो प्रशंसा करनी चाहिए थी डॉक्टर साहब आपको और प्रणब बाबू को भी, हम लोगों ने तो एक नहीं अनेक बाउंड रेट जो आर्टिकल 28 से गाइडेड होते हैं, उन जगहों पर जहां हमारा पहले से ही जीरो था, जैसे दूध वाली बात हमने बताई, कई चीज़ों पर शून्य था, हम लोगों ने बढ़ाया। व्हीट का था, मेज़ सीड का था जीरो, स्प्लिट व्हीट का था, मेज़ कॉर्न का था जीरो, हम लोगों ने इसको बढ़ा कर 60 प्रतिशत किया। राईस इन हस्क में जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी था, बढ़ावाया हम लोगों ने 80 परसेंट। फिर ब्रोकन राईस का शून्य था, 80 परसेंट किया गया। हस्क ब्राउन राईस शून्य था, इसको 80 परसेंट किया गया। सेमी मिल्ड या होल्ली मिल्ड राईस वेदर ऑर नॉट पॉलिशड ऑर ग्लेज्ड, इस पर जीरो परसेंट था बाउंड रेट, इसको बढ़ा कर 70

6.00 P.M.

परसेंट किया गया। मिलेट्स पर था जीरो परसेंट, उसको हमने बात करके बढ़ा कर 70 परसेंट किया। ग्रेन्स सोरगम पर शून्य परसेंट था बाउंड रेट, उसको बढ़ा कर 80 परसेंट किया। रेपसीड, कोल्जा और मस्टर्ड ऑयल पर 45 परसेंट था, इस पर बात करके 75 परसेंट किया। इस तरह से कई ऐसे आइटम्स हैं जिन पर हम लोगों ने बात करके बढ़ाया। सोयाबीन के बारे में भी इस पर विचार किया जा सकता है लेकिन आज की तारीख में जो संभव है, वह एक-एक कदम उठाया जा रहा है। जहां ट्रेडिशनली हमारा बाउंड रेट जीरो था, उसको हम बढ़ाएं। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार एंटी डम्पिंग मीजर्स भी लेगी। जो इसके लिए संस्था है, जो इसके लिए मैकेनिज्म हमारा है, उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार रहिए ताकि इस तरह की अगर कोई नौबत आती है तो तैयार रहें। यही नहीं, आपने पूछा कि अगर खुल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो उस दिन भी हमने आपको बताया था कि खुल जाएगा तो उसके बाद हल्ला होगा। जैसे अफवाह होती है, जैसे दूध का हल्ला था, वैसे ही एक जमाने में हल्ला शुरू हुआ चिकेन लेग के संबंध में। बाहर के लोग चिकेन लेग नहीं पसंद करते हैं इसलिए उसे नहीं खाते हैं, तो वह हिंदुस्तान में आ रहा है, यह बात आई। कहीं आया नहीं था क्योंकि अभी तक वह रिस्ट्रिक्टेड आइटम है लेकिन एक अप्रैल से वह खुल जाएगा तो पहले ही हम लोगों ने तैयारी की। मेरे मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा, पशुपालन और डेयरी विभाग ने और उसके बाद उसमें 100 परसेंट छूटी कर दिया गया। उसके अलावा उसमें एस.ए.डी. वगैरह भी है, सरचार्ज वगैरह भी है। इस तरह से जो संभव है, पहले से ही तैयारी भी की जा रही है ताकि हमारे यहां कोई अपना माल हूस न दे या डम्प न कर दे और हमारी कृषि को चौपट न कर दे। इतना तो हम लोगों ने किया है, इसके अलावा भी अगर आप लोग समझते हैं कि किसी और अच्छे ढंग से करना चाहिए तो हम इस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। यह कहना कि इस सरकार ने कोई समझौता किया है जिसके चलते इम्पोर्ट बढ़ रहा है और यहां बाजार खुल रहा है तो यह सबसे बड़ा असत्य है। शताब्दी तो बहुत जल्दी शुरू हुई है वरना मैं तो कहता कि शताब्दी का सबसे बड़ा असत्य है। इसलिए यह कहने में बहुत दम नहीं है कि यह असत्य है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और इससे न ही हम सारी चीजों को सैटल कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... सच्चाई से बहुत दूर-दूर का नाता नहीं, दूर-दूर का रिश्ता नहीं। चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है कि प्रक्योरमेंट नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। रिकार्ड प्रक्योरमेंट हुआ है। आप सब लोग सरकार में रहे हैं हमें जुम्मा-जुम्मा आठ दिन हुए हैं। कुछ साल अगर छोड़ दें तो करीब 45 साल से आप लोग राज करते आ रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप हुआ है, यह कोई रातों-रात नहीं हुआ, धीरे-धीरे एडिशन होता है। कुल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, आप इस पर गौर कर लें तो स्टोरेज कैपेसिटी के, मुझे जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से स्टेट कारपोरेशन, एफसीआई को मिलाकर 4 करोड़ 74 लाख टन की स्टोरेज कैपेसिटी है। हम खूब प्रक्योरमेंट रिकार्ड कर रहे हैं। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइज जब हम घोषित करते हैं तो उसमें यह बात अन्तर्निहित है कि अगर कीमत उससे नीचे जाएगी तो सरकारी एजेंसी प्रक्योरमेंट के लिए आगे आएंगी और उसके लिए उनकी वचनबद्धता है। जहां तक संभव है प्रक्योरमेंट किया जा रहा है। यही नहीं, सरकार ने यह सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यह कहा जाए कि प्रक्योरमेंट को डी-सैंट्रलाइज किया जाए। 1997 में एक जगह कुछ किया गया था, कुछ शुरू हुआ था। 1999 के बाद कुछ राज्य सरकारों से कहा गया कि आपके यहां प्रक्योरमेंट की गुंजाइश है, इसलिए प्रक्योरमेंट की तैयारी करिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल

एक नहीं अनेक पत्र राज्यों को लिखे गए कि अप्रैल माह से आप प्रक्योरमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर भेज दें ताकि यहां उस पर चर्चा करके प्रक्योरमेंट की कार्यवाही हो। कुछ राज्यों ने प्रक्योरमेंट की बात स्वीकार की जिसमें पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। कुछ राज्यों ने मना कर दिया कि हम प्रक्योरमेंट नहीं करेंगे और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर एक दूसरे पर जवाबदेही फेंकेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। आज अटल बिहारी जी की सरकार में शांता कुमार फूड मिनिस्टर हो गए, इनके जमाने में प्रक्योरमेंट का तरीका बदल गया ऐसी बात नहीं है, वही प्रक्योरमेंट का तौर-तरीका है। पंजाब से कुछ शिकायतें आईं और उसको यहां बैठकर हल करने की कोशिश हुई और उसको दूर भी किया गया। कुछ बातें हो गईं लेकिन प्रक्योरमेंट के लिए आज भी कोशिश जारी है और हर जगह लोग चर्चा करते हैं। जिन राज्यों में भी प्राइमरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर मंडल हैं, वहां एजेंसियों के माध्यम से प्रक्योरमेंट का काम होता है, उस प्रक्योरमेंट की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें हम तो सारा चाहेंगे भी तो प्रक्योरमेंट नहीं कर सकते। प्रक्योरमेंट का मतलब इन्टरवेंशन के तौर पर होता है और शुरू में यह परेशानी नहीं होती थी क्योंकि हमको सेंट्रल पूल में पीडीएस को भी पूरा करने के लिए देना था, जो डेफिशियन्ट स्टेट थे, आज सैल्फ सफिशियन्ट हो गए। आसाम में भी एक ही प्रोग्राम के बाद हरितक्रान्ति आ गई जो डेपेंडेंट स्टेट था। वह भी सैल्फ सफिशियन्ट हो रहा है। यह कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है। आरोप लगा है कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है जिसका नतीजा है कुछ राज्यों में उत्थान नहीं हो रहा है। उसके चलते पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है। और कारण भी होंगे जिसमें एक कारण यह भी है। इसके चलते स्टोरेज की लिमिटेड कैपेसिटी की, सब मेहनत करने के बाद भी, जो सीमाएं हैं उन्हें समझना होगा और उन सीमाओं को समझते हुए ही कोई कदम उठाना होगा। इसके बावजूद भी हमारा कमिटमेंट है कि और भी जितनी जरूरत होगी उसे पूरा करेंगे। लेकिन राज्य सरकारों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि प्रक्योरमेंट का काम पूरे तौर पर डिसेंट्रलाइज हो और भारत सरकार जैसी सहायता एफ.सी.आई और सेंट्रल एजेंसियों को देती है उसी ढंग की सहायता राज्य सरकारों को भी दे। हम यह नहीं कहते कि राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ डाला जाए लेकिन ये जो सारे काम हैं वे अगर करें तो इस दिशा में जरूर कुछ बेहतरी आएगी। इस बारे में जितना भी संभव हुआ है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमारे खाद्य मंत्री जी भी सजग हैं। उनके साथ कृषि मंत्रालय की भी चर्चा हुई है क्योंकि यह समस्या, चाहे किसानों की हो लेकिन हमारी मिनिस्ट्री, प्रोड्यूसिंग मिनिस्ट्री को भी परेशानी होती है। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लोग आरोप लगा देते हैं कि ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। हालत यह है कि जितना पैदा कर रहे हैं उससे भी परेशानी हो रही है। इसलिए उन पर चर्चा होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे। विरोधी दल ने कुछ बातें उठाते हुए चर्चा के सिलसिले में कहा कि कृषि के क्षेत्र की ... (व्यवधान)...

DR. MANMOHAN SINGH: You have talked about procurement. I think, this is the first time when the highest official of the Food Corporation of India goes to Punjab at the beginning of the procurement season and says: "80 per cent of the produce of the Punjab farmers is unfit for procurement."

उपसमाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उत्तर प्रदेश में भी हुआ है।

DR. MANMOHAN SINGH: There is no demand for Punjab rice in the rest of the country. This is what caused the acute panic among the farmers of Punjab. The owners of shellers and the traders took advantage of that. The farmers, in sheer panic, sold their produce to these private traders. The same produce, later on, was sold by unscrupulous persons to the official agencies. So, Mr. Minister, I charge you. You may say whatever you feel like. I do not under-estimate the difficulties of storage. You have not created this storage problem. But this is the first time in the history of India when the highest official of the Food Corporation of India goes and threatens the farmers of Punjab, and the result was that the farmers had to wait in the mandis for two weeks. There was nobody to procure their foodgrains.

श्री नीतीश कुमार : यह बात आपने कल भी उठाई थी और इस संबंध में स्पेसिफिक जानकारी है। हम संबद्ध मंत्रालय के मंत्री जी से अनुरोध करेंगे। आपने कहा है कि उनके बयान देने के बाद एक पेनिक आया और दूसरों ने खरीद लिया फिर उसे प्रोक्योरमेंट एजेंसी को दिया गया। ये ऐसी बातें हैं जो आज की डिबेट के दरम्यान किसानों की दुर्दशा विषयक चर्चा के दौरान मेरे पास नहीं है। आप भी समझ सकते हैं कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का है एग्रीकल्चर का नहीं है, इसलिए आपने जो कुछ कहा है हम इसे संबद्ध मिनिस्ट्री को भेजेंगे ताकि प्रोपली आपको रिस्पोंड करे और अगर चाहें तो वे सदन में भी आकर इस संबंध में ...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Minister, this point was raised yesterday and we expected that when you will reply to the debate, you will ask your colleague to clarify the position. ...(Interruptions)... Why did you not ask him?

श्री नीतीश कुमार : अब इतनी बातों का तो रिप्लाई दे रहे हैं, एक बात रह गई है उसका भी दे देंगे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This was a matter where procurement is not taking place. There is a serious charge made by the Leader of the Opposition. The common sense demands that you will find it out from the Minister concerned. At least, you could give the assurance that you have told him to look into the matter. Yesterday, when this question was raised on the floor of the House, you were present here.

श्री नीतीश कुमार : लोगों को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट के काम में कुछ करना था, यहां से बातचीत हुई है, नॉर्म्स आदि के बारे में जो बात की उसको भी

सैटल किया गया। इससे संबंधित जो कार्रवाई थी वह भी की गई। लेकिन आपने जो बात उठाई उसको तो हमने रिस्पोंड कर ही दिया। अब आगे का तो हम उन्हें ही कह सकते हैं और उसका जवाब तो वही आपको दे सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहिएगा। वहां भी यही स्थिति है।

श्री नीतीश कुमार : जहां तक हमें जानकारी है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार प्रोक्योरमेंट के काम में लगी है। वहां के बारे में अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत होगी तो वे जरूर देखेंगे। हम जिस राज्य से आते हैं वहां भी प्रोक्योरमेंट के बारे में शिकायत है। वे चीजें अलग हैं। प्रोक्योरमेंट की पद्धति के बारे में मैंने सलाह के तौर पर कहा कि इसमें टोटल डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होगी। यह पूरी बात सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने कहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है, इसकी हमने चर्चा की है। लेकिन दो-तीन स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, दो तीन राज्यों का रिस्पांस इतना ठीक नहीं रहा।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Your Government works it in compartments. Every Ministry is independent. The Government has no common idea.

श्री नीतीश कुमार : यह तो ऐसा नहीं है कि आपके जमाने में नहीं था। यह आप के जमाने में भी था, अलग अलग था। ऐसा नहीं कि एक हो गया था। अलग अलग था। .../(Interruptions)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It looks like that. .../(Interruptions)...

श्री नीतीश कुमार : प्रणब जी, आप तो बात का बतंगड बना रहे हैं। हमने कहा कि संबंधित मंत्री को बता देंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक बात कही गई है। उसके बारे में मालूम करके आपको लिखेंगे और अगर जरूरत समझेंगे तो सदन में आकर भी बतायेंगे। इसके बाद हम नहीं समझते कि .../(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Everybody in the House will agree that when this issue of.../(Interruptions)...

श्री नीतीश कुमार : इस बारे में ही तो मैंने कहा है कि यह वह बतायेंगे कि इस तरह से एलीगेशन क्यों लग रहे हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No, no; my point is totally different, Mr. Minister. You cannot simply run away like this. No, it is not fair. .../(Interruptions)...

SHRI NITISH KUMAR: What is your point?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: My point is this. An issue was raised about the procurement. The procurement is leading to suffering; it is causing harm to the farmers. As a Minister, you have to protect the interests of the farmers. A very vital point was raised by the Leader of the Opposition, that the farmers were forced to sell their produce to the unscrupulous traders, and it was caused because of the unguarded utterances or the deliberate utterances of a high official. And you are simply repeating that...*(Interruptions)*... After 24 hours, you have come with the reply. You are not answering ...*(Interruptions)*...

SHRI NITISH KUMAR: I do not have the specific allegations. ...*(Interruptions)*... मैंने कहा कि इस बात की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो स्पेसिफिक बात है उसके लिए संबंधित मंत्री रिस्पांड करें और अगर जरूरी समझें तो हाउस में भी आएं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Simply, you cannot go on speaking whatever you want, and we have to listen to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI NITISH KUMAR: I don't have the specific allegations. How can I answer, Pranabda? ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You cannot treat the House like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI NITISH KUMAR: You said, "As an administrative Minister, you clarify the position." ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You cannot treat the House like this. ...*(Interruptions)*... That is simply not possible. ...*(Interruptions)*...

SHRI NITISH KUMAR: He has raised a specific point. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Why are you angry? ...*(Interruptions)*... Why are you so angry? ...*(Interruptions)*... We have every right to ask a question, and if you behave in this manner, there is no point in staying. ...*(Interruptions)*... If you behave in this manner, there is no point in listening to you.

श्री नीतीश कुमार : आप सुनेंगे नहीं तो बात दूसरी है। ...*(व्यवधान)*...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Simply, you cannot allow yourself that just whatever you say, we will just have to listen, and we cannot seek

clarifications. ...*(Interruptions)*... Sir, the Minister is too arrogant and simply, in protest, we are walking out.

SHRI S. PETER ALPHONSE: We also walk out.

(At this stage, some Members left the Chamber)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी, सरकार सरकार होती है, अलग अलग नहीं होती है। आप समय ले सकते हैं यह बात जरूर है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

श्री नीतीश कुमार : कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात कही है। उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। उसके जवाब में हमने कहा कि इसका जवाब संबद्ध मिनिस्टर देंगे। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहीं नहीं है। इस सदन में एक हजार उदाहरण होंगे जब ...*(व्यवधान)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, I do not understand this. Nitishji, I want to ask a simple question. ...*(Interruptions)*... I want to ask a simple question. ...*(Interruptions)*... You have angered so many people, not me alone. ...*(Interruptions)*... Just simply you have made restrictions. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. MARGABANDU: Sir, he is simply repeating everything. ...*(Interruptions)*... He has not answered the questions raised by any of the Members here. A very vital question has been raised by the Leader of the Opposition. No answer has come. Every Minister shirks from his responsibility. There is no joint responsibility. ...*(Interruptions)*... I also walk out.

(At this stage, the hon. Member left the Chamber)

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am making a distinction between our balance of trade position and our balance of payments position. Our balance of payments position is better. ...*(Interruptions)*... Our balance of trade position has improved. The whole idea about making the quantitative restrictions was...*(Interruptions)*... They were not allowed by the quantitative restrictions because our balance of payments position has improved. Now, the balance of trade position has also improved. We are working on borrowed money. The balance of payments position has improved, the foreign exchange position has improved because we have borrowed money.

...(Interruptions)... If you look at the balance of trade, the export is less than import.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपने सवाल कर दिया।

DR. BIPLAB DASGUPTA: No, he did not answer my question. ...*(Interruptions)*...

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, he cannot go on speaking like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Let him finish. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: You did not argue your case properly. You are repeating ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Sir, what is this going on? ...*(Interruptions)*...

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir, let him seek clarifications. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: He has not answered specifically what I asked. ...*(Interruptions)*...

श्री नीतीश कुमार : साढ़े चार घंटे तक आपने कहा। ...*(व्यवधान)*... अगर सवाल उठाए जाएं और उन पर रिस्पांड न किया जाए ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : बाद में मालूम कर लीजिएगा।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Our balance of payments position has improved. ...*(Interruptions)*... He has made a claim that our balance of trade has improved. ...*(Interruptions)*... He has made a claim which is not correct. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपका जवाब आएगा। ...*(व्यवधान)*...

श्री विप्लव दासगुप्त : जवाब तो नहीं दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठिये, उन्होंने अभी पूरा कहा किया है। ...*(व्यवधान)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: He has not properly answered our questions. ...*(Interruptions)*... We are staging a walk out in protest. ...*(Interruptions)*...

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड) : हम लोग तो सुन लें। हम लोग जवाब सुनने के लिए बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी। ...*(व्यवधान)*... भाषण मत दीजिये। ...*(व्यवधान)*... जवाब देने दीजिये।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The Minister is helpless. ...*(Interruptions)*... There is no solution to this tragic situation. ...*(Interruptions)*... I am also staging a walk out in protest. ...*(Interruptions)*...

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal) : The Minister has not replied to the questions properly. ...*(Interruptions)*... I am also staging a walk out in protest.

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी, आप पूरा करें।

श्री नीतीश कुमार : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूँ कि प्रोक्योरमेंट का काम जारी है, रिकार्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है और एक जगह के बारे में अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक बात हुई है, उसके संबंध में स्पेसिफिक आंसर कंसर्ड मंत्री महोदय देंगे। इसके अलावा और किसी भी चीज में अगर कलेक्टिव रिसपोसिबिलिटी हो तो सारी की सारी बातों पर, हर प्वाइंट पर जवाब जो हमारी मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है लेकिन मुझे जवाब देना है। एक सवाल उठाया था नेता विरोधी दल नेता ने कि इनवेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा है। अगर टोटल इनवेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर देखा जाए तो यह डिक्लाइन नहीं कर रहा है। उसमें जो पब्लिक इनवेस्टमेंट है, प्राइवेट इनवेस्टमेंट है, प्राइवेट इनवेस्टमेंट में लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई बड़े लोग इनवेस्टमेंट करते हैं। मैंने आंकड़ों को देखा तो पता चला कि तथाकथित जो कारपोरेट सेक्टर कहा जाता है उनका तीन प्रतिशत शेयर प्राइवेट इनवेस्टमेंट में है और 97 प्रतिशत किसानों का अपना इनवेस्टमेंट है जिसको हाऊस-होल्ड इनवेस्टमेंट कह लीजिये या जो कह लीजिये। पब्लिक इनवेस्टमेंट कुछ घटा है। केपिटल फॉरमेशन और इनवेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की जो परिभाषा है इसमें सरकार जो सब खर्च करती है एग्रीकल्चर में उसकी गिनती नहीं होती है, कुछ ही चीजों की गिनती होती है। इसके चलते जो बहस होती है, इसका जो डेफिनीशन है, वह पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि कृषि के क्षेत्र में कितना पैसा सरकार खर्च कर

रही है। जो परिभाषा है उसके हिसाब से पब्लिक इनवेस्टमेंट घट रहा है क्योंकि इसमें मुख्यतया सिंचाई आती है और सिंचाई की परियोजनाएं उतनी नहीं चालू हो रही हैं, नहीं लागू हो रही हैं, उसके हिसाब से यह कुछ घट रहा है लेकिन अगर सच पूछा जाए तो कृषि के क्षेत्र में सरकार की ओर से अनगिनत योजनाओं में पैसा बढ़ता जा रहा है। इसलिए न केन्द्र सरकार की किसी नीति के चलते, न अंधाधुंध कोई इंपोर्ट के चलते, न प्रोक्योरमेंट में कोताही बरतने के कारण, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार की तरफ से हर स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कार्यवाही की जा रही है लेकिन इसके बाद भी जो भी माननीय सदस्य चाहें जिस भी दल के हों उनके मन में कोई विचार या कोई बात हो तो उनको बताना चाहिये और सरकार उन चीजों पर गौर करेगी। हम सब लोग दलगत भेदभाव में सिर्फ पोलिटिकल माइलेज लेने के लिए, आरोप लगाने के लिए कोई बात कहेंगे तो उससे किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी। हम लोगों ने कृषि नीति लाई। आजादी के बाद पहली बार कृषि नीति घोषित हुई है, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ चर्चा भी हुई, जो केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है, उसको लागू करने के लिए अलग प्रोग्राम बन रहे हैं। मैं एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। वे शायद कृषि नीति में कुछ प्रोग्राम होने के बारे में कह रहे हों, नीति एक फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क में हमारा इरादा है कि चार प्रतिशत से ज्यादा हम ग्रोथ रेट हासिल करें और समानता के साथ हासिल करें। जिन इलाकों में कृषि पिछड़ी हुई है, उन इलाकों का हम विकास करें और जो रेन फेड फार्मिंग है उसको इंप्रूव करें। जो इलाके हरित क्रान्ति के इलाके कहे जाते हैं वहां हम चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं। जो इलाके खास कर के पूर्वी इलाकों में, मध्य के इलाके जहां अभी असीम संभावना है, उनका हमें दोहन करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग रण नीति रीजनली डिफ्रेंशियटेड स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हम कृषि के क्षेत्र में ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए वचनबद्ध हैं। उसके लिए एक नहीं अनेक योजनाएं बनानी होंगी और एग्रीकल्चर पॉलिसी में उन सभी बातों का हम लोगों ने उल्लेख किया है। ताकि किसानों के लिए लॉग टर्म जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करें। अब जहां तक क्रेडिट देने की बात है किसानों को - कुछ लोगों ने की - एक किसान क्रेडिट स्कीम आयी है। उसके लिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से 74 लाख किसानों में क्रेडिट कार्ड वितरित हो चुके हैं यानी किसानों के लिए इतनी जबर्दस्त योजना है। कहा जाता है कि रिस्क कवर नहीं होता है। पहले क्राप इश्योरेंस स्कीम थी। क्राप इश्योरेंस स्कीम जो ऋण लेने वाले किसान थे उन्हीं के लिए उपलब्ध थी। हम लोगों की सरकार ने इसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नाम दिया और यह बीमा अब उपलब्ध है। जो ऋण लेते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही लेकिन जो ऋण नहीं लेने वाले किसान हैं उनके लिए भी यह उपलब्ध है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हुआ है। अच्छी संख्या में इसका प्रचार हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं जो कृषि का इश्योरेंस है वह यूनिट एरिया प्रोजेक्ट है। उसमें कहीं एक एरिया को यूनिट मान लिया जाता है अगर वहां बरबादी हो गयी, जो यील्ड का लेविल है उससे कम हो गया तब वहां कंपैनसेशन दिया जाता है। तो यूनिट एरिया अगर बढ़ा रहेगा तो किसानों का उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए इस बीमा योजना में कहा गया है कि हम यूनिट को पंचायत स्तर पर ले जाएंगे। एक साल के बाद उसको रिव्यू करना था। यह हमने पिछले वर्ष लागू की थी और हम लोगों ने तत्काल इस पर रिव्यू करना शुरू कर दिया है। राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट बीमा योजना पर भी हमने चर्चा कर ली है तथा इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं कि पंचायत को यूनिट एरिया बनाया जाए। जो राज्य सरकारों ने कई सुझाव दिए और जो अनुभव है उसके आधार पर इसको करना चाहते हैं। पाइलट प्रोजेक्ट

के तौर पर हम लोग इसको लागू करना चाहते हैं। इसको पहले हर राज्य के एक जिले में पंचायत तक ले जाकर और उसके नतीजों के बाद उसको फाइन ट्यून करके पूरे देश में हम चाहते हैं कि पंचायत को यूनिट बनाया जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले।

स्टोरेज की दिक्कत होती है खास करके हार्टीकल्चर और पेरिशेबुल में। तो हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम चलायी है और उसके अंतर्गत 12 लाख टन कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। 8 लाख टन का भाडर्नाइजेशन करने वाले हैं और इस 20 लाख टन के अलावा साढ़े चार लाख टन प्याज का स्टोरेज हम क्रीएट करने वाले हैं। उसमें जो भी लगाएगा चाहे निजी कंपनी हो, कोआपरेटिव हो, सरकारी कारपोरेशन हो, सबको यह मिलेगा और कैपिटल में सब्सिडी मिलेगी। बाकी हिंदुस्तान में 25 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 50 लाख की। नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक-तिहाई और अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए की। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक हम लोगों ने कार्य किए हैं। फिर राज्यों को ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों में स्वायत्तता दी जाए इसलिए 27 स्कीम्स को एक साथ कन्वर्ज करके हम माइक्रो मैनेजमेंट स्कीम के रूप में चला रहे हैं। वाटर शेड पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक जो रेन फेड एरियाज हैं वहां पर वाटर हारवेस्टिंग के जरिए वहां की स्थिति को सुधारा जा सके। यही नहीं कृषि के ही क्षेत्र में ही नहीं, सहकारिता के क्षेत्र में मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी का बिल इस सदन में चर्चा करने के लिए आएगा जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना चाहते हैं।

पशुपालन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एण्ड बफैलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 14 हजार लोग इस काम में लगेंगे और वे मोबाइल होंगे। आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन का जो एक सेंटर होता था, अब ये लोग घर-घर जाकर आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन का काम करेंगे। इसलिए ब्रीडिंग का काम और तेजी से होगा। हमारे यहां दूध का उत्पादन और तेजी से बढ़ सकता है। यह हम लोगों की, इस सरकार की नयी योजना आई है। हर क्षेत्र में आई है।

फिर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को मंजूर किया गया है। किदवाई साहब पहले बोलकर चले गए। वे अब तो वाक आऊट कर गए हैं। वे हमारे राज्य के राज्यपाल रहे हैं। वे राजभवन में जब थे तो वहां मछली का भी काम और बटेर ... (व्यवधान) ... नहीं नहीं, वह हम नहीं कह रहे हैं। दिलचस्पी की बात कह रहे हैं। उनकी दिलचस्पी कृषि में है। इसलिए उनकी बातों को हमने गंभीरता से नोट किया और उस दिशा में उनको हम जानकारी देना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे नहीं हैं। फिशरी के लिए हम लोगों ने जो पहले से फिश फार्म डेवलपमेंट एजेंसी का काम था उसको और बढ़ाया है। अनुदान, अनुदान की राशि कितनी दी जाती है, उन्होंने यह चिंता प्रकट की थी कि हमें पता नहीं है कि वह जो इंग्लैंड फिशरी का काम था वह क्या हो गया तो उस बात को हम बताना चाहते हैं कि वह काम और बढ़ा है। इस काम के लिए और धनराशि, और भी सब्सिडी दी जा रही है। यही नहीं हम फिर लौटकर आना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज विश्व व्यापार संगठन को ले करके उसके बारे में जो कुछ कहा गया है मुझको ऐसा लगता है कि तर्कों के सामने, तथ्यों के सामने जब सारा हाथ से निकल गया तब यह पूरा का पूरा बिल्ड अप किया गया कि 2003 में क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को खत्म होना था, आपने अमरीका से समझौता करके 2001 कर लिया। यही बिल्डअप था और वह

एग्रीमेंट आज जद स्टास्ट हुआ तब गुस्सा लोगो को आता है। हमको एग्रीमेंट कहते हैं। हम तो सब को हाथ जोड़ करके आदर से पेश आते हैं। हम किसलिए एग्रीमेंट हो। भगवान न करे कि कभी किसी ने वमंड आए या अभिमान आए। वह सिफ्त हमारी नहीं है और हमारा स्वभाव भी नहीं है। खैर यह बड़े हैं, कुछ भी कह करके बोल दें, हम लोग उस पर कुछ नहीं कहेंगे। डब्ल्यूटीओ ने कई एग्रीमेंट्स हैं। उसमें एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी है। उसका मेंडेटेड रेव्यू चल रहा है। उसमें भारत को क्या पक्ष रखना है, हर देश को क्या पक्ष रखना है, इस साल के आखिर तक लोगो को अपनी राय रखनी है। पूरी पारदर्शिता के साथ एग्रीमेंट आन एग्रीकल्चर हो रहा था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कहा गया कि आप इसके लिए तैयारी करिए और तब हम लोगो ने देश के कोने-कोने में कई जगहों पर सेमिनार कराए। इसके बाद हमने यहां सभी किसान संगठनों की बैठक बुलाई। राजनीतिक दलों को हमने लिखा। स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक की। सब के सब कागजात, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ के जो रिलेवेंट कागजात है वे सब हमने पूरी पारदर्शिता के साथ पहले ही भेज दिए ताकि लोग अपना मत रख सकें। 13 सितम्बर को वह बैठक हुई। लोगो ने अपनी राय रखी। 14 सितम्बर को देश के सभी राज्यों के कृषि और खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हमने बुलाया और हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को लिख करके भेज दिया गया और उन्होंने भी अपना मत दिया। इसके आधार पर कंसेंसेस बना है वही हम अपना रुख वहां पर रखेंगे। हम मांग करेंगे कि जो विकसित देश हैं वे अपनी सब्सिडी घटाएं। विकसित देश इस मामले में काफी इधर-उधर करते हैं। जहां सब्सिडी की छूट है उसी में सब सब्सिडी को डालते जाते हैं। इस तरह का काम वे न करें। अपनी सब्सिडी घटाएं और एक्सपोर्ट सब्सिडी समाप्त करें ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। मॉर्केट एक्सेस का यह मतलब कतई नहीं है कि विकासशील मुल्कों का बाजार खुल जाए और विकसित देशों का बाजार बंद रहे। मॉर्केट एक्सेस का मतलब है कि अगर बाजार खुल रहा है तो हमारे लिए तुम्हारा बाजार भी खुले और तब एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। उसके लिए भारत मजबूती से मांग करेगा कि एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म करो, अपनी डोमेस्टिक सब्सिडी घटाओ। हम एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं देते थे इसलिए हमको खत्म करने की जरूरत नहीं है और हम जितनी सब्सिडी देते हैं वे सीमा के बहुत नीचे है। इसलिए हम पर कोई बंधन नहीं है। लेकिन हम उनसे मांग करेंगे, विकासशील देशों के साथ भी विचार करेंगे। उनको साथ में ले करके यह मांग करेंगे ताकि एक बराबरी का मैदान तैयार हो सके। इससे हमारा माल बाहर जाएगा और किसानों को और ज्यादा दाम मिलेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम क्वालिटी पर ध्यान दें, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें। इन दोनों चीजों पर कृषि मंत्रालय सजग है और उसके लिए लोगो को जागरूक करने के लिए और इसके लिए हर तरह से मदद और सहयोग देने के लिए योजनाएं हैं। उसका सहारा ले करके हम अपनी प्रोड्यूस क्वालिटी इंप्रूव करें और हम वहां पर जा करके इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं कि जो इंटर्नेशनल प्राइस है, उसमें हम कंपीट करें। अगर विकसित देश सब्सिडी घटावेंगे, एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म करेंगे तो उनका माल हमारे यहां नहीं जाएगा, हमारा माल उनके यहां छत्र जाएगा। हम लोग वह दिन देखना चाहते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र के सभी लोगो के जनमत को साथ ले करके चाहे किसी दल के हो, सब को साथ लेकर के यह एग्रीमेंट का कागज हमने तैयार किया है, कोई छिप-छिपा करके नहीं किया है। हमारी सरकार में संपूर्ण पारदर्शिता है और इसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के सहारे जो भी जरूरी कदम होगा वही हम लोग किसानों की बेहतरी के लिए उठावेंगे। किसी भी क्षेत्र में जो भी कोई सुझाव देना चाहेगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे और मिल-जुल कर देश की हालत और किसानों की हालत हम लोग सुधारेंगे।

श्री गांधी आजाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन किया था कि आज खेतिहर मजदूर जो कृषि पर आधारित है और दिन-रात कृषि में लगा है, लेकिन उसके पास खेत नहीं है, और वे दिन-रात सस्ते होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई योजना है? इसके बारे में भी थोड़ा सा आ जाना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : देखिए आप तो जानते ही हैं कि यह राज्य का विषय है और उनको ही करना है। लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है ...(व्यवधान)... हम लोगों की जो कृषि नीति है उसमें हम लोगों ने कहा है और जो वेस्टलैंड है इस सबको विकसित करके भूमिहीनों के बीच में वितरित किया जाना चाहिए। हमारी कृषि नीति में भी इसका उल्लेख है। हमारे माननीय रूरल डेवेलपमेंट मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इस सब चीज को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस के तैयार हैं। बाकी तो राज्य सरकार जिस काम में दिलचस्पी रखेगी। यह सब तो राज्य का विषय है और जो दिलचस्पी रखेगी वही काम करेगी। हम लोगों की तरफ से उसमें मदद होगी। महोदय, यह राज्य का काम है, लेकिन हमारी भूमिका पूरे तौर पर उनको मदद देने की है ताकि पूरे राष्ट्र में कृषि की तरक्की हो, जो कृषि पर निर्भर लोग हैं, उन की आमदनी बढ़े।

महोदय, यही हमें निवेदन करना था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब हम बुधवार दिनांक 29.11.2000 की प्रातः 11 बजे तक के लिए उदते हैं।

The House then adjourned at thirty-one minutes past six of the clock,
till eleven of the clock on Wednesday, the 29th November, 2000.